नवम्बर, 2018
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover ii

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-11-2018 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

नवम्बर, 2018 अंक - 11

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

किसी भी अभियुक्त को दंडित करने के लिए साक्ष्य का होना आवश्यक है । साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाने पर सबूत का स्थान ले लेता है । प्रायः अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् उससे साक्ष्य निकलवाने के प्रयास किए जाते हैं और इस संबंध में उसके कथन अभिलिखित किए जाते हैं । कथन के आधार पर यदि कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिसकी जानकारी केवल अभियुक्त को थी और उसका संबंध अपराध कारित करने से है, तब ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन अभियुक्त का ऐसा कथन साक्ष्य में ऐसे तथ्य के प्रकटन की सीमा तक उसके विरुद्ध पढ़ा जाएगा । किन्तु कुछ मामलों में अन्वेषण अधिकारी हितबद्धता और पक्षपात से काम लेते हैं और अभियोजन पक्षकथन को अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रकटन कथन के आधार पर अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी भी किसी गुप्त स्थान से करवाने का प्रयास करते हैं और यह भूल जाते हैं कि अभियुक्त को तो घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया और उसे तभी से पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने कहीं भी कोई आयुध नहीं छिपाया होगा । यदि अन्य साक्ष्य से अभियुक्त का अपराध साबित होता है और उसे घटनास्थल पर भी पकड़ लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में प्रकटन कथन का कोई औचित्य नहीं रह जाता । **महेन्द्र सैनी** बनाम **राजस्थान राज्य** (2018) 2 दा. नि. प. 618 वाले मामले में ऐसी ही स्थिति को स्पष्ट किया गया है ।

विद्वान् पाठकों के समक्ष प्रायः ऐसी उलझन आती है कि किसी कृत्य विशेष को सिविल विधि के अधीन लाया जाए या दांडिक विधि के अधीन । संविदा से संबंधित मामलों में यह भ्रांति बनी रहती है कि किसी संविदा के नियमों का उल्लंघन छल या कपट की कोटि में आता है या नहीं । कई बार चतुर अभियुक्त शिकायतकर्ता पक्ष से सिविल उपचार अपनाने का आग्रह करते हैं और कई शिकायतकर्ता बड़ी चतुराई से काम लेते हुए एक सिविल वाद को आपराधिक मामले में परिवर्तित किए जाने पर बल देते हैं । वास्तविकता यह है कि संविदा का भंग, छल और कपट से पूर्णतया भिन्न है । दोनों पक्षकारों के बीच हुए संव्यवहार में आपराधिक आशय का निर्धारण आवश्यक है । यदि अन्य साक्ष्य से अभियुक्त के आपराधिक आशय की पुष्टि हो जाती है और संव्यवहार के उपरांत भी उसका आचरण आपत्तिजनक

पाया जाता है तब यह माना जाता है कि अभियुक्त का मामला सिविल वाद के अधीन नहीं अपितु दांडिक विधि के अधीन आएगा । इसी स्थिति को **जगदीश वलेचा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** (2018) 2 दा. नि. प. 605 वाले मामले में दर्शाया गया है ।

इस अंक में पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 को भी प्रकाशित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इसमें कई सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य और ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

नवंबर, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अब्दुल रहमान **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	690
जगदीश वलेचा **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य और अन्य	605
दुर्गेश **बनाम** राजस्थान राज्य **मार्फत** लोक अभियोजक	662
धर्मेन्द्र यादव **उर्फ** धुमेन्दु **बनाम** बिहार राज्य	585
महेन्द्र सैनी **बनाम** राजस्थान राज्य	618
राजस्थान राज्य **बनाम** असद अली	645
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** अशोक चौहान	675

संसद् के अधिनियम

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 28

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 156 – अन्वेषण अधिकारी की शक्ति – अपराध में प्रयोग किए गए आयुध का अभिग्रहण – अपराध के तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर ही अभियुक्त का पकड़ा जाना – प्रकटीकरण कथन के आधार पर आयुध की बरामदगी का असंभव पाया जाना – अभियुक्त रतनलाल को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और उसके पश्चात् वह पुलिस अभिरक्षा में ही रहा अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने आयुध छिपाया था और उसके प्रकटीकरण कथन के आधार पर आयुध की बरामदगी की गई है, इसे केवल अन्वेषण अधिकारी की हितबद्धता कहा जा सकता है जिससे अभियुक्त को कोई लाभ नहीं हो सकता और उसकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

महेन्द्र सैनी बनाम **राजस्थान राज्य** 618

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 100 – आत्मरक्षा का अभिवाक् – अभियुक्त द्वारा मृतक के घर में प्रवेश किया जाना – घर के सदस्य द्वारा अभियुक्त का घटनास्थल पर ही पकड़ा जाना – प्रतिरोध के कारण अभियुक्त के शरीर पर साधारण क्षतियों की संभावना – अभियुक्तों ने मृतक के मकान में आक्रामक दल के रूप में प्रवेश किया है और उनका प्रतिरोध किए जाने पर उन्हें क्षतियां कारित हो सकती हैं जिनकी प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि क्षतियां घातक या गंभीर नहीं हैं और इसे खुली लड़ाई नहीं कहा जा सकता, अतः आत्मरक्षा का अभिवाक् किया जाना न्यायोचित नहीं है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

महेन्द्र सैनी बनाम **राजस्थान राज्य** 618

पृष्ठ संख्या

– धारा 279 – लोकमार्ग पर उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं हुआ हो कि वाहन अभियुक्त (चालक) द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया गया था तो वह दोषमुक्त होने का हकदार है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **अशोक चौहान** 675

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 155] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, मामले के तथ्य, घटना के अभिकथित स्थल, चिकित्सा साक्ष्य, अपीलार्थी को झूठा फंसाने के हेतु, घटना के समय, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और मरणोत्तर परीक्षा के लिए शव को सीधे थाने/अस्पताल भेजने में विसंगति/विरोधाभास होने के कारण अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित नहीं किया, इस प्रकार अपीलार्थी संदेह का फायदा पाने का पात्र है ।

धर्मेन्द्र यादव उर्फ **धुमेन्दु** बनाम **बिहार राज्य** 585

– धारा 302 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – हत्या – घटना के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का दर्ज कराया जाना किन्तु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में विलंब – अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही – साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियुक्तों और उनके दो साथियों को घटना घटित होने के 10 घंटे के भीतर ही मृतक पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया है, अतः इसे रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब नहीं अपितु इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत किया जाना कहा जाएगा जोकि केवल अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही है जिससे प्रतिरक्षा पक्ष को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता ।

महेन्द्र सैनी बनाम **राजस्थान राज्य** 618

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 और 34 – हत्या – सामान्य आशय – अभियुक्तों द्वारा आहत के परिवार पर सामान्य आशय के साथ तलवार और अग्न्यायुध से हमला किया जाना – अभियुक्तों द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर उन्हें साधारण क्षति कारित होना – प्रतिरोध के दौरान मृतक के वक्ष पर अत्यंत निकट से गोली लगना – चार हमलावरों ने मृतक के मकान में हथियारों से लैस होकर प्रवेश किया और दो अग्न्यायुधों से गोली चलाई गई जिनमें से एक गोली मृतक के वक्ष पर सीधे जाकर लगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, अतः अपीलार्थियों के अपराध की पुष्टि होती है ।

महेन्द्र सैनी बनाम **राजस्थान राज्य** 618

– धारा 302 और 304 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – अभियुक्त और सह-अभियुक्त द्वारा मृतक पर चाकू से हमला किया जाना – प्राइवेट प्रतिरक्षा का निष्फल अभिवाक् किया जाना – चाकू द्वारा कारित की गई क्षति की चिकित्सीय साक्ष्य और साक्षियों के परिसाक्ष्य से संपुष्टि – अभियुक्त-प्रत्यर्थी के कृत्य से आशय और तथ्य की जानकारी होना दोनों ही प्रतीत होते हैं और चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार जिस प्रकार की क्षति कारित की गई है उससे मृत्यु संभावित है, अतः अभियुक्त-प्रत्यर्थी धारा 304, भाग-I के अधीन अपराध का दोषी है ।

राजस्थान राज्य बनाम **असद अली** 645

– धारा 304 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – सह-अभियुक्त की अपराध में अन्तर्वलित होने की संपुष्टि न होना – साक्षियों द्वारा सह-अभियुक्त की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में अभिकथन न किया

पृष्ठ संख्या

जाना – साक्षियों के साक्ष्य से इस अभिकथन की पुष्टि नहीं होती है कि सह-अभियुक्त-प्रत्यर्थी इस घटना में अन्तर्वलित था क्योंकि किसी भी साक्षी ने उसे घटना के निकट या उसके आस-पास नहीं देखा है, अतः सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

राजस्थान राज्य बनाम **असद अली** 645

– धारा 364, 302, 120ख और 201 के साथ पठित धारा 34 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439] – हत्या – जमानत याचिका – धारा 439 – याची-अब्दुल रहमान का मुख्य अभियुक्त का सगा चाचा होना – मामले से यह अभिकथन किया जाना कि याची ने मुख्य अभियुक्त को अपनी कार उधार दी – यदि याची के संबंध में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने मुख्य अभियुक्त के साथ अपराध किए जाने के लिए षड्यंत्र रचा था और पुलिस द्वारा याची के विरुद्ध मामले को दर्ज करने में सावधानी नहीं बरती गई तथा याची की ओर से ऐसा कोई लोप नहीं किया गया जिसे मुख्य अभियुक्त के समक्ष रखा जा सके तो याची जमानत पाने का हकदार है ।

अब्दुल रहमान बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 690

– धारा 364, 302, 120ख, 201 और 34 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439] – याची पेशे से डाक्टर है और उसकी समाज में गहरी साख है और अपनी गिरफ्तारी से पूर्व मामले में अन्वेषण के दौरान वह भागा नहीं है, इसलिए यदि उसको जमानत दे दी जाए तो आगे उसके भागने की कोई संभावना नहीं है ।

अब्दुल रहमान बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 690

– धारा 420, 406 और 506 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – उच्च न्यायालय की

पृष्ठ संख्या

अन्तर्निहित शक्ति – छल और आपराधिक न्यास-भंग का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के साथ रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए करार किया जाना – संदाय में व्यतिक्रम – अभियुक्त के कर्मचारियों का फरार हो जाना – साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए शिकायतकर्ताओं के साथ लिखित करार निष्पादित किया है और इसके पश्चात् उन्होंने शिकायतकर्ताओं को रकम का संदाय नहीं किया है तथा उनके कर्मचारी कार्यस्थल से फरार भी हुए हैं ऐसी स्थिति में दांडिक कार्यवाहियों को मात्र इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि मामले के निपटारे के लिए सिविल उपचार उपलब्ध है, अतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित नहीं की जा सकती ।

जगदीश वलेचा बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** 605

– धारा 498क और 306 – क्रूरता – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतका से क्रूरता बरती गई और मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया – अतः अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दुर्गेश बनाम **राजस्थान राज्य** मार्फत **लोक अभियोजक** 662

– धारा 498क और 306 – क्रूरता – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – दंडादेश का प्रश्न – यदि अपीलार्थी-अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की निर्भरता व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 306 में दिए गए दस वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर उसे सात वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाना उचित है – अतः अपील आंशिक रूप से मंजूर किया जाना न्यायसम्मत है ।

दुर्गेश बनाम **राजस्थान राज्य** मार्फत **लोक अभियोजक** 662

धर्मेन्द्र यादव उर्फ **धुमेन्दु**

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 16 अक्तूबर, 2017

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 155] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, मामले के तथ्य, घटना के अभिकथित स्थल, चिकित्सा साक्ष्य, अपीलार्थी को झूठा फंसाने के हेतु, घटना के समय, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और मरणोत्तर परीक्षा के लिए शव को सीधे थाने/अस्पताल भेजने में विसंगति/विरोधाभास होने के कारण अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित नहीं किया, इस प्रकार अपीलार्थी संदेह का फायदा पाने का पात्र है ।

मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि इत्तिलाकर्ता मनोज कुमार के फर्द बयान के आधार पर 25 नामित व्यक्तियों और 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149 सहित धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 2005 का एकंगासराय, पुलिस थाना मामला सं. 197 दर्ज किया गया । पुलिस थाना एकंगासराय के ग्राम मोसीमगंज में प्रातः 8.20 बजे अभिलिखित तारीख 12 अगस्त, 2005 के अपने फर्द बयान में इत्तिलाकर्ता अर्थात् मनोज कुमार द्वारा यह अभिकथित किया गया कि 12 अगस्त, 2005 को प्रातः लगभग 7.00 बजे वह गौरैया खंड के तकिया (खाली खेत) में अपने पशु चराने गया था, जहां इत्तिलाकर्ता मनोज कुमार का चचेरा भाई अर्थात् सरोज कुमार हाई स्कूल के मैदान में स्थित लंबी घास को काटने आए और उस स्थान पर लंबी घास काट रहे थे । प्रातः लगभग 7.15 बजे लगभग 25-30 लोग रायफल, बंदूक और लाठी लेकर उस स्थान पर आए और मृतक सरोज को उनके खेत में घेर लिया जिसके पश्चात् राजेन्द्र प्रसाद जो पिस्तौल लिए हुए था ने

गोली चलाने का आदेश दिया, जिस पर इसमें अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से मृतक के सीने पर गोली चलाई, जिसके कारण मृतक अर्थात् इत्तिलाकर्ता का भाई उसी स्थान पर गिर गया । इसके पश्चात् फर्द बयान में नामित अन्य 22 अभियुक्त व्यक्ति और 8-10 अन्य अज्ञात व्यक्ति जिनके हाथों में पिस्तौल और रायफल थे, धुंआधार गोली चलानी शुरू कर दी और तब वे पूर्व की ओर चले गए । अभियुक्त व्यक्तियों के चले जाने के पश्चात् इत्तिलाकर्ता खेत पर गया और यह देखा कि उसका चचेरा भाई सरोज कुमार मृत पड़ा था । गोली चलने की आवास सुनकर, गांव वाले वहां आए और घटना के समय रंजन प्रसाद, राजू प्रसाद, विरेन्द्र प्रसाद, रंजन प्रसाद और मदन प्रसाद जो नजदीक खेत में काम कर रहे थे, घटना को देखा । इत्तिलाकर्ता ने आगे यह कहा कि हेतु पुरानी दुश्मनी थी । औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 12 अगस्त, 2005 को प्रातः 9.30 बजे तैयार की गई । पुलिस कागजों के प्रदाय के पूरा होने पर मामला तारीख 5 दिसंबर, 2007 को सेशन न्यायालय को सुपूर्द किया गया, तारीख 6 जून, 2008 को अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन और शेष 11 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/302/149 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए । मामले के विचारण के पश्चात् अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के लिए 10,000/- रुपए का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया गया तथा भुगतान के व्यतिक्रम के सामने यह निदेश दिया गया कि वह एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतेगा । अपीलार्थी को आगे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दो वर्ष का कठोर करावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया । अपीलार्थी ने दोषसिद्ध के निर्णय और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने अभिलेख की सामग्रियों की परीक्षा की और यह पाया कि अभियोजन की ओर से परीक्षा कराए गए साक्षियों के साक्ष्य विरोधाभासों से परिपूर्ण है और घोर असंगतियां और विसंगतियां हैं । क्रमशः, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 द्वारा

यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वे लोग केवल पहले व्यक्ति थे जो घटनास्थल पर पहुंचे और कोई अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था । यदि, यह इस प्रकार था कि कोई विशिष्ट साक्षी ऐसा व्यक्ति था, जो घटना के समय, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचा था तो उक्त दावा केवल एक साक्षी द्वारा ही किया जाना चाहिए किंतु साक्ष्य यह दर्शित करता है कि कुल 4 साक्षियों ने यह दावे किए कि वे घटना के समय घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उस समय वहां और कोई मौजूद नहीं था, अतः यह प्रकट है कि उक्त साक्षी सत्य नहीं बोल रहे हैं और स्वाभाविक साक्षी नहीं है बल्कि सिखाए गए हैं । वस्तुतः, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी अर्थात् चौकीदार, तन्नू को अभियोजन द्वारा विधारित किया गया है यद्यपि, वह वास्तविक घटना को बताने वाला अधिक महत्वपूर्ण कड़ी नहीं हो सकता, चूंकि सभी साक्षी एक मत हैं कि चौकीदार घटनास्थल पर आया जिसके पश्चात् उसे पुलिस को सूचना देने के लिए पुलिस थाने भेजा गया था । चौकीदार की परीक्षा न कराया जाना बचाव पक्ष के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालता है । मामले का अन्य पहलू यह है कि सभी साक्षियों ने यह कहा कि मृतक सरोज पर गोली चलाए जाने के ठीक पश्चात् उसकी माता, पिता और बहन वहां आए तथापि, उक्त व्यक्तियों के साथ अभियोजन द्वारा विधारित किया गया, इस प्रकार यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले पर संदेह पैदा करता है । साक्षियों ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि मृतक सरोज का शव पुलिस थाने ले जाया गया था और तब मरणोत्तर परीक्षा के लिए बिहार शरीफ भेजा गया, जबकि, अन्वेषक अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 7 ने यह कहा कि मृतक के शव को घटनास्थल से अस्पताल भेजा गया । यह महत्वपूर्ण है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट घटनास्थल अर्थात् श्री सत्यनारायण सिंह हाई स्कूल के समीप स्थित खाली भूमि पर तैयार की गई, इसलिए शव को प्रथमतः पुलिस थाने और तब बिहार शरीफ अस्पताल भेजे जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी । अतः, घटनास्थल भी संदेहास्पद हो जाता है । अभियोजन की ओर से एक अन्य गंभीर चूक यह है कि औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं किया गया है । साक्षियों के साक्ष्य में एक अन्य विसंगति/विरोधाभास यह है कि क्या मृतक सरोज खड़ा था या झुका हुआ था या भार वहन कर रहा था या एक दिशा की ओर जा रहा था जब उस पर गोली चलाई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटनास्थल पर अभिलिखित किया गया था तथापि, प्रतिकूलतः अभियोजन साक्षियों का यह

कहना है कि फर्द बयान पुलिस थाने में अभिलिखित किया गया था, यद्यपि, अन्वेषक अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि फर्द बयान मोसीमगंज में अभिलिखित किया गया था । एक अन्य विसंगति/विरोधाभास यह है कि फर्द बयान में इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि इसमें अपीलार्थी द्वारा गोली चलाने से सरोज को लगने के पश्चात्, शेष अभियुक्त व्यक्तियों ने धुंआधार गोली चलानी शुरू कर दी तथापि, अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त आशय का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया । एक अन्य विसंगति यह है कि अन्वेषक अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि उसे घटना के बारे में मदन प्रसाद द्वारा सूचित किया गया लेकिन सभी अभियोजन साक्षियों ने यह कहा कि चौकीदार द्वारा घटना के बारे में सूचना दिए जाने पर पुलिस पहुंची थी । इसके अतिरिक्त सरोज प्रसाद के शव की मरणोत्तर परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने यह नहीं बताया कि मृतक के शव पर गोली के प्रवेश से हुआ घाव कहां स्थित था । इसके परिणामस्वरूप, मृतक की छाती पर हुई बंदूक की गोली की क्षति की संपुष्टि का कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं था, जो अभियोजन की ओर से एक गंभीर चूक है जो चिकित्सा साक्ष्य से प्रत्यक्ष साक्ष्य का कोई पुष्टिकरण नहीं प्रदान करता । इसमें अपीलार्थी और अन्य लोगों को झूठा फंसाने का हेतुक भी स्पष्ट है अर्थात्, इसमें अपीलार्थी के पिता की हत्या की गई थी और उक्त मामले में मृतक, उसका पिता और भाई और गांव का मुखिया अर्थात् मदन प्रसाद अभियुक्त हैं । संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने और अभिलेख पर सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि अभिलिखित घटनास्थल भी संदेहास्पद है और सभी साक्षियों के साक्ष्य विरोधाभासों से पूर्ण हैं और उनकी विश्वसनीयता प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान दोषपूर्ण है । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे मामले को साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर लाया गया है । अतः, न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित नहीं किया और इस प्रकार अपीलार्थी संदेह का फायदा पाने के पात्र हैं । (पैरा 21, 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील (खंड न्यायपीठ) सं. 337.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री राजीव कुमार
इत्तिलाकर्ता की ओर से	श्री अरविंद कुमार
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री अजय मिश्र, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने दिया ।

न्या. शाह – यह अपील विद्वान् प्रथम अपर न्यायाधीश, हिल्सा (नालंदा) द्वारा (2005 के एकंगरसराय, पुलिस थाना मामला सं. 197 से उद्भूत) मामले में 2007 के सेशन विचारण सं. 754 में पारित तारीख 27 जनवरी, 2012 के दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 31 जनवरी, 2012 के दंडादेश के विरुद्ध की गई । उक्त निर्णय द्वारा इसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के लिए 10,000/- रुपए का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया गया तथा भुगतान के व्यतिक्रम के सामने यह निदेश दिया गया कि वह एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतेगा । अपीलार्थी को आगे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दो वर्ष का कठोर करावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया ।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि इत्तिलाकर्ता अर्थात् मनोज कुमार के फर्द बयान के आधार पर 25 नामित व्यक्तियों और 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149 सहित धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 2005 का एकंगासराय, पुलिस थाना मामला सं. 197 दर्ज किया गया । अपीलार्थी पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में एक नामित अभियुक्त था । पुलिस थाना एकंगासराय के ग्राम मोसीमगंज में प्रातः 8.20 बजे अभिलिखित तारीख 12 अगस्त, 2005 के अपने फर्द बयान में इत्तिलाकर्ता अर्थात् मनोज कुमार द्वारा यह अभिकथित किया गया कि 12 अगस्त, 2005 को प्रातः लगभग 7.00 बजे वह गौरैया खंड के तकिया (खाली खेत) में अपने पशु चराने गया था, जहां इत्तिलाकर्ता मनोज कुमार का चचेरा भाई अर्थात् सरोज कुमार हाई स्कूल के मैदान में स्थित लंबी घास को काटने आए और उस स्थान पर लंबी घास काट रहे थे । प्रातः लगभग 7.15 बजे लगभग 25-30

लोग रायफल, बंदूक और लाठी लेकर उस स्थान पर आए और मृतक सरोज को उनके खेत में घेर लिया जिसके पश्चात् राजेन्द्र प्रसाद जो पिस्तौल लिए हुए था ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिस पर इसमें अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से मृतक के सीने पर गोली चलाई, जिसके कारण मृतक अर्थात् इत्तिलाकर्ता का भाई उसी स्थान पर गिर गया । इसके पश्चात् फर्द बयान में नामित अन्य 22 अभियुक्त व्यक्ति और 8-10 अन्य अज्ञात व्यक्ति जिनके हाथों में पिस्तौल और रायफल थे, धुंआधार गोली चलानी शुरू कर दी और तब वे पूर्व की ओर चले गए । अभियुक्त व्यक्तियों के चले जाने के पश्चात् इत्तिलाकर्ता खेत पर गया और यह देखा कि उसका चचेरा भाई अर्थात् सरोज कुमार मृत पड़ा था । गोली चलने की आवास सुनकर, गांव वाले वहां आए और घटना के समय रंजन प्रसाद (अभि. सा. 9), राजू प्रसाद, विरेन्द्र प्रसाद, रंजन प्रसाद (अभि. सा. 8) और मदन प्रसाद (अभि. सा. 4) जो नजदीक खेत में काम कर रहे थे, घटना को देखा । इत्तिलाकर्ता ने आगे यह कहा कि हेतु पुरानी दुश्मनी थी । औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 12 अगस्त, 2005 को प्रातः 9.30 बजे तैयार की गई ।

3. पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया और इसके पश्चात् 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 27 फरवरी, 2006 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । तारीख 18 मार्च, 2006 को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया ।

4. पुलिस कागजों के प्रदाय के पूरा होने पर मामला तारीख 5 दिसंबर, 2007 को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया, तारीख 6 जून, 2008 को अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन और शेष 11 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/302/149 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए ।

5. विचारण के दौरान अभियोजन ने अपने पक्षकथन साबित करने के लिए 10 साक्षी पेश किए । इस मामले का इत्तिलाकर्ता अर्थात् मनोज कुमार की परीक्षा अभि. सा. 10 के रूप में की गई । सुरेन्द्र प्रसाद (अभि. सा.1), बिंदा प्रसाद (अभि. सा. 3), प्रमोद यादव (अभि. सा. 6), रजनन्दन प्रसाद (अभि. सा. 8), और रंजन प्रसाद (अभि. सा. 9) को अभियोजन द्वारा पेश किया गया और घटनास्थल के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षा की

गई । कृष्ण नन्दन प्रसाद (अभि. सा. 2) और मदन प्रसाद (अभि. सा. 4) को घटना स्थल का अनुश्रुत साक्षी बताया गया है । डा. रामानंदन प्रसाद सिंह, जिन्होंने मृतक की शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, कि अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई और प्रमोद शर्मा जो इस मामले का अन्वेषक अधिकारी है, की परीक्षा अभि. सा. 7 के रूप में की गई ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष ने राजेन्द्र प्रसाद की परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी-1 के रूप में कराई है ।

7. अपीलार्थी के विद्वान काउंसेल श्री राजीव कुमार ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला स्पष्ट रूप से संदिग्ध है जैसा कि अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट है । यह कथन किया गया है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में असंगतता है और साथ ही उसका साक्ष्य विरोधाभास से भरा हुआ है । यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि चौकीदार अर्थात् तुनू को पुलिस थाने मृतक सरोज कुमार की हत्या की घटना के संबंध में सूचना देने के लिए भेजा गया था । तथापि, उक्त साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए जाने से रोका गया है जिससे अभियोजन वृतान्त संदिग्ध प्रतीत होता है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि यद्यपि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 8 ने अपने-अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि जब मृतक पर बन्दूक की गोली से क्षति कारित की गई थी उस समय केवल वे ही मौजूद थे किन्तु इन तीन साक्षियों के अतिरिक्त अन्य साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और यह कि अभिकथित समय पर वे घटनास्थल पर मौजूद थे, इसलिए उक्त साक्षियों के कथन एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और अभियोजन साक्षियों की विश्वसनीयता पर संदेह होता है । सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि मृतक की माता, पिता और बहिन घटनास्थल पर पहुंचे थे, तथापि, उनमें से किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना की सत्यता को दबाया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि यद्यपि साक्षियों ने यह कथन किया है कि शव पुलिस थाने भेजा गया था और इसके पश्चात् अस्पताल, जब कि इस मामले के अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि शव सीधे ही अस्पताल भेजा गया था, इसलिए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में घोर विरोधाभास है और स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि घटना की सच्चाई को छिपाया गया है । अपीलार्थी

के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं किया गया है और शवपरीक्षण रिपोर्ट से मृतक के वक्ष पर कोई भी क्षति दर्शित नहीं होती है, जैसा कि यह अभिकथन किया गया है कि बन्दूक की गोली से क्षति कारित की गई थी, इसलिए अभियोजन साक्षियों द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाता है ।

8. इत्तिलाकर्ता के विद्वान् काउंसेल श्री अरविन्द कुमार ने यह दलील दी है कि घटना का समय, स्थान और हेतु को अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य द्वारा संदेह के परे सिद्ध किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि प्रत्येक साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि मृतक की हत्या इस मामले के अपीलार्थी द्वारा गोली चलाकर खेत में की गई थी और अभियोजन वृत्तान्त का समर्थन पूर्णतया चिकित्सीय साक्ष्य और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट से होता है । इत्तिलाकर्ता के विद्वान काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभिलेख पर ऐसा पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की जा सकती है और अभियोजन साक्षियों द्वारा दिया गया सम्पूर्ण साक्ष्य यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोषसिद्धि का निर्णय ठीक ही पारित किया है ।

9. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा ने इत्तिलाकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का समर्थन किया है ।

10. हमने, पक्षकारो के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख की सामग्री का परिशीलन करने के अलावा साक्ष्य का भी परिशीलन किया । इस सन्निधि पर, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना उचित होगा ।

11. मनोज कुमार (अभि. सा. 10) मामले का इत्तिलाकर्ता है और उसने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना पांच वर्ष पहले की है जो गौरैया के तकियाखंड इलाके में प्रातः लगभग 7.00 बजे हुई । अभि. सा. 10 ने यह कहा कि विभिन्न हथियारों से लैश 20-30 व्यक्ति वहां आए और राजेन्द्र प्रसाद द्वारा ऐसा करने का आदेश दिए जाने पर अपीलार्थी द्वारा सरोज कुमार पर गोली चलाई गई और उक्त सरोज कुमार घटनास्थल पर ही मर गया । अभि. सा. 10 ने यह भी कहा कि घटना को मदन प्रसाद (अभि. सा. 4), राजनंदन प्रसाद (अभि. सा. 8), अर्जुन प्रसाद (परीक्षा नहीं कराई गई) और अन्य व्यक्तियों ने देखा । अभि. सा. 10 ने फर्द बयान पर अपने

हस्ताक्षर की पहचान की, जो प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में, अभि. सा. 10 ने यह कहा कि वह वर्ष 2007 में मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में नियोजित था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में उसने कहा कि उसके पिता तीन भाई हैं, अर्थात् रामचन्द्र, अर्जुन और उसके पिता । रामचन्द्र के तीन बच्चे हैं, अर्थात् मदन, सदन और नंद कुमार । अभि. सा. 10 ने आगे कहा कि उसका एक भाई अर्थात् प्रमोद है । अभि. सा. 10 ने कहा कि अपीलार्थी के पिता अर्थात् मोनू यादव की हत्या वर्ष 2002 में हुई जिसमें मदन प्रसाद (अभि. सा. 4) अभियुक्त है और मामला चल रहा है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में अभि. सा. 10 ने कहा कि मदन यादव और इसमें अपीलार्थी के बीच कई मामले चल रहे हैं । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में अभि. सा. 10 ने यह कहा कि वह प्रातः 6.00 बजे से घटनास्थल पर मौजूद था और उस स्थान पर मदन प्रसाद, राजनंदन प्रसाद, सरयुग यादव, अरविन्द प्रसाद, विरेन्द्र प्रसाद और वृंदा यादव अपने पशु चरा रहे थे और इधर-उधर फैले हुए थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में, अभि. सा. 10 ने यह कहा कि मृतक सरोज घटनास्थल पर पहले से ही आकर मौजूद था और जब अभि. सा. 10 वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सरोज लंबी घास काट रहा था और जब वह वहां पहुंचा, गांव से कोई व्यक्ति वहां नहीं आया । यह भी कहा गया कि सरोज अकेले घास काट रहा था और उसके पिता या भाई वहां मौजूद नहीं थे । अभि. सा. 10 ने यह भी कहा कि जब वह अपने घर से बाहर आया वह अपीलार्थी से मिला था किंतु उससे कोई बातचीत नहीं की । अभि. सा. 10 ने यह कहा कि घटनास्थल पर उसके पहुंचने के एक घंटे बाद उसने 20-25 लोगों को वहां आते हुए देखा किंतु उसने उनसे कोई बात नहीं की और वहां से भागा भी नहीं । यह बताया गया है कि अभि. सा. 10 ने 150 मीटर की दूरी से अभियुक्त व्यक्तियों को उस स्थान पर आते हुए देखा और अपीलार्थी आगे था और पिस्तौल लिए हुए था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 10 में, अभि. सा. 10 ने यह कहा कि गोली उस स्थान पर अभियुक्त के पहुंचने के एक मिनट पश्चात् चलाई गई थी । यह कहा गया है कि मृतक सरोज उस समय खड़ा था और जैसे ही उसने अपने सिर पर कोई सामान रखा, वैसे ही उस पर गोली चलाई गई और सरोज उस स्थान पर ही गिर गया । अभि. सा. 10 ने यह कहा कि वह उस स्थान पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और उसके पश्चात् मदन यादव और अन्य लोग आए तथा जब वह सरोज के

नजदीक पहुंचा तो अभियुक्त व्यक्ति भाग रहे थे । अभि. सा. 10 ने यह कहा कि वह मृतक सरोज के पीछे से रक्त बहते हुए देखा और रक्त कहीं और से नहीं आ रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में अभि. सा. 10 ने यह कहा कि उसके चाचा अर्जुन प्रसाद ने चौकीदार को सूचित किया और वह लगभग आधे घंटे पश्चात् चौकीदार और अपने चाचा के वापस आने के पश्चात् पुलिस थाने गया । यह भी कहा गया है कि चौकीदार और उसके चाचा पुलिस थाने गए थे जबकि अन्य लोग सरोज के साथ ही रह गए थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में अभि. सा. 10 ने यह कहा कि पुलिस थाने में चौकीदार का कथन प्रथमतः अभिलिखित किया गया और उसने गोली चलाए जाने के एक घंटे पश्चात् अपना कथन दिया । यह कहा गया कि अभि. सा. 10 ने यह भी कहा कि पुलिस कथन अभिलिखित करने के पश्चात् पहुंची थी किंतु वह वहां से चला गया था और पुलिस वहां 10 मिनट पहले पहुंची थी । सरोज के भाई, पत्नी और पिता तथा अन्य लोग भी वहां मौजूद थे । पुलिस घटनास्थल पर 45 मिनट तक ठहरी । अभि. सा. 10 ने यह भी कहा कि दूसरी बार पुलिस द्वारा उनसे पूछे जाने पर उसने बताया कि मृतक को बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी । उसने यह भी कहा कि यद्यपि पुलिस ने घटनास्थल से हसुआ बरामद किया था किंतु कोई अभिग्रहण सूची तैयार नहीं की गई ।

12. अभि. सा. 1, सुरेंद्र प्रसाद, जिन्होंने यह कहा कि घटना तारीख 12 अगस्त, 2005 को प्रातः 7.00-7.30 बजे घटी जब वह घटनास्थल के नजदीक था और उस समय 20-25 लोग ग्राम से बाहर आकर पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे । अभि. सा. 1 ने आगे यह कहा कि सरोज यादव तकिया खंड से घास काटने के पश्चात् आ रहा था । तब सरोज अभियुक्त व्यक्तियों से घिर गया और राजेन्दर ने सरोज को मारने के लिए उकसाया, जिस पर इसमें अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से उसकी छाती पर गोली चलाई और सरोज गिर गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 2 में अभि. सा. 1 ने यह कहा कि मृतक सरोज का शव पुलिस थाने ले जाया गया था, जहां से इसे बिहार शरीफ ले जाया गया । घटना को मनोज, प्रमोद, मदन, बिन्दा, राजनंदन और अन्य लोगों ने देखा । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में अभि. सा. 1 ने यह कहा कि वह प्रातः 6.00 बजे अपना घर छोड़ दिया था और जब वह अपने घर से जा रहा था, उसने सरोज को नहीं देखा था बल्कि उसने उसे घास काटते हुए देखा था । उसने आगे कहा कि उसे यह याद नहीं कि उस समय कौन-कौन लोग मौजूद थे । उसने यह भी

कहा कि जब वह तकिया खंड पहुंचा तब पहले से कोई भी वहां मौजूद नहीं था और ग्राम वाले आधे घंटे पश्चात् आए थे । उसने अभियुक्त व्यक्तियों को 60-70 गज की दूरी से देखा था और अपीलार्थी सबसे आगे था । अभि. सा. 1 ने यह कहा कि मृतक सरोज खंड में बैठा था और घास काट रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में अभि. सा. 1 ने कहा कि सरोज घास काटकर गांव की ओर जा रहा था और उसकी माता भी समीप खेत में सब्जियां तोड़ रही थी । यह भी कहा गया है कि जब सरोज लगभग 25-30 गज घास लेकर आगे बढ़ रहा था तो अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे घेर लिया और अभियुक्त व्यक्ति दो हाथ की दूरी पर खड़े थे । यह कहा गया है कि अभि. सा. 1 ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सरोज को चारों ओर से घेरने के 1-2 मिनट पश्चात् ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी और वह गोली लगने के पश्चात् ही गिर गया । हल्ला होने पर सरोज की माता और अन्य लोग वहां आए । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में अभि. सा. 1 ने यह कहा कि जब सरोज गिर गया, वह वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और 5 मिनट पश्चात् मनोज वहां आया । अभि. सा. 1 ने यह देखा कि जमीन पर रक्त गिरा हुआ था और वह वहां लगभग आधे घंटे तक रहा । प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में अभि. सा. 1 ने यह कहा कि उसने पुलिस को सूचित नहीं किया था बल्कि पुलिस को सूचना चौकीदार टुन्नू द्वारा दी गई थी और इसके पश्चात् पुलिस 2-3 घंटे बाद आई थी और प्रथमतः मनोज से पूछताछ की और तब सरोज की माता, पत्नी और भाई से पूछताछ की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में अभि. सा. 1 ने यह कहा कि मदन प्रसाद गांव का मुखिया है । अभि. सा. 1 ने यह कहा कि मदन यादव और इस मामले में के अपीलार्थी के बीच कई मुकदमे चल रहे हैं ।

13. अभि. सा. 2 कृषनंदन प्रसाद है और उसने अपने साक्ष्य में यह कहा कि तारीख 12 अगस्त, 2005 को प्रातः लगभग 7.00-8.00 बजे, अपने घुमते समय उसने पिस्तौल से लैश 25 व्यक्तियों को गांव की ओर से आते हुए देखा । सरोज वहां था और राजेन्दर ने उकसाया, जिस पर अपीलार्थी ने अपने पिस्तौल से गोली चलाई जो सरोज की छाती पर लगी और वहां उसकी मृत्यु हो गई और तब अभियुक्त व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चले गए । मरणोत्तर परीक्षा बिहार शरीफ में की गई । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में अभि. सा. 2 ने यह कहा कि जब वह चहलकदमी के लिए अपने मकान से निकला तो वह सरोज से नहीं मिला था । वह न तो धर्मेंद्र या राजेन्द्र या गांव के किसी व्यक्ति से नहीं मिला । प्रमोद भी अभि. सा. 2 के साथ थरा और जब वे तालाब से वापस आ रहे थे, वह अर्जुन, राजू, रंजन,

मदन प्रसाद, मनोज कुमार, बिन्दा, बिरेन से मिला, किंतु उसने उनसे कोई बात नहीं की । जब अभि. सा. 1 आगे बढ़ा तो उसने 20-25 व्यक्तियों को 100 गज की दूरी से आते हुए देखा, जिस पर वह और प्रमोद भाग गए और गांव पहुंचे । कुछ समय पश्चात् वह घटनास्थल पर गया और देखा कि अन्य लोग भी वहां थे और उसने खेत में सरोज का शव पड़ा देखा और रक्त उसकी छाती से निकल रहा था । अभि. सा. 1 एक घंटे तक घटनास्थल पर था, जिसके दौरान पुलिस वहां आई और सर्वप्रथम मनोज से पूछताछ की और इसी बीच सरोज की माता, पत्नी, भाभी आदि भी वहां आए और पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की । प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में उसने कहा कि मरणोत्तर परीक्षा कराने के प्रयोजन के लिए वह भी शव के साथ गया था ।

14. अभि. सा. 3 बिन्दा प्रसाद है और उसने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना पांच वर्ष पूर्व हुई थी और समय प्रातः 7.00 बजे का था । घटना हाई स्कूल के पीछे घटित हुई थी । अभि. सा. 3 घास काट रहा था, जब पश्चिमी दिशा से, बंदूक लिए हुए, भिन्न-भिन्न शस्त्रों से युक्त 30-35 व्यक्ति वहां आए । सरोज भी लंबी घासें काट रहा था और जब उसने अपने सिर पर रखने के लिए घास का बंडल उठाया तो अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया जिस पर राजेन्द्र ने उसे मारने के लिए उकसाया और तब इसमें अपीलार्थी ने सरोज पर बंदूक चलाई, जो उसके पीठ पर लगी और वह गिर गया और वहीं मर गया । पैरा 2 में, यह कहा गया है कि चौकीदार वहां आया और पुलिस थाने पर पुलिस को सूचित किया, इसके पश्चात् पुलिस वहां आई और सरोज को पुलिस थाने और तब मरणोत्तर परीक्षा के लिए बिहार शरीफ ले गई । यह कहा गया है कि घटना को प्रमोद, मनोज, राजनंदन, कृष्णबल्लभ द्वारा देखा गया । अपनी प्रतिपरीक्षा की पैरा 4 में, अभि. सा. 3 ने यह कहा कि वर्ष 2002 में अपीलार्थी के पिता अर्थात् मोनू यादव की हत्या की गई थी और उसे इसके बारे में बाद में पता चला क्योंकि वह गांव में नहीं था और वह नहीं जानता कि कौन व्यक्ति हत्या में लिप्त था । पैरा 5 में, अभि. सा. 3 ने यह स्वीकार किया कि वह जानता था कि मदन मुखिया कारागार में था । अभि. सा. 3 ने पैरा 6 में यह कहा कि वह प्रातः 6.00 बजे घास काटने गया था और वह केवल अर्जुन मुखिया से मिला । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में अभि. सा. 3 ने यह कहा कि 20 मिनट तक उसके घास काटने के पश्चात् उसने गोली चलने की आवाज सुनी, जिसके पश्चात् वह वहीं रहा और लगभग 15 मिनट तक बैठा रहा और इस बीच उसके पास कोई व्यक्ति

नहीं आया और 15 मिनट पश्चात् वह अपने गांव गया । अभि. सा. 3 ने आगे यह कहा कि गांव जाने के पश्चात् उसने गांव वालों से गोली चलने के बारे में बताया ।

15. अभि. सा. 4 अर्थात् मदन प्रसाद ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि घटना काफी पहले 12 अगस्त, 2015 को प्रातः लगभग 7.00 बजे घटी जब उसका चचेरा भाई सरोज घास काटने गया था । उस समय विभिन्न हथियारों और पिस्तौलों से लैस गांव के 20-25 व्यक्ति वहां आए और सरोज को चारों ओर से घेर लिया, इसके पश्चात् राजेन्द्र यादव ने सरोज को मार डालने के लिए अपीलार्थी को आदेश दिया और तब अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से सरोज की छाती पर गोली चलाई, जिस पर वह गिर गया और वहीं मर गया । पैरा 2 में यह कहा गया है कि घटना को मनोज कुमार, रंजन प्रसाद, विरेन्द्र प्रसाद, राजनंदन प्रसाद, बिन्दा प्रसाद और अन्य लोगों ने देखा । अभि. सा. 4 ने यह कहा कि जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सरोज मर गया था । अभि. सा. 4 ने भी उन अभियुक्तों का नाम लिया जो वहां आए थे । पैरा 3 में अभि. सा. 4 ने यह कहा कि पुलिस घटनास्थल पर आई और शव को पुलिस थाने ले गई और तब शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए बिहार शरीफ भेजा । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में अभि. सा. 4 ने यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी का पिता अर्थात् मोनू यादव की हत्या हो गई थी और उस मामले में वह और सरोज अभियुक्त थे । अभि. सा. 4 ने आगे यह कहा कि मनोज प्रसाद और रंजन प्रसाद उसके चचेरे भाई है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में अभि. सा. 4 ने यह कहा कि घटना की तारीख को वह अपने घर से प्रातः 7.00 बजे निकल गया था और खाली हाथ और उस समय वह सरोज या उसके कुटुम्ब के सदस्य से नहीं मिला और वह अभियुक्त व्यक्तियों से भी नहीं मिला था । अपनी प्रतिपरीक्षा की पैरा 7 में अभि. सा. 4 ने यह कहा कि जब वह तकिया खंड पहुंचा, अन्य लोग वहां आ गए थे और तब अभियुक्त व्यक्ति वहां आए और अपीलार्थी सबसे आगे था और उसने लगभग 50 गज की दूरी से उन्हें देखा था । उसने आगे यह कहा कि सरोज बैठकर घास काट रहा था । उसने यह भी कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों के वहां पहुंचने के 5 मिनट पश्चात् फायरिंग हुई और अपीलार्थी अपने दाहिने हाथ में पिस्तौल लिए हुए था और गोली चलाए जाने के समय सरोज खड़ा था और पश्चिमी दिशा की ओर जा रहा था । उसने यह कहा कि सरोज केवल दो कदम ही चला था जब फायरिंग हुई, जिसके पश्चात् सरोज गिर गया । अपनी प्रतिपरीक्षा

के पैरा 8 में अभि. सा. 4 ने यह स्वीकार किया कि वह 5 मिनट पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा और उसके वहां पहुंचने के पहले ही रंजन आदि पहले ही पहुंच चुके थे और उसके पहुंचने के पश्चात् लगभग 10 ग्रामवासी वहां आए । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में अभि. सा. 4 ने यह कहा कि गोली लगने के 20-25 मिनट पश्चात् पुलिस आई और उस समय गांव का चौकीदार और 1-2 लोग वहां थे । पुलिस शव को थाने ले गई और वह मनोज, रंजन, अरविन्द और सरयू प्रसाद के साथ शव को थाने ले गई और वह मनोज, रंजन, अरविन्द और सरयू प्रसाद के साथ शव के साथ गया । वे एक घंटे तक पुलिस थाने में रहे । पुलिस ने उसका कथन और मनोज, रंजन प्रसाद आदि का कथन अभिलिखित किया और उसके पश्चात् वे शव के साथ बिहार शरीफ गए ।

16. अभि. सा. 6 प्रमोद यादव है और उसने अपने साक्ष्य में यह कहा कि घटना काफी पहले 12 अगस्त, 2005 को लगभग प्रातः 7.00 बजे घटी और घटना तकिया खंड के नजदीक घटी, जहां वह चहलकदमी करने के लिए गया था । उसने कहा कि जब वह वापस आ रहा था तो उसने तकिया खंड की ओर गांव से विभिन्न हथियारों से लैश 25-30 व्यक्तियों को आते हुए देखा । इसके पश्चात् वह आया और तकिया खंड के नजदीक खड़ा हो गया और यह देखा कि राजेन्द्र यादव ने अपीलार्थी को सरोज की हत्या करने का आदेश दिया, जिस पर अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से मृतक सरोज की छाती पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 6 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त व्यक्तियों को पहचानता था । पैरा 3 में, उसने कहा कि पुलिस इत्तिला होने पर आई और शव को पुलिस थाने ले गई, जहां से इसे मरणोत्तर परीक्षा के लिए बिहार शरीफ ले जाया गया । संपूर्ण घटना को कृष्णनंदन यादव (अभि. सा. 2), बिन्दा यादव, राजनंदन यादव (अभि. सा. 8) और अन्य लोगों ने देखा । पैरा 4 में उन्होंने कहा कि उस समय गांव का मुखिया मदन यादव था । पैरा 6 में यह कहा गया कि उस समय जब वह तकिया खंड पहुंचा कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था और वह वहां प्रातः 8.30 बजे तक रहा और उसके पश्चात् जब वह गांव वापस आ रहा था तो उसने 25-30 लोगों को देखा, जिन्होंने एक भीड़ गठित की और आगे बढ़े और राजेन्द्र यादव तथा अपीलार्थी आगे थे । उस समय सरोज उत्तर की ओर था और वह झुका हुआ था और उसका चेहरा पूर्व की ओर था । सरोज गोली लगने पर तत्काल गिर गया और उसके पश्चात् उसके पिता वहां आए । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में

अभि. सा. 6 ने यह कहा कि चौकीदार अर्थात् टुन्नू पंडित द्वारा पुलिस को सूचित किया गया । पुलिस के घटनास्थल पर आने के पश्चात् उसने सर्वप्रथम मनोज से पूछताछ की और पुलिस वहां 45 मिनट तक रही और किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं लिए । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में अभि. सा. 6 ने यह कहा कि उसने पुलिस को नहीं बताया कि अपीलार्थी ने सरोज की, उसकी छाती पर नजदीक से पिस्तौल रखकर मार डाला था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में अभि. सा. 6 ने इस सुझाव से इनकार किया कि सरोज की हत्या मदन यादव से दुश्मनी के कारण की गई थी ।

17. अभि. सा. 8 राजनंदन प्रसाद है और उसने यह कहा कि 12 अगस्त, 2015 को प्रातः लगभग 7.15 बजे घटना घटी । सरोज घास काटने गया हुआ था । अभि. सा. 8 ने यह देखे जाने के बारे में बताया कि इसके अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्ति लाठी, गड़ासा, भाला और पिस्तौल से लैस होकर पश्चिमी दिशा की ओर से आए और सरोज को चारों ओर से घेर लिया, तदुपरि, राजेन्द्र ने गोली चलाए जाने का निदेश दिया और तब अपीलार्थी ने सरोज की छाती पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और वह वहीं मर गया । पैरा 2 में अभि. सा. 8 ने यह कहा कि घटना को मदन, मनोज, बिन्दा और अन्य लोगों ने देखा । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में अभि. सा. 8 ने यह कहा कि अपीलार्थी के पिता अर्थात् मोनू यादव की हत्या की गई थी और उस मामले में मृतक सरोज, उसका पिता और भाई अभियुक्त थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में अभि. सा. 8 ने यह कहा कि घटना की तारीख को उसने प्रातः लगभग 6.45 बजे सरोज को खेत पर जाते हुए देखा, जब वह नजदीक अपनी गाय चरा रहा था और वह उक्त प्रयोजन के लिए प्रातः 6.30 बजे गया था । पैरा 6 में अभि. सा. 8 ने यह कहा कि सरोज ने बोझ बांधा और उठाकर अपने सिर पर रखा । उस समय अभियुक्त व्यक्तियों ने लंबे घास के खेत में सरोज को चारो ओर से घेर लिया, इसके पश्चात् लगभग 5 फीट की दूरी से गोली चलाई गई और गोली चलाए जाने के समय सरोज के सिर पर बोझ था, तदुपरि, सरोज गिर गया और अभियुक्त व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर गए । अभि. सा. 8 ने आगे यह कहा कि वह घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और जब वह वहां पहुंचा, सरोज पहले ही मर चुका था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में अभि. सा. 8 ने यह कहा कि सरोज के पिता और माता तथा कुटुम्ब के सदस्य 15 मिनट पश्चात् वहां आए और उसने उनसे घटना के बारे में बताया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में अभि. सा. 8 ने यह कहा

कि दो दिन के पश्चात् पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया ।

18. अभि. सा. 9 रंजन प्रसाद है, जो मृतक का भाई और अभि. सा. 4 का चचेरा भाई है । अभि. सा. 9 ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि घटना की तारीख 12 अगस्त, 2005 है और समय प्रातः लगभग 7.15 बजे है और घटना का स्थान गांव के पूर्व की ओर गौरैया खंड है । सरोज की हत्या इसमें अपीलार्थी द्वारा राजेन्द्र प्रसाद द्वारा ऐसा करने का आदेश दिए जाने पर, उसकी छाती पर गोली चलाकर की गई थी । घटना के समय लगभग 22 व्यक्ति थे, जो भिन्न-भिन्न हथियारों से लैश थे । अभि. सा. 9 ने यह कहा कि घटना को अर्जुन, राजनंदन, बिन्दा आदि ने देखा । पैरा 2 में अभि. सा. 9 ने यह कहा कि प्रयुक्त किया गया कारतूस (खोखा) उनकी उपस्थिति में बरामद किया गया और अभिग्रहण सूची तैयार की गई, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए और इसे प्रदर्श 4 के रूप में चिह्नित किया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में अभि. सा. 9 ने यह कहा कि मदन उसका चचेरा भाई है और वह अपीलार्थी के पिता अर्थात् मोनू यादव की हत्या की घटना में अभियुक्त है । अभि. सा. 9 ने आगे यह कहा कि वह और एक अन्य ग्रामवासी खंड पर गए हुए थे और भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे तथा सरोज खेत में बैठकर लंबी घास काट रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में अभि. सा. 9 ने यह कहा कि बंदूक की गोली से क्षति पहुंचने पर सरोज वहीं मर गया और वे लोग सरोज के गिरने के 2 मिनट पश्चात् वहां पहुंचे और उस समय सभी अभियुक्त व्यक्ति वहां मौजूद थे और घटना के 10 मिनट पश्चात् काफी लोग एकत्र हो गए । अपनी प्रतिपरीक्षा पैरा 7 में इस साक्षी ने कहा कि उसने स्वयं चौकीदार को घटना के बारे में इत्तिला दी थी और इसके पश्चात् चौकीदार पुलिस थाने गया जिसके पश्चात् पुलिस आधे घंटे पश्चात् घटनास्थल पर पहुंची ।

19. डा. रामानंद प्रसाद सिंह की परीक्षा अभि. सा. 5 के रूप में कराई गई और उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कहा कि 12 अगस्त, 2005 को वे बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे और उस दिन उन्होंने मृतक सरोज प्रसाद के शव की शव-परीक्षा की थी और उनके शव पर निम्नलिखित मरणोत्तर पूर्व क्षतियां पाईं :–

(i) घाव के चारो ओर बहुल गोदना युक्त 1/2 व्यास × गहरा औंधा और झुलसा विदीर्ण घाव ।

(ii) मध्य उरोस्थि पर 1 मी. व्यास × अंदर गहरा औंधा किनारा

युक्त विदीर्ण घाव (बाहरी घाव) ।

क्षति सं. 1 क्षति सं. 2 से जुड़ी है । बायां फेफड़ा विदीर्ण और विवक्षित है । बायां अर्ध वक्ष रक्त और रक्त के थक्कों से भरा है । हृदय सही है, दोनों प्रकोष्ठ खाली हैं । अन्य सभी आतें सही हैं और पीली हैं । पेट में 103 म्यूकाइड द्रव है ।

मृत्यु का कारण – उपरोक्त वर्णित क्षति विशेषकर आयुध पदार्थ द्वारा कारित फेफड़े की क्षति से हुआ रक्तस्राव और सदमा है ।

मृत्यु से लेकर बीता समय – 6 से 36 घंटे के बीच ।

अभि. सा. 5 ने मरणोत्तर परीक्षा को साबित किया और इसे प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसकी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 5 से किसी महत्वपूर्ण बात का पता नहीं चला ।

20. अन्वेषक अधिकारी अर्थात् श्री प्रमोद शर्मा की अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा कराई गई और उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कहा कि तारीख 12 अगस्त, 2005 को, वह इकंगरसराय पुलिस थाने के प्रभारी के रूप् में तैनात था और वर्तमान मामले का अन्वेषण किया था । उन्होंने यह कहा कि मनोज कुमार का फर्द बयान उनके हाथ से लिखा गया था जिस पर मनोज कुमार ने अपने हस्ताक्षर किए और उसने भी अपना हस्ताक्षर किया, जिसकी वह पहचान करता है और इसे प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया है । अपने साक्ष्य के पैरा 2 में अभि. सा. 7 ने यह कहा कि उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की, जो उसके हस्तलेख में है और जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा इसे प्रदर्श 3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है । अभि. सा. 7 के अनुसार घटनास्थल मोसीमगंज ग्राम के पूर्व श्री सत्यनारायण सिंह हाई स्कूल, कुंडवा के समीप खाली भूमि है । अभि. सा. 7 को रक्त मिला, जो घटनास्थल पर गिरा था और उन्होंने रक्तरंजित भूमि और प्रयुक्त कारतूस (खोखा) अभिगृहीत किया और अभिग्रहण सूची तैयार की, जो उसकी लिखावट में है और उन्होंने इसकी पहचान की, जिसे प्रदर्श 4 के रूप में चिह्नित किया गया । पैरा 3 में अभि. सा. 7 ने यह कहा कि घटनास्थल पर उसने साक्षी अर्थात् मदन प्रसाद, रंजन प्रसाद, राजू प्रसाद, फूला देवी, विरेन प्रसाद, राजनंदन प्रसाद, अर्जुन प्रसाद आदि के कथन लिए थे और उन लोगों ने घटना का समर्थन किया था । सार्थकतः, अभि. सा. 7 ने यह कहा कि मृतक का शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए वहां से बिहार शरीफ अस्पताल भेजा गया । अभि. सा. 7 ने अन्वेषण पूरा करने के

पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र भी फाइल किया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में अभि. सा. 7 ने यह कहा कि उसने मोसीमगंज में फर्द बयान अभिलिखित किया था । उसे मदन प्रसाद ने टेलीफोन पर उसी दिन प्रातः 7.30 बजे सूचित किया और उसके पश्चात् उसने इस आशय का सनहा सं. 216 अभिलिखित किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति के भाई की हत्या बंदूक से गोली चलाकर कर दी गई । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में अभि. सा. 7 ने यह कहा कि उसने अभिग्रहण सूची में वस्तुओं को अभिगृहीत किए जाने का समय प्रातः 9.30 बजे के रूप में अभिलिखित किया था । अभि. सा. 7 ने यह स्वीकार किया कि उसने रक्तरंजित भूमि और खोखा को न्यायालयिक प्रयोगशाला में जांच के लिए नहीं भेजा था और अभिगृहीत वस्तुओं को भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया था । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का समय प्रातः 8.30 बजे है । अभि. सा. 7 ने यह भी कहा कि रक्त स्कूल के खाली भूमि में पाया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में अभि. सा. 7 ने यह स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार नहीं किया था । अभि. सा. 7 ने आगे यह स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान उसे यह पता चला कि मदन और मृतक अपीलार्थी के पिता अर्थात् मोनू यादव की हत्या से संबंधित मामले में अभियुक्त हैं । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में अभि. सा. 7 ने यह कहा कि साक्षी प्रमोद यादव ने अपने कथन में यह नहीं कहा था कि अपीलार्थी ने मृतक की छाती पर भरी पिस्तौल रखकर नजदीक से गोली चलाई थी ।

21. हमने अभिलेख की सामग्रियों की परीक्षा की और यह पाया कि अभियोजन की ओर से परीक्षा कराए गए साक्षियों के साक्ष्य विरोधाभासों से परिपूर्ण है और घोर असंगतियां और विसंगतियां हैं । क्रमशः, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वे लोग केवल पहले व्यक्ति थे जो घटनास्थल पर पहुंचे और कोई अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था । यदि, यह इस प्रकार था कि कोई विशिष्ट साक्षी ऐसा व्यक्ति था, जो घटना के समय, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचा था तो उक्त दावा केवल एक साक्षी द्वारा ही किया जाना चाहिए किंतु साक्ष्य यह दर्शित करता है कि कुल 4 साक्षियों ने यह दावे किए कि वे घटना के समय घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उस समय वहां और कोई मौजूद नहीं था, अतः यह प्रकट है कि उक्त साक्षी सत्य नहीं बोल रहे हैं और स्वाभाविक साक्षी नहीं है बल्कि सिखाए गए हैं । वस्तुतः, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी अर्थात् चौकीदार, तन्नू को

अभियोजन द्वारा विधारित किया गया है यद्यपि, वह वास्तविक घटना को बताने वाला अधिक महत्वपूर्ण कड़ी नहीं हो सकता, चूंकि सभी साक्षी एक मत हैं कि चौकीदार घटनास्थल पर आया जिसके पश्चात् उसे पुलिस को सूचना देने के लिए पुलिस थाने भेजा गया था । चौकीदार की परीक्षा न कराया जाना बचाव पक्ष के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालता है । मामले का अन्य पहलू यह है कि सभी साक्षियों ने यह कहा कि मृतक सरोज पर गोली चलाए जाने के ठीक पश्चात् उसकी माता, पिता और बहन वहां आए तथापि, उक्त व्यक्तियों के साथ अभियोजन द्वारा विधारित किया गया, इस प्रकार यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले पर संदेह पैदा करता है ।

22. साक्षियों ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि मृतक सरोज का शव पुलिस थाने ले जाया गया था और तब मरणोत्तर परीक्षा के लिए बिहार शरीफ भेजा गया, जबकि अन्वेषक अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 7 ने यह कहा कि मृतक के शव को घटनास्थल से अस्पताल भेजा गया । यह महत्वपूर्ण है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट घटनास्थल अर्थात् श्री सत्यनारायण सिंह हाई स्कूल के समीप स्थित खाली भूमि पर तैयार की गई, इसलिए शव को प्रथमतः पुलिस थाने और तब बिहार शरीफ अस्पताल भेजे जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी । अतः, घटनास्थल भी संदेहास्पद हो जाता है । अभियोजन की ओर से एक अन्य गंभीर चूक यह है कि औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं किया गया है । साक्षियों के साक्ष्य में एक अन्य विसंगति/विरोधाभास यह है कि क्या मृतक सरोज खड़ा था या झुका हुआ था या भार वहन कर रहा था या एक दिशा की ओर जा रहा था जब उस पर गोली चलाई गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटनास्थल पर अभिलिखित किया गया था तथापि, प्रतिकूलतः अभियोजन साक्षियों का यह कहना है कि फर्द बयान पुलिस थाने में अभिलिखित किया गया था, यद्यपि, अन्वेषक अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि फर्द बयान मोसीमगंज में अभिलिखित किया गया था । एक अन्य विसंगति/विरोधाभास यह है कि फर्द बयान में इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि इसमें अपीलार्थी द्वारा गोली चलाने से सरोज को लगने के पश्चात्, शेष अभियुक्त व्यक्तियों ने धुंआधार गोली चलानी शुरू कर दी तथापि, अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त आशय का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया । एक अन्य विसंगति यह है कि अन्वेषक अधिकारी अर्थात् अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि उसे घटना के बारे में मदन प्रसाद (अभि. सा. 4) द्वारा सूचित किया गया लेकिन सभी अभियोजन साक्षियों ने यह

कहा कि चौकीदार द्वारा घटना के बारे में सूचना दिए जाने पर पुलिस पहुंची थी । इसके अतिरिक्त सरोज प्रसाद के शव की मरणोत्तर परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने यह नहीं बताया कि मृतक के शव पर गोली के प्रवेश से हुआ घाव कहां स्थित था । इसके परिणामस्वरूप, मृतक की छाती पर हुई बंदूक की गोली की क्षति की संपुष्टि का कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं था, जो अभियोजन की ओर से एक गंभीर चूक है जो चिकित्सा साक्ष्य से प्रत्यक्ष साक्ष्य का कोई पुष्टिकरण नहीं प्रदान करता । इसमें अपीलार्थी और अन्य लोगों को झूठा फंसाने का हेतुक भी स्पष्ट है अर्थात्, इसमें अपीलार्थी के पिता की हत्या की गई थी और उक्त मामले में मृतक, उसका पिता और भाई और गांव का मुखिया अर्थात् मदन प्रसाद (अभि. सा. 4) अभियुक्त हैं ।

23. संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने और अभिलेख पर सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि अभिलिखित घटनास्थल भी संदेहास्पद है और सभी साक्षियों के साक्ष्य विरोधाभासों से पूर्ण हैं और उनकी विश्वसनीयता प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान दोषपूर्ण है । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे मामले को साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर लाया गया है । अतः, न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित नहीं किया और इस प्रकार अपीलार्थी संदेह का फायदा पाने के पात्र हैं ।

24. तद्नुसार, 2007 के सेशन विचारण सं. 754 में पारित क्रमशः तारीख 27 जनवरी, 2012 और 31 जनवरी, 2012 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है ।

25. चूंकि, अपीलार्थी अभिरक्षा में है, उसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया गया है, तत्काल मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में अपेक्षा न हो ।

अपील मंजूर की गई ।

पा.

जगदीश वलेचा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 4 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति राजेन्द्र महाजन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 420, 406 और 506 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति – छल और आपराधिक न्यास-भंग का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के साथ रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए करार किया जाना – संदाय में व्यतिक्रम – अभियुक्त के कर्मचारियों का फरार हो जाना – साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए शिकायतकर्ताओं के साथ लिखित करार निष्पादित किया है और इसके पश्चात् उन्होंने शिकायतकर्ताओं को रकम का संदाय नहीं किया है तथा उनके कर्मचारी कार्यस्थल से फरार भी हुए हैं ऐसी स्थिति में दांडिक कार्यवाहियों को मात्र इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि मामले के निपटारे के लिए सिविल उपचार उपलब्ध है, अतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित नहीं की जा सकती ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य जिनके आधार पर याचिका फाइल की गई है, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तारीख 5 मई, 2016 को शिकायतकर्ता यतेन्द्र सिंह चौहान, जो इस मामले में प्रत्यर्थी 5 है, ने पुलिस थाना महाराजपुर, ग्वालियर में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसमें यह कथन किया कि वह मैसर्स यतेन्द्र चौहान कांट्रेक्टर्स एंड सप्लायर्स का स्वामी है । याची जगदीश वलेचा और उसका भाई दिनेश वलेचा, वलेचा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (जिसे संक्षेप में "कंपनी" कहा गया है) के निदेशक हैं । कपिल वलेचा और करन वलेचा याची के पुत्र हैं । एम. एच. मेहता इस कंपनी का महाप्रबंधक है । तारीख 10 अक्तूबर, 2014 को कंपनी की ओर से एम. एच. मेहता ने अपने निवास डी. एच. 89 डी. डी. नगर, ग्वालियर में उसके साथ एक लिखित करार निष्पादित किया । इस करार के अनुसार उसे 250000 मीट्रिक टन रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति कंपनी के निर्माणास्थल पर करनी थी क्योंकि इस कंपनी को उस समय इटावा मैनपुरी पुरावली मार्ग पर

चार-लेन वाली सड़क के निर्माण का कांट्रेक्ट मिला था । इस करार के अनुसार उसने नवंबर-दिसंबर, 2014 और जनवरी, 2015 के दौरान 68 लाख रुपए की कीमत का रोड़ी-बदरपुर भेजा । कंपनी ने केवल उक्त रकम में से 10 लाख रुपए का संदाय किया । कंपनी ने एम. एच. मेहता को दो चैक नं. 69999 और 993058 दिए । इन दोनों चैकों का कंपनी के बैंक में अनादरण हो गया । कंपनी के निदेशक और कर्मचारी निर्माणाधीन स्थल से फरार हो गए । नवीन बजाज नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस थाना झांसी रोड, ग्वालियर में इस कंपनी द्वारा कारित इसी प्रकार के अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उस मामले में, पुलिस ने दिनेश वलेचा को मुम्बई से गिरफ्तार किया । जब उसे ग्वालियर लाया गया, वह बीना रेलवे स्टेशन पर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया । अब ऊपर कथित व्यक्ति शिकायतकर्ताओं के साथ गाली-गलौज करने लगे और फोन पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे । शिकायत किए जाने पर पुलिस थाना महाराजपुर, ग्वालियर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 155/2016 दर्ज कराई गई और दिनेश वलेचा, कपिल वलेचा और करण वलेचा को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 406, 506 और 294 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त बनाया गया । याची ने यह याचिका पुलिस थाना महाराजपुर, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत किए गए अपराध मामला सं. 155/2016 के आधार पर दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को, जो याची और अन्य तीन अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 420, 406, 506, 294 और 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, अभिखंडित कराने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन फाइल की गई है । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और याची दिनेश वलेचा, कपिल वलेचा और करन वलेचा के विरुद्ध उपरोक्त पुलिस थानों में दर्ज की गईं ऊपर कथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर मेरा यह निष्कर्ष है कि एक जैसी प्रकृति के लगभग एक ही समय पर कारित किए गए अपराधों के लिए उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्टें और इन मामलों में किए गए अभियोगों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए शिकायतकर्ताओं के साथ लिखित करार निष्पादित किया था और इसके पश्चात् उन्होंने शिकायतकर्ताओं को रकम का संदाय नहीं किया और वे तथा उनके कर्मचारी ऊपर कथित

कार्यस्थल से फरार हो गए । यदि उपरोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्टों की अन्तर्वस्तु और दिनेश वलेचा के पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने पर एक साथ विचार किया जाए, तब मेरा यह निष्कर्ष है कि आपराधिक न्यास-भंग और छल कारित किए जाने के अपराध के अवयव प्रथमदृष्ट्या पूरे होते हैं जैसा कि दंड संहिता की धारा 405 और 415 में परिभाषित है और ये अपराध दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन संज्ञेय अपराध हैं । तथापि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा पहले यह विनिश्चित किया जाना चाहिए और बाद में न्यायालय द्वारा कि याची द्वारा इन दोनों अपराधों में से कौन सा अपराध कारित किया गया है । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले का विवाद पूर्णतया सिविल प्रकृति का है । एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि दांडिक कार्यवाहियों को मात्र इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि मामले के निपटारे के लिए सिविल उपचार उपलब्ध है । याची की ओर से दी गई दलीलों के लिए यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि याची और शिकायतकर्ता के बीच विवाद सिविल प्रकृति का है, इसके बावजूद वर्तमान मामले में याची के विरुद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, उपरोक्त निर्णय-विधि को दृष्टिगत करते हुए अभिखंडित नहीं की जा सकती । (पैरा 8)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2008] (2008)4 क्राइम्स 10 मध्य प्रदेश :
वी. सी. राम सुकाएश और अन्य बनाम
मध्य प्रदेश राज्य और अन्य । 8

निर्दिष्ट निर्णय

[2016] (2016) 1 एस. सी. सी. 348 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 2402 :
इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स (ए. आर. सी. आई.) और अन्य बनाम **निमरा सरग्लास टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य** ; 3

[2015] (2015) 11 एस. सी .सी. 260 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 704 :
तारामणि पारख बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** ; 8

[2014] (2014) 3 एस. सी .सी. 2015 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2567 :
ऋषिपाल सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 9.4

[2014] (2014) 13 एस. सी .सी. 437 :
पंजाब राज्य द्वारा गृह सचिव बनाम
सुभाष कुमार और अन्य ; 9.6

[2014] (2014) 10 एस. सी .सी. 616 :
एन. सुन्दरम बनाम **पी. के. पौनराज और एक अन्य** ; 9.5

[2013] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2753 :
प्रशान्त भारती बनाम **राष्ट्रीय राजधानी**
राज्यक्षेत्र, दिल्ली ; 8

[2012] (2012) 3 एस. सी .सी. 132 :
ली-कुन-ही प्रेसीडेंट, सेमसंग कारपोरेशन,
साउथ कोरिया और अन्य बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ; 4

[2012] (2012) 9 एस. सी .सी. 460 :
अमित कपूर बनाम **रमेश चन्द्र** ; 8

[2006] 2006 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (एस. सी.) 63 :
उड़ीसा राज्य और एक अन्य बनाम
सरोज कुमार साहू ; 9.1

[2004] 2004 एम. सी. आर. सी. 1942 :
वोलफांग रेन और अन्य बनाम **राज्य और एक अन्य** ; 3

[1992] ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 :
हरियाणा राज्य और अन्य बनाम **चौधरी भजनलाल और अन्य** ; 3

[1983] (1983) 1 एस. सी. सी. 1 =
ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 67 :
दिल्ली नगर निगम बनाम **रामकिशन रोहतगी** ; 9.2

[1982] (1982) 1 एस. सी. सी. 561 =
ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949 :
पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम **स्वपन कुमार गुहा** ; 9.2

[1977] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2229 =
(1977) 4 एस. सी. सी. 451 :
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम
हरियाणा राज्य और एक अन्य । 9.1

आदेश

याची ने यह याचिका पुलिस थाना महाराजपुर, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत किए गए अपराध मामला सं. 155/2016 के आधार पर दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को, जो याची और अन्य तीन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 420, 406, 506, 294 और 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, अभिखंडित कराने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन फाइल की गई है ।

2. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य जिनके आधार पर याचिका फाइल की गई है, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तारीख 5 मई, 2016 को शिकायतकर्ता यतेन्द्र सिंह चौहान, जो इस मामले में प्रत्यर्थी 5 है, ने पुलिस थाना महाराजपुर, ग्वालियर में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसमें यह कथन किया कि वह मैसर्स यतेन्द्र चौहान कांट्रेक्टर्स एंड सप्लायर्स का स्वामी है । याची जगदीश वलेचा और उसका भाई दिनेश वलेचा, वलेचा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (जिसे संक्षेप में "कंपनी" कहा गया है) के निदेशक हैं । कपिल वलेचा और करन वलेचा याची के पुत्र हैं । एम. एच. मेहता इस कंपनी का महाप्रबंधक है । तारीख 10 अक्तूबर, 2014 को कंपनी की ओर से एम. एच. मेहता ने अपने निवास डी. एच. 89 डी. डी. नगर, ग्वालियर में उसके साथ एक लिखित करार निष्पादित किया । इस करार के अनुसार उसे 250000 मीट्रिक टन रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति कंपनी के निर्माणास्थल पर करनी थी क्योंकि इस कंपनी को उस समय इटावा मैनपुरी पुरावली मार्ग पर चार-लेन वाली सड़क के निर्माण का कांट्रेक्ट मिला था । इस करार के अनुसार उसने नवंबर-दिसंबर, 2014 और जनवरी, 2015 के दौरान 68 लाख रुपए की कीमत का रोड़ी-बदरपुर भेजा । कंपनी ने केवल उक्त रकम में से 10 लाख रुपए का संदाय किया । कंपनी ने एम. एच. मेहता को दो चैक नं. 69999 और 993058 दिए । इन दोनों चैकों का कंपनी के बैंक में अनादरण हो गया । कंपनी के निदेशक और कर्मचारी निर्माणाधीन स्थल से फरार हो गए । नवीन बजाज नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस थाना झांसी रोड, ग्वालियर में इस कंपनी द्वारा कारित इसी प्रकार के अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उस मामले में, पुलिस ने दिनेश वलेचा को मुम्बई से गिरफ्तार किया । जब उसे

ग्वालियर लाया गया, वह बीना रेलवे स्टेशन पर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया । अब ऊपर कथित व्यक्ति शिकायतकर्ताओं के साथ गाली-गलौज करने लगे और फोन पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे । शिकायत किए जाने पर पुलिस थाना महाराजपुर, ग्वालियर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 155/2016 दर्ज कराई गई और दिनेश वलेचा, कपिल वलेचा और करण वलेचा को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 406, 506 और 294 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त बनाया गया ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार एम. एच. मेहता ने रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए कंपनी की ओर से एक करार निष्पादित किया । पुलिस ने उसे इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया है जब कि वह मुख्य अभियुक्त है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि शिकायतकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि कंपनी ने उसे शोध्य रकम के प्रति दो चैक जारी किए थे परन्तु उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में केवल चैक नम्बरों का उल्लेख किया है और उस तारीख का उल्लेख नहीं किया है जिसमें वे जारी किए गए थे और न ही दोनों चैकों मे रकम का उल्लेख किया गया है, आहरण बैंक, चैक के हस्ताक्षरी के नाम और अनादरण की तारीख का भी उल्लेख नहीं किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि कपिल वलेचा और करन वलेचा न तो कंपनी के निदेशक हैं और न ही कर्मचारी । उन्होंने यह भी दलील दी है कि शिकायतकर्ता ने उनके विरुद्ध गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में निराधार अभिकथन किए हैं क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किन टेलीफोन नम्बरों से किस तारीख को और किस समय फोन पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियां दी गई थीं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि शिकायतकर्ता ने कपिल वलेचा और करन वलेचा को इस मामले में दुर्भावनापूर्ण हेतु के साथ याची और दिनेश वलेचा पर बकाया रकम का संदाय करने के हेतु दबाव डालने के लिए अभियुक्त बनाया है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तनिक भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे प्रथमदृष्ट्या यह साबित होता हो कि करार के निष्पादन के पूर्व याची और दिनेश वलेचा का आशय उसके साथ छल और आपराधिक न्यास-भंग करना था । उन्होंने यह भी दलील दी है कि कंपनी और शिकायतकर्ता के बीच वास्तव में यह विवाद है कि उसने रोड़ी-बदरपुर कंपनी को निम्न कोटि का भेजा था जिसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा मांगी गई रकम का संदाय नहीं किया गया । इस प्रकार, शिकायतकर्ता और अभियुक्तों के बीच धनीय विवाद है जो कि मात्र सिविल प्रकृति का है । इस प्रकार, दंड संहिता की

धारा 420 (छल), धारा 406 (आपराधिक न्यास-भंग), धारा 294 (अश्लील कार्य) और धारा 506(आपराधिक अभित्रास) के अधीन कोई भी अपराध नहीं बनता है । अतः, याची के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित की जाए । अपनी दलील के समर्थन ने विद्वान् काउंसेल ने **हरियाणा राज्य और अन्य** बनाम **चौधरी भजनलाल और अन्य**[1], **इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स (ए. आर. सी. आई.) और अन्य** बनाम **निमरा सरग्लास टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य**[2], **वोलफांग रेन और अन्य** बनाम **राज्य और एक अन्य**[3] वाले मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय और कुछ आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं तथा बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आदेश कुछ ऐसे मामलों में पारित किए गए हैं जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

4. इसका उत्तर देते हुए शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि सुसंगत समय में ऐसा ही अपराध याची दिनेश वलेचा, कपिल वलेचा और करन वलेचा तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना विश्वविद्यालय, ग्वालियर में मामला सं. 98/2016, पुलिस थाना झांसी रोड मेन मामला सं. 315/2015 और पुलिस थाना सिविल लाइन इटावा में मामला सं. 103/2015 के अनुसार दर्ज किया गया । इन सभी मामलों में उनके विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं के साथ रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति करने के लिए करार निष्पादित किए थे और इसके पश्चात् उन्होंने संदाय नहीं किया और वे और उनके कर्मचारी कार्यस्थल से फरार हो गए । विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि पुलिस थाना विश्वविद्यालय के पुलिस अधिकारियों ने दिनेश वलेचा को मामला सं. 98/2016 में मुंबई से गिरफ्तार किया । जब उसे पुलिस द्वारा लाया गया, तब वह बीना रेलवे स्टेशन से पुलिस अभिरक्षा तोड़कर फरार हो गया था । इस पर इस अभियुक्त के विरुद्ध मामला सं. 355/2015 जी. आर. पी. पुलिस थाना बीना में दंड संहिता की धारा 224 के अधीन दर्ज किया गया । उन्होंने यह भी दलील दी है कि ऊपर कथित पुलिस थानों में शिकायतों के आधार पर उपरोक्त मामलों के दर्ज कराए जाने से प्रथमदृष्ट्या यह साबित होता है कि याची और अन्य तीन अभियुक्तों का आशय शिकायतकर्ता के

---

[1] ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.

[2] (2016)1 एस. सी. सी. 348 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 2402.

[3] 2004 एम. सी. आर. सी. 1942.

साथ लिखित करार के निष्पादन के समय छल करना था या आपराधिक न्यास-भंग करना था जिसमें एम. एच. मेहता ने कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में भाग लिया था । उन्होंने यह भी दलील दी है कि याची ने पुलिस थाना विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने मामला सं. 98/2016 में उसके और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए प्रकीर्ण आवेदन सं. 8307/2016 भी फाइल किया । इस न्यायालय की समन्वित न्यायपीठ में तारीख 27 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा उसकी याचिका खारिज कर दी जिसमें याची की ओर से लगभग उसी प्रकार दलीलें दी गई थीं जो वर्तमान मामले में दी गई हैं । उन्होंने यह भी दलील दी है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है और इसके दौरान शिकायतकर्ता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित चैकों के ब्यौरे अन्वेषण अधिकारी को देगा और इस संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा कि वर्तमान मामले के याची और अन्य अभियुक्तों ने उसके साथ लिखित करार निष्पादित करने के लिए किस प्रकार दुर्भावनापूर्ण इरादा किया था और किस प्रकार गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी जब उन्होंने बकाया राशि के भुगतान के लिए कहा था । काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि दांडिक कार्रवाइयों को मात्र इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि उसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि याची को अन्वेषण अधिकारी के समक्ष यह साबित करने का अवसर प्राप्त था कि वर्तमान मामले में जो विवाद है वह पूर्णतया सिविल प्रकृति का है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि यदि अन्वेषण अधिकारी वर्तमान मामले में आरोप पत्र फाइल कर देता है, इसके पश्चात् याची को यह अवसर प्राप्त होगा कि वह विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का समाधान कर सके । उन्होंने यह भी दलील दी है कि यह सत्य है कि वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कंपनी के महाप्रबंधक एम. एच. मेहता के विरुद्ध दर्ज नहीं कराई गई है । तथापि, अन्वेषण अधिकारी उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बना सकता है यदि अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रकट होता है । इस पृष्ठभूमि के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि पुलिस ने उसे अभियुक्त नहीं बनाया है, इसलिए याची इस बात के लिए हकदार है कि वह उसके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करा सके । उन्होंने अंत मैं यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में अनवेषण पूरा करने के

पश्चात् यह विनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या यह मामला छल कारित करने या आपराधिक न्यास-भंग करने या मात्र संविदा का भंग है । इन दलीलों के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **ली-कुन-ही प्रेसीडेंट, सेमसंग कारपोरेशन, साउथ कोरिया और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] और **वी. सी. राम सुकाएश और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[2] वाले मामलों में किए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया है ।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक ने शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का समर्थन किया है ।

6. इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि कपिल वलेचा और करन वलेचा ने वर्तमान मामले में उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित कराने के लिए संयुक्त रूप से प्रकीर्ण आवेदन सं. 8773/2016 फाइल किया है जिसका साथ ही अलग से विनिश्चय किया जा रहा है ।

7. मैंने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई परस्पर विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत सम्पूर्ण सामग्री और उद्धृत की गई निर्णय विधि का परिशीलन किया है ।

8. वर्तमान मामले में की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और याची दिनेश वलेचा, कपिल वलेचा और करन वलेचा के विरुद्ध उपरोक्त पुलिस थानों में दर्ज की गईं ऊपर कथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर मेरा यह निष्कर्ष है कि एक जैसी प्रकृति के लगभग एक ही समय पर कारित किए गए अपराधों के लिए उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्टें और इन मामलों में किए गए अभियोगों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने रोड़ी-बदरपुर की आपूर्ति के लिए शिकायतकर्ताओं के साथ लिखित करार निष्पादित किया था और इसके पश्चात् उन्होंने शिकायतकर्ताओं को रकम का संदाय नहीं किया और वे तथा उनके कर्मचारी ऊपर कथित कार्यस्थल से फरार हो गए । यदि उपरोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्टों की अन्तर्वस्तु और दिनेश वलेचा के पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने पर एक साथ विचार किया जाए, तब मेरा यह निष्कर्ष है कि आपराधिक न्यास-भंग और छल कारित किए जाने के अपराध के अवयव प्रथमदृष्ट्या पूरे होते हैं जैसा कि दंड संहिता की

---

[1] (2012) 3 एस. सी. सी. 132.

[2] (2008) 4 क्राइम्स 10 मध्य प्रदेश.

धारा 405 और 415 में परिभाषित है और ये अपराध दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन संज्ञेय अपराध हैं । तथापि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा पहले यह विनिश्चित किया जाना चाहिए और बाद में न्यायालय द्वारा कि याची द्वारा इन दोनों अपराधों में से कौन सा अपराध कारित किया गया है । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले का विवाद पूर्णतया सिविल प्रकृति का है । इस प्रकार, **हरियाणा राज्य** (उपरोक्त), **अमित कपूर** बनाम **रमेश चन्द्र**[1], **तारामणि पारख** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[2] और **प्रशान्त भारती** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली**[3] वाले मामलों में किए गए उच्च न्यायालय विनिश्चयों द्वारा अधिकथित मानदण्ड प्रथम इत्तिला रिपोर्टें और शिकायतें अभिखंडित कराने के लिए वर्तमान मामले में याची के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए लागू नहीं होंगे । इस न्यायालय ने **वी. सी. राम सुकाएश** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि दांडिक कार्यवाहियों को मात्र इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि मामले के निपटारे के लिए सिविल उपचार उपलब्ध है । याची की ओर से दी गई दलीलों के लिए यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि याची और शिकायतकर्ता के बीच विवाद सिविल प्रकृति का है, इसके बावजूद वर्तमान मामले में याची के विरुद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, उपरोक्त निर्णय-विधि को दृष्टिगत करते हुए अभिखंडित नहीं की जा सकती ।

9. अन्वेषण के आरंभ के प्रक्रम पर ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने के लिए विधिक स्थिति को अधिकथित करने के संबंध में निम्न नजीरें प्रस्तुत की गई हैं ।

9.1 **कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य**[4] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> अन्तर्निहित शक्तियों का अर्थ उच्च न्यायालय का अपनी इच्छानुसार मनमानी अधिकारिता का प्रयोग करना नहीं है । इस कानूनी

---

[1] (2012) 9 एस. सी. सी. 460.

[2] (2015) 11 एस. सी. सी. 260 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 704.

[3] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2753.

[4] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2229 = (1977) 4 एस. सी. सी. 451.

शक्ति का प्रयोग अत्यंत किफायत से और विरल से विरलतम मामलों में ही प्रत्येक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए किया जाना चाहिए । इस प्रकार, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ऐसी स्थिति में अभिखंडित नहीं कर सकता जब पुलिस ने अन्वेषण आरंभ न किया हो और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही लंबित न हो ।

ऐसा ही मत उच्चतम न्यायालय द्वारा **उड़ीसा राज्य और एक अन्य** बनाम **सरोज कुमार साहू**[1] और इस न्यायालय ने **वी. सी. राम सुकाएश** (उपरोक्त) वाले मामलों में व्यक्त किया गया है ।

9.2 **दिल्ली नगर निगम** बनाम **रामकिशन रोहतगी**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत अभियोजन को विचलित किए जाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए जब तक कि आबद्धकारी परिस्थितियां न हो । अभिकथन और शिकायत पर यूं ही विचार करने पर, बिना कुछ जोड़े और घटाए, यदि कोई अपराध नहीं बनता है तब उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके कार्यवाहियां न्यायोचित रूप से अभिखंडित कर सकता है ।

9.3. **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **स्वपन कुमार गुहा**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 65 और 66 में इस बात पर बल दिया कि उच्च न्यायालय आमतौर पर अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अभिकथित अपराध में जांच पूरी किए जाने की अनुमति देगा और इस संबंध में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है :–

65. अन्वेषण उस अपराध को सिद्ध करने और उसे साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के प्रयोजनार्थ किया जाता है जो

---

[1] (2006) क्रिमिनल ला रिपोर्टर (एस. सी.) 63.

[2] (1983) 1 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 67.

[3] (1982) 1 एस. सी. सी. 561 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949.

तथ्यों से प्रकट होता है । जब कोई अपराध प्रकट होता है, न्याय के हित में अन्वेषण किया जाना अपराध सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु और अभियुक्त को अपराध से संबद्ध करने के लिए आवश्यक हो जाता है । किसी ऐसे मामले में समुचित अन्वेषण न किए जाने पर जिसमें कोई अपराध कारित हुआ प्रकट होता है, अपराधी कानूनी कार्यवाही से बचकर भागने में सफल हो सकता है और इस प्रकार अपराधी को दंड नहीं दिया जा सकेगा जो कि न्याय और समाज के हित में नहीं होगा । न्याय के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि जिस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है उसे अभियुक्त बनाया जाना चाहिए और उस अपराध के लिए उसे दंडादिष्ट भी किया जाना चाहिए । यदि न्यायालय ऐसे किसी मामले में समुचित अन्वेषण किए जाने में हस्तक्षेप करता है जिसमें अपराध का कारित होना प्रकट होता है, तब उस अपराध में दंड नहीं दिया जा सकेगा और इससे समाज कल्याण के प्रति घोर अन्याय होगा और न्याय का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा । यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायालय आमतौर पर ऐसे किसी मामले में किए जा रहे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करता है जिसमें अपराध घटित होना प्रतीत होता है ।

66. कोई अपराध प्रकट होता है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है । यदि सुसंगत सामग्री पर विचार करने पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपराध बनता है, तब न्यायालय उस अपराध से संबंधित अन्वेषण कार्यवाही में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा और सामान्यतया अपराध साबित करने हेतु सामग्री जुटाने के लिए अन्वेषण पूरा किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करेगा ।

9.4 **ऋषिपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्वेषण के आरंभ में ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने की कड़ी निन्दा की है और यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रक्रम पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट केवल तब अभिखंडित की जा सकती है जब उसमें निर्विवाद ऐसे कथन किए गए हों जिनसे कोई भी अपराध नहीं बनता हो ।

---

[1] (2014) 3 एस. सी. सी. 2015 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2567.

9.5 हाल ही में **एन. सुन्दरम** बनाम **पी. के. पौनराज और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग विधिसम्मत अभियोजन में रुकावट पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

9.6 **पंजाब राज्य द्वारा गृह सचिव** बनाम **सुभाष कुमार और अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय मात्र मामले के तथ्यों के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित नहीं कर सकता । ऐसे प्रक्रम पर जब मामला अन्वेषणाधीन हो, उच्च न्यायालय अन्वेषण अभिक्रम के रूप में कार्य नहीं कर सकता ।

10. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्तमान मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से प्रथमदृष्ट्या याची द्वारा संज्ञेय अपराधों का कारित होना प्रकट होता है । वर्तमान मामले की केस डायरी का परिशीलन करने पर यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि अन्वेषण आरंभ के ही प्रक्रम पर है । अतः, ऊपर कथित निर्णय विधि को दृष्टिगत करते हुए, यह न्यायालय वर्तमान मामले में अन्वेषण किए जाने को अनुज्ञात करने के लिए आबद्ध है और इस मामले में अन्वेषण करने से संबंधित पुलिस की शक्ति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

11. पूर्वगामी कारणों और चर्चा के आधार पर मेरा यह अन्तिम निष्कर्ष है कि जहां तक याची का संबंध है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने का कोई आधार नहीं है । अतः, इस याचिका में कोई सार नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है, अतः तद्नुसार खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

अस.

---

[1] (2014) 10 एस. सी. सी. 616.

[2] (2014) 13 एस. सी. सी. 437.

महेन्द्र सैनी

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 19 अप्रैल, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति जी. आर. मूलचंदानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – हत्या – घटना के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का दर्ज कराया जाना किन्तु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में विलंब – अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही – साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियुक्तों और उनके दो साथियों को घटना घटित होने के 10 घंटे के भीतर ही मृतक पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया है, अतः इसे रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब नहीं अपितु इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत किया जाना कहा जाएगा जोकि केवल अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही है जिससे प्रतिरक्षा पक्ष को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 156 – अन्वेषण अधिकारी की शक्ति – अपराध में प्रयोग किए गए आयुध का अभिग्रहण – अपराध के तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर ही अभियुक्त का पकड़ा जाना – प्रकटीकरण कथन के आधार पर आयुध की बरामदगी का असंभव पाया जाना – अभियुक्त रतनलाल को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और उसके पश्चात् वह पुलिस अभिरक्षा में ही रहा अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने आयुध छिपाया था और उसके प्रकटीकरण कथन के आधार पर आयुध की बरामदगी की गई है, इसे केवल अन्वेषण अधिकारी की हितबद्धता कहा जा सकता है जिससे अभियुक्त को कोई लाभ नहीं हो सकता और उसकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 100 – आत्मरक्षा का अभिवाक् – अभियुक्त द्वारा मृतक के घर में प्रवेश किया जाना – घर के सदस्य द्वारा अभियुक्त का घटनास्थल पर ही पकड़ा जाना – प्रतिरोध के कारण

अभियुक्त के शरीर पर साधारण क्षतियों की संभावना – अभियुक्तों ने मृतक के मकान में आक्रामक दल के रूप में प्रवेश किया है और उनका प्रतिरोध किए जाने पर उन्हें क्षतियां कारित हो सकती हैं जिनकी प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि क्षतियां घातक या गंभीर नहीं हैं और इसे खुली लड़ाई नहीं कहा जा सकता, अतः आत्मरक्षा का अभिवाक् किया जाना न्यायोचित नहीं है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 34 – हत्या – सामान्य आशय – अभियुक्तों द्वारा आहत के परिवार पर सामान्य आशय के साथ तलवार और अग्न्यायुध से हमला किया जाना – अभियुक्तों द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर उन्हें साधारण क्षति कारित होना – प्रतिरोध के दौरान मृतक के वक्ष पर अत्यंत निकट से गोली लगना – चार हमलावरों ने मृतक के मकान में हथियारों से लैस होकर प्रवेश किया और दो अग्न्यायुधों से गोली चलाई गई जिनमें से एक गोली मृतक के वक्ष पर सीधे जाकर लगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, अतः अपीलार्थियों के अपराध की पुष्टि होती है ।

अपराध विधि के अधीन तारीख 28 जून, 2010 को लगभग 3.15 बजे पूर्वाह्न में कार्यवाही की गई जब महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (दक्षिण) पहुंचा और उसने वहां पर एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी. 1) प्रस्तुत की । शिकायत (प्रदर्श पी. 1) का सारांश इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता की आयु 18 वर्ष है और वह नाहर की धानी का निवासी है जो ज्वाला माता मंदिर, चरन नदी-II के निको स्थित है, तारीख 28 जून, 2010 को लगभग 12.30-1.00 बजे पूर्वाह्न में महेन्द्र सैनी, रतनलाल और उनके दो साथियों ने दीवार कूदकर उनके घर में प्रवेश किया, शोर सुनकर वह और उसके परिवार के सदस्य जाग गए और उन्होंने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जिस पर उन व्यक्तियों ने तलवारों से और गोली चलाकर घरवालों पर हमला किया, उक्त चारों व्यक्तियों ने उसके भाई सुरेश पर उसकी हत्या के आशय से गोली चलाई, उसका भाई सुरेश इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गया, उक्त चारों व्यक्ति यह सोचकर उनके घर से भाग गए कि उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, उसके भाई सुरेश की मृत्यु एस. एम. एस. अस्पताल में उपचार के दौरान हुई, वह रतनलाल और महेन्द्र को अच्छी तरह जानता है और अन्य दो व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकता है, तारीख 28 जून, 2010 से एक मास पूर्व महेन्द्र उसकी

बहिन ममता सैनी को भगाकर ले गया था और महेन्द्र ने अपने साथियों के साथ उक्त शत्रुता को लेकर यह हमला किया । लिखित शिकायत (प्रदर्श पी. 1) के प्रस्तुत किए जाने पर, उक्त निरीक्षक दिनेश कुमार ने महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) से पूछताछ की जिसने बताया कि वह और उसके परिवार के सदस्यों ने घटना के समय रतनलाल को पकड़ लिया था, उक्त घटना के दौरान रतनलाल क्षतिग्रस्त हुआ था और उन्होंने रतनलाल को घटनास्थल पर ही मौजूद पुलिस अधिकारी को सौंप दिया था । उपरोक्त कथन (प्रदर्श पी. 1) के आधार पर दंड संहिता की धारा 302/460 और आयुध अधिनियम की धारा 25/3 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (दक्षिण) में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 251/2010 (प्रदर्श पी. 2) दर्ज कराई गई । विचारण न्यायालय ने तीनों अपीलार्थियों को निम्नलिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया – (क) अपीलार्थी महेन्द्र सैनी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 460 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन इस अपीलार्थी को आजीवन कारावास और 7,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, दंड संहिता की धारा 460 के अधीन इस अपीलार्थी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन अपराध के लिए इस अपीलार्थी को एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । (ख) अपीलार्थी विनोद सैनी को दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 460 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है । इस अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है, दंड संहिता की धारा 460 के अधीन इस अपीलार्थी को 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 2,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए 6 मास का साधारण कारावास भोगने और 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर

अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । (ग) अपीलार्थी रतनलाल को दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 460 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । इस अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, दंड संहिता की धारा 460 के अधीन अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए जुर्माने तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए 6 मास के साधारण कारावास और 500/- रुपए जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर तीनों अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रश्नगत घटना रात्रि 10.30-1.00 बजे के बीच तारीख 28 जून, 2010 को घटित हुई थी । हमारे समक्ष अनधिकक्षेपनीय साक्ष्य है कि मृतक के पिता रतनलाल (अभि. सा. 2) ने अभियुक्त महेन्द्र और रतनलाल और अन्य दो साथियों को तारीख 28 जून, 2010 को रात्रि लगभग 10.30 बजे मृतक पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया है । ऐसी स्थिति होने पर इस संभावना से पूर्णतया इनकार किया जा सकता है कि मृतक के परिवार को यह अवसर प्राप्त हो गया था कि वे अभियुक्तों को मिथ्या फंसाकर बदला लें क्योंकि यह सिद्ध हो गया है कि रतनलाल (अभि. सा. 2) ने अभियुक्त महेन्द्र, रतनलाल और अन्य दो साथियों को घटना घटित होने के 10 घंटे के भीतर मृतक पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया है और यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही के कारण इलाका मजिस्ट्रेट को विलंब से भेजी गई थी । (पैरा 50)

अब न्यायालय दूसरी दलील पर विचार करेंगे । यह स्वीकार किया गया है कि दी गई दलीलों में सार है । यह स्पष्ट रूप से ऐसा मामला है जिसमें अन्वेषण अधिकारी ने अत्यधिक हितबद्धता से काम लिया है जिसके कार्य में कोई भी बुद्धिमत्ता दिखाई नहीं देती है और उसने अभियुक्त रतनलाल के विरुद्ध साक्ष्य गढ़ने का प्रयास किया है । अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान ही नहीं दिया है कि रतनलाल को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया था और वह पुलिस अभिरक्षा में रहा था । किन्तु अन्वेषण में आई त्रुटि और अन्वेषण अधिकारी के पक्षपाती कृत्य से न्यायालय केवल

खिन्न ही हुआ है । अभिलेख पर यह भी साक्ष्य है कि रतनलाल को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया था । इसका यह अर्थ हुआ कि वह तारीख 27-28 जून, 2010 की मध्यरात्रि में मृतक के घर में था । रतनलाल ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया है कि अर्धरात्रि में मृतक के घर में क्यों मौजूद था और इसीलिए इस बात से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता । (पैरा 51)

विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई चौथी दलील सुसंगत है क्योंकि यह स्वतंत्र अधिकार या आत्म-प्रतिरक्षा का मामला है । इस मामले में, अभियुक्तों ने मकान में आक्रामक दल के रूप में प्रवेश किया । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तों का प्रतिरोध किए जाने के कारण उन्हें (अभियुक्त) क्षतियां कारित हो सकती हैं । इसके अतिरिक्त ये क्षतियां न तो घातक हैं और न ही गंभीर हैं, अतः, अभियोजन पक्ष ने इनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं समझा है । (पैरा 55)

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक अपना पक्षकथन सिद्ध किया है जो अन्यथा भी अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान साबित किया गया है कि चार हमलावर ममता का व्यपहरण करने के लिए मृतक के मकान में घुसे थे । चूंकि वे घातक हथियारों से लैस थे इसलिए, यह सिद्ध होता है कि उनका सामान्य आशय ममता के घर में मौजूद सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध को विफल बनाना था ताकि सभी अभियुक्तों का हेतु पूरा हो सके । अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब ममता के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिरोध किया गया था तब दो अग्न्यायुधों से गोली चलाई गई थी जिनमें से एक गोली अत्यंत निकट से चलाई गई थी जो सीधे जाकर मृतक के नाजुक अंग अर्थात् वक्ष पर लगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अतः, चारों हमलावर जिनमें से तीन हमलावर अपीलार्थी हैं और दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दायी हैं । अन्य अपराधों के लिए भी पुष्टि की जाती है । (पैरा 61)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2001]	(2001) 3 एस. सी. सी. 673 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1344 : **सुरेश और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	58

[2000] (2000) 4 एस. सी. सी. 484 =
ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1833 :
जसवंत सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 52

[2000] (2000) 4 एस. सी. सी. 110 =
ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1436 :
सुरेन्दर चौहान बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 60

[1988] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 863 :
हरे कृष्ण और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 56

[1973] (1973) 1 एस. सी. सी. 512 =
ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 863 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **इफ्तखार खान और अन्य** । 59

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 634.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), सं. 2, जयपुर द्वारा तारीख 4 नवंबर, 2012 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सुरेश साहनी, एम. शर्मा और आर. एस. भारद्वाज

प्रत्यर्थी की ओर से श्री बी. एन. सांडू (अपर महाधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग ने दिया ।

मु. न्या. नंदराजोग – तीनों अपीलें विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. 2, जयपुर मेट्रोपोलिटन, जयपुर द्वारा तारीख 4 नवंबर, 2011 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा अपीलार्थियों को निम्नलिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :–

(क) अपीलार्थी महेन्द्र सैनी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 302 और 460 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन इस अपीलार्थी को आजीवन कारावास और 7,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, दंड संहिता की धारा 460 के अधीन इस अपीलार्थी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम

किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन अपराध के लिए इस अपीलार्थी को एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

(ख) अपीलार्थी विनोद सैनी को दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 460 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है । इस अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है, दंड संहिता की धारा 460 के अधीन इस अपीलार्थी को 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 2,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए 6 मास का साधारण कारावास भोगने और 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

(ग) अपीलार्थी रतनलाल को दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 460 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । इस अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, दंड संहिता की धारा 460 के अधीन अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए जुर्माने तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए 6 मास के साधारण कारावास और 500/- रुपए जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया है ।

2. अपराध विधि के अधीन तारीख 28 जून, 2010 को लगभग 3.15 बजे पूर्वाह्न में कार्यवाही की गई जब महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (दक्षिण) पहुंचा और उसने वहां पर एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी. 1) प्रस्तुत की । शिकायत (प्रदर्श पी. 1) का सारांश इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता की आयु 18 वर्ष है और वह नाहर

की धानी का निवासी है जो ज्वाला माता मंदिर, चरन नदी-II के निको स्थित है, तारीख 28 जून, 2010 को लगभग 12.30-1.00 बजे पूर्वाह्न में महेन्द्र सैनी, रतनलाल और उनके दो साथियों ने दीवार कूदकर उनके घर में प्रवेश किया, शोर सुनकर वह और उसके परिवार के सदस्य जाग गए और उन्होंने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जिस पर उन व्यक्तियों ने तलवारों से और गोली चलाकर घरवालों पर हमला किया, उक्त चारों व्यक्तियों ने उसके भाई सुरेश पर उसकी हत्या के आशय से गोली चलाई, उसका भाई सुरेश इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गया, उक्त चारों व्यक्ति यह सोचकर उनके घर से भाग गए कि उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, उसके भाई सुरेश की मृत्यु एस. एम. एस. अस्पताल में उपचार के दौरान हुई, वह रतनलाल और महेन्द्र को अच्छी तरह जानता है और अन्य दो व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकता है, तारीख 28 जून, 2010 से एक मास पूर्व महेन्द्र उसकी बहिन ममता सैनी को भगाकर ले गया था और महेन्द्र ने अपने साथियों के साथ उक्त शत्रुता को लेकर यह हमला किया ।

3. लिखित शिकायत (प्रदर्श पी. 1) के प्रस्तुत किए जाने पर, उक्त निरीक्षक दिनेश कुमार ने महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) से पूछताछ की जिसने बताया कि वह और उसके परिवार के सदस्यों ने घटना के समय रतनलाल को पकड़ लिया था, उक्त घटना के दौरान रतनलाल क्षतिग्रस्त हुआ था और उन्होंने रतनलाल को घटनास्थल पर ही मौजूद पुलिस अधिकारी को सौंप दिया था ।

4. उपरोक्त कथन (प्रदर्श पी. 1) के आधार पर दंड संहिता की धारा 302/460 और आयुध अधिनियम की धारा 25/3 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (दक्षिण) में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 251/2010 (प्रदर्श पी. 2) दर्ज कराई गई ।

5. इसके अनुसरण में, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) के साथ घटनास्थल पर गया ।

6. उप निरीक्षक दिनेश कुमार ने इस घटना के संबंध में स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 3) तैयार किया । उसने घटनास्थल से रक्तरंजित और सादा मिट्टी एकत्र की और इन्हें क्रमशः ज्ञापन प्रदर्श पी. 12 और प्रदर्श पी. 13 के अनुसार अभिगृहीत किया ।

7. घटनास्थल का पूर्ण रूप से मुआयना करने पर एक खाली कारतूस और एक चली हुई गोली बरामद की गई और उप निरीक्षक दिनेश कुमार ने

ज्ञापन प्रदर्श पी. 14 के अनुसार इन दोनों वस्तुओं को अभिगृहीत किया ।

8. इसी दौरान, उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) एस. एम. एस. अस्पताल गया जंहा पर उसे यह पता चला कि सुरेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् मृतक निर्दिष्ट किया गया है) की क्षतियों के कारण मुत्यु हो गई है । उसने शव अभिगृहीत किया और मृत्युसमीक्षा संबंधी कार्यवाही की ।

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के अधीन यथा अनुध्यात मृत्युसमीक्षा संबंधी कार्यवाही के दौरान उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) ने मृतक के नातेदारों अर्थात् मृतक के पिता रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) और राम कुमार (अभि. सा. 6), बाबूलाल (अभि. सा. 4) और संतोष (अभि. सा. 7) के कथन अभिलिखित किए जो क्रमशः प्रदर्श पी. 7, प्रदर्श पी. 39, प्रदर्श पी. 40 और प्रदर्श पी. 41 हैं ।

10. संक्षेप में यह उल्लेख किया गया है कि रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) का कथन प्रदर्श पी. 7 बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) द्वारा लिखित कथन प्रदर्श पी. 1 प्रस्तुत किया गया है ।

11. राम कुमार (अभि. सा. 6), बाबूलाल (अभि. सा. 4) और संतोष कुमार (अभि. सा. 7) मृतक के नातेदार/पड़ोसी हैं जिन्होंने अपने कथनों क्रमशः प्रदर्श पी. 39, प्रदर्श पी. 40 और प्रदर्श पी. 41 में यह उल्लेख किया है कि उन्हें यह पता चला था कि महेन्द्र सैनी, रतनलाल और उसके दो साथियों ने तलवारों और तमंचों से लैस होकर तारीख 28 जून, 2010 को 12.30 से 1.00 बजे पूर्वाह्न के दौरान दीवार कूदकर मृतक के मकान में प्रवेश किया था और उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कारित की है ।

12. ऊपर उल्लिखित कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (पंचायतनामा) अर्थात् प्रदर्श पी. 5 तैयार किया जिसमें यह अभिलिखित किया कि रतनलाल सैनी, रामकुमार, बाबूलाल और संतोष (अभि. सा. 7) से एक-साथ और अलग-अलग पूछताछ की गई है और सभी ने मृत्यु का कारण गोली से कारित की गई क्षति बताया है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शवपरीक्षण कराया गया है ।

13. इसके अनुसरण में डा. दीपाली पाठक (अभि. सा. 19) ने मृतक का शवपरीक्षण किया और उसके शव पर निम्न क्षतियां पाईं :–

(i) दाएं अग्रबाहु के पीछे की ओर 0.8 सेमी. × 0.8 सेमी. माप

का छिद्रयुक्त विदीर्ण घाव है जो ऊपरी अर्ध भाग में स्थित है साथ ही एड़ी से 100 सेमी. की दूरी पर कालापन दिखाई देता है जिसमें रगड़ भी मौजूद है जो कि दाएं प्रबाहु के अधस्त्वक ऊतक और मांसपेशियों में पाई गई है और यह क्षति दाएं अग्रबाहु के मध्यभाग से लेकर अग्र भाग तक फैली हुई है और इसके पश्चात् यह क्षति दाएं अग्रबाहु के अग्रमध्य भाग के एक तिहाई क्षेत्र में विदीर्ण घाव के रूप में फैली हुई है जिसकी माप 0.8 सेमी. × 0.8 सेमी. है और यह एड़ी से 105 सेमी. की दूरी पर है । अग्रबाहु पर पहली क्षति प्रविष्टि घाव है और इसी से संबंधित दूसरी क्षति निकास घाव है जो अग्न्यायुध से कारित की गई है ।

(ii) वक्ष के बाईं ओर 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का छिद्रयुक्त विदीर्ण घाव है जो वक्षीय गुहा तक गहरा है और ऊपर के आधे भाग से 4.5 सेमी. की दूरी पर है तथा बाएं चूचुक से 6 सेमी. की दूरी पर पार्श्व से मध्यरेखा की ओर एड़ी से 127 सेमी. की दूरी पर है और इस घाव में कालापन और रगड़ मौजूद है जिसकी आकृति अर्ध-गोलाकार है और यह घाव अग्न्यायुध से कारित प्रविष्टि घाव है । इसके पश्चात् अधस्त्व ऊतक को बेधते हुए बाईं ओर की पांचवीं पसली तक फैला हुआ है और फेफड़े का बायां मध्य पिंड को भी आर-पार वेधित किया गया है और इसके पश्चात् यह क्षति पांचवीं और छठी पसली से होता हुआ छठी वक्षीय कशेरुक तक फैला हुआ है जिसमें बंदूक की गोली और रक्त के थक्के पाए गए हैं ।

(iii) टांग के एक तिहाई ऊपरी भाग में सामने की ओर 3.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप की खरोंच मौजूद है ।

(iv) 1.5 सेमी. × 0.5 सेमी. और 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप की दो खरोंचें मौजूद हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान है और ये खरोंचें मध्य अग्रभाग में मौजूद हैं । क्षतियों का रंग लाल है ।

14. डा. दीपाली पाठक (अभि. सा. 19) ने भी मृतक के शरीर में गोली पाई जो उसने प्राक्षेपिकी परीक्षण के लिए अस्पताल में ही मौजूद पुलिस अधिकारी को सौंप दी थी । डा. दीपाली ने मृतक की मृत्यु का कारण रक्तस्राव और आघात बताया है जो अग्न्यायुध से कारित क्षति सं. ii के परिणामस्वरूप हुआ था और यह क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है ।

15. शवपरीक्षण के पश्चात् उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) ने घटना के समय मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों को अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 8) के अनुसार अभिगृहीत किया ।

16. इसके पश्चात् उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) ने इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला और मृतक के पिता रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2), मृतक के भाई महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) और मृतक की बहिन ममता सैनी (अभि. सा. 3) के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन क्रमशः प्रदर्श डी. 1, प्रदर्श डी. 2 और प्रदर्श डी. 3 के रूप में अभिलिखित किए । [यह उल्लेखनीय है कि कथन प्रदर्श डी. 1, प्रदर्श डी. 2 और प्रदर्श डी. 3 जो कि क्रमशः रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2), महेन्द्र कुमार सैनी (अभि. सा. 1) और ममता सैनी (अभि. सा. 3) द्वारा दिए गए हैं, एक ही प्रकार के हैं जो एक दूसरे से पूर्णतया मेल खाते हैं ।]

17. तारीख 18 जून, 2010 को लगभग 7.45 बजे अपराह्न में उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) ने अभियुक्त रतनलाल सैनी को ज्ञापन प्रदर्श (प्रदर्श पी. 10) के अनुसार औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया । गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 10) में यह अभिलिखित है कि अभियुक्त रतनलाल सैनी के सिर पर आई क्षति के साथ कुछ खरोंचें भी कारित हुई हैं ।

18. तारीख 30 जून, 2010 को लगभग 8.10 बजे पूर्वाह्न में उप निरीक्षक भोपाल सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 के अधीन यथा-अनुध्यात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की एक प्रति प्रदर्श पी. 2 इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी ।

19. तारीख 2 जुलाई, 2010 को उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) के नेतृत्व में पुलिस दल ने अभियुक्त रतनलाल के बताने पर एक कटार बरामद की जिसे अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. 20 के अनुसार अभिगृहीत किया ।

20. तारीख 3 जुलाई, 2010 को उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) के नेतृत्व में पुलिस दल ने अभियुक्त विनोद सैनी को गिरफ्तार किया जिसके प्रकटीकरण के आधार पर एक तलवार बरामद की जिसे अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. 15 के अनुसार अभिगृहीत किया ।

21. तारीख 6 जुलाई, 2010 को अभियुक्त विनोद सैनी की शनाख्त

परेड कराई गई जिसमें महेन्द्र सैनी (अभि. सा. 1) और रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) ने अभियुक्त विनोद की शनाख्त उस तीसरे व्यक्ति के रूप में की जिसने तारीख 28 जून, 2010 को घटित दुर्घटना वाले दिन उनके मकान में प्रवेश किया था और मृतक पर हमला किया था और इस शनाख्त को शनाख्त परेड की कार्यवाही के दौरान प्रदर्श पी. 43 के अनुसार अभिलिखित किया ।

22. तारीख 3 नवंबर, 2010 को उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) के नेतृत्व में पुलिस दल ने अभियुक्त महेन्द्र सैनी को गिरफ्तार किया जिसने प्रकटीकरण कथन के परिणामस्वरूप एक देसी तमंचा अपनी बहिन के मकान से बरामद कराया जिसे अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. 29 के अनुसार अभिगृहीत किया ।

23. अभिगृहीत की गई सभी वस्तुओं को राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, राजस्थान सीरम परीक्षण के लिए भेज दिया गया । तारीख 3 मई, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार यह राय व्यक्त की गई कि मृतक का रक्त समूह **बी** है और यही रक्त समूह घटना के समय मृतक द्वारा पहने गए बनियान और चड्डी पर भी पाया गया है ।

24. ऊपर कथित सामग्री के आधार पर अभियुक्त रतनलाल, महेन्द्र सिंह सैनी और विनोद सैनी को विचारण के लिए भेजा गया । चौथे अभियुक्त कृष्ण कुमार की मृत्यु तारीख 22 जुलाई, 2010 को पुलिस मुठभेड़ में हो गई थी इसलिए उसे विचारण के लिए नहीं भेजा जा सका ।

25. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 22 साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

26. हमें इस मामले के अन्वेषण से संबंधित साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन साक्षियों ने तथ्य का उसी प्रकार उल्लेख किया है जैसा हमने पूर्वगामी पैराओं में देखा है किन्तु विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ परिसाक्ष्यों और साक्ष्यों पर विचार करना आवश्यक होगा ।

27. मृतक के भाई महेन्द्र सैनी (अभि. सा. 1) ने तारीख 28 जून, 2010 को यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में सो रहा था । लगभग 12.00-1.00 बजे पूर्वाह्न में महेन्द्र और उसके तीन साथी अर्थात् विनोद, रतनलाल और कृष्ण कुमार ने दीवार

कूदकर उनके घर में प्रवेश किया । उपर्युक्त व्यक्तियों ने उसकी बहिन ममता को ले जाने का प्रयास किया जिस पर वह चिल्लाई । इससे महेन्द्र सैनी (अभि. सा. 1) और उसके परिवार के सदस्यों की आंख खुल गई और उन्होंने ममता को बचाने का प्रयास किया जिस पर महेन्द्र और उसके तीन साथियों ने उन पर हमला किया । महेन्द्र के पास अग्न्यायुध था । जब मृतक ने महेन्द्र को पकड़ने का प्रयास किया तब महेन्द्र ने उस पर दो गोली चलाई जिनमें से एक उसकी बांह में और दूसरी उसके वक्ष में लगी । अभियुक्त विनोद और रतनलाल ने मृतक पर तलवारों से हमला किया । अभियुक्त कृष्ण कुमार ने हवा में गोली चलाई जो दीवार में लगी । उसने और उसके पिता ने अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु वे केवल अभियुक्त रतनलाल को ही काबू कर सके और शेष तीन अभियुक्त फरार हो गए । इस साक्षी ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी. 1) प्रस्तुत की जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 2) दर्ज की गई ।

28. अब हम महेन्द्र सैनी (अभि. सा. 1) की प्रतिपरीक्षा के निम्न भाग पर विचार करेंगे जो इस मामले में सुसंगत है :–

> "यह सही है कि महेन्द्र सैनी ने उसके भाई सुरेश पर गोली चलाई थी । महेन्द्र सैनी ने मेरे भाई पर दो गोली चलाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई । ... यह सही है कि मैंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनोद को नामित नहीं किया है । मुझे उस समय तक उसका नाम मालूम नहीं था (स्वेच्छया बताया गया) । यह कहना ठीक नहीं है कि महेन्द्र सैनी उसकी बहिन ममता को सैर-तफरी के लिए लेकर जा रहा था । उसने उसका अपहरण किया था (स्वेच्छया कहा गया) । मुझे नहीं मालूम कि महेन्द्र सैनी ममता को लेकर कहां गया । उसकी बहिन ममता पांच दिन बाद वापस आई । उसे हम पुलिस की सहायता से वापस लेकर आए । ममता को मेरे पिताजी पुलिस की सहायता से लेकर आए । ... यह कहना ठीक है कि महेन्द्र सैनी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति ने गोली नहीं चलाई । कृष्ण कुमार ने भी हवा में गोली चलाई थी (स्वेच्छया कहा गया) । ... यह कहना सही है कि मैंने यह देखा था कि अभियुक्त महेन्द्र सैनी के सिर में क्षति पहुंची थी । मैंने महेन्द्र को क्षति नहीं पहुंचाई । अभियुक्त रतन और विनोद ने अभियुक्त महेन्द्र के सिर में क्षति पहुंचाई । अभियुक्त महेन्द्र को अभियुक्त रतन और विनोद द्वारा तलवार से हमला किए जान के

दौरान सिर में क्षति पहुंची । यह कहना गलत है कि अभियुक्त रतन और विनोद ने महेन्द्र के सिर में क्षति पहुंचाई होगी क्योंकि महेन्द्र गोलियां चला रहा था । अभियुक्त रतन और विनोद मेरे भाई सुरेश पर हमला कर रहे थे किन्तु महेन्द्र को क्षति पहुंची क्योंकि वह बीच में आ गया था (स्वेच्छया कहा गया)। यह कहना सही है कि मैंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह नहीं लिखवाया था कि हमने रतनलाल को पकड़ लिया था ।"

29. मृतक के पिता रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) ने अपने पुत्र महेन्द्रलाल सैनी की ही तरह अभिसाक्ष्य दिया है ।

30. रतनलाल सैनी की प्रतिपरीक्षा का निम्न भाग सुसंगत है जो इस प्रकार उल्लेखनीय है :–

"रतन और विनोद ने तलवार से अभियुक्त महेन्द्र के सिर पर हमला किया था । यह संभव है कि अभियुक्त महेन्द्र के सिर में क्षति कारित हुई थी और इसके पश्चात् ...।"

31. मृतक की बहिन ममता (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 26 मई, 2010 को उसे महेन्द्र और रतन द्वारा, जिनके साथ एक व्यक्ति और भी था, बलपूर्वक अपहरण किया गया और उसे जोधपुर ले जाया गया जहां पर उसे चार दिन तक एक कमरे में निरुद्ध किया गया । उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की और बलात्संग भी किया । उसे उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जयपुर से छुड़ाकर लाया गया । उन्होंने उसे धमकी दी और यह कहा कि वे उसके भाई और उसके परिवार को बर्बाद कर देंगे । उसने भय के कारण उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराई ।

32. तारीख 28 जून, 2010 को घटित घटना के संबंध में ममता (अभि. सा. 3) ने अपने भाई महेन्द्र सैनी (अभि. सा. 1) और पिता रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) की ही भांति साक्ष्य दिया है ।

33. ममता (अभि. सा. 3) की प्रतिपरीक्षा का निम्न भाग सुसंगत है :–

"मुझे नहीं मालूम कि मेरे परिवारवालों ने पुलिस थाना मुरलीपुरा में मेरे लापता होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी या नहीं । हम लगभग 7-8 बजे अपराह्न में मुरलीपुरा स्टेशन पहुंचे थे । मुझे जोधपुर से रवाना होने का समय याद नहीं है । मुझे यह भी याद

नहीं है कि मेरे पिता पुलिस थाने गए थे या नहीं । मेरे परिवार के बहुत से सदस्य पुलिस थाने गए थे । मैंने पुलिस थाने में सम्पूर्ण घटना बताई थी । मैंने यह आवेदन किया था कि मैं अपने माता-पिता के साथ अपनी इच्छा से जा रही हूं । पुलिस ने मेरे कहने पर यह आवेदन लिखा था । आवेदन सं. 7459 पुलिस थाना मुरलीपुरा के थानाध्यक्ष के नाम लिखा गया था । मुझे यह याद नहीं है कि मैंने उस आवेदन में यह लिखवाया था कि मैं अपनी इच्छा से महेन्द्र के साथ गई थी । मैंने अपने कथन में यह लिखवाया था कि मैं बीमार होने के कारण अपनी इच्छा से गई थी जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं ...।"

34. राम कुमार (अभि. सा. 6), बाबू लाल (अभि. सा. 4) और संतोष (अभि. सा. 7) मृतक के नातेदार/पड़ोसी हैं जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्हें यह पता चला था कि महेन्द्र सैनी, रतनलाल और उनके दो साथी जो तलवारों और तमंचों से लैस थे, तारीख 28 जून, 2010 को रात्रि 12.30 बजे से 1.00 बजे के बीच दीवार कूदकर मृतक के मकान में घुस आए थे और उन्होंने मृतक पर गोली चलाकर उसकी मृत्यु कारित की और इन साक्षियों ने मृत्युसमीक्षा में भाग लिया ।

35. उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) ने इस मामले में अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के संबंध में वही अभिसाक्ष्य दिया है जो हमने पूर्वगामी पैराओं में देखा है ।

36. पुलिस उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20) की प्रतिपरीक्षा का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

"मैंने चिकित्सक द्वारा मृतक के शरीर से निकाली गई गोली और अन्वेषण के दौरान मेरे द्वारा अभिगृहीत देशी तमंचे को परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा था । मैं परीक्षण के लिए न भेजने के संबंध में कोई कारण नहीं दे सकता ।"

37. भगवान सिंह (अभि. सा. 21) ने, जैसा कि हमने पूर्वगामी पैराओं में देखा है, अपने द्वारा की गई मृत्युसमीक्षा की कार्यवाही को साबित किया है ।

38. तीनों अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने कथन में प्रत्येक बात से इनकार किया है और निर्दोष होने का दावा किया है तथा अपराध में मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया है ।

39. महेन्द्र सैनी (अभि. सा. 1) रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) और ममता सैनी (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपने तारीख 4 नवंबर, 2011 के निर्णय के अनुसार तीनों अभियुक्तों को पैरा 1 में उल्लिखित अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया है और उक्त पैरा में अभिलिखित दंडादेश अधिरोपित किया है ।

40. अपीलों की सुनवाई किए जाने पर, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा निम्न 5 दलीलें दी गई हैं :–

(क) तथ्यों से यह साबित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट को घटना के दो दिन बाद भेजी गई थी और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समयपूर्व की है जिससे तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को पूरी तरह यह अवसर मिल गया था कि वे सोच-समझकर अभियुक्तों को अपराध में मिथ्या फंसा सकें, इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि अभियोजन पक्ष के अनुसार महेन्द्र ममता के साथ फरार हुआ था जो कि मृतक की बहिन है और इसीलिए ममता के परिवारवालों को महेन्द्र और उसके मित्रों को अपराध में मिथ्या फंसाकर बदला लेने का अवसर मिल गया ।

(ख) अभियोजन पक्षकथन के अनुसार रतनलाल को मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था, फिर भी अभियोजन पक्ष का यह दावा है कि अभियुक्त ने अपने संस्वीकृति कथन के आधार पर तारीख 2 जुलाई, 2010 को कटार बरामद कराई थी । यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि सह-अभियुक्त ने, जिसे घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था, अपराध में प्रयोग किए गए आयुध को घटनास्थल से हटा दिया था जिसे वह अपने साथ लाया था और यह भी समझ में नहीं आता है कि वह घटनास्थल से दूर जाकर उस आयुध को छिपा देगा । इससे यह सिद्ध होता है कि अन्वेषण अधिकारी ने स्वयं यह साक्ष्य गढ़ा है ।

(ग) पुलिस को दिए गए पूर्ववर्ती कथन में यह उल्लेख किया गया था कि चार अभियुक्त वहां आए थे और उन्होंने गोली चलाई किन्तु मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है । विशिष्ट भूमिका को केवल न्यायालय में परिसाक्ष्य दिए जाने के दौरान समनुदेशित किया

गया है और इस प्रकार इन साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए ।

(घ) महेन्द्र के माथे पर आई क्षति के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इस संबंध में विधि सुस्थिर है कि अभियोजन पक्ष को मृतक के शरीर पर आई क्षतियों को स्पष्ट करना चाहिए ।

(ङ) मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि दो अग्न्यायुधों का प्रयोग किया गया था क्योंकि मृतक की अग्रबाहू पर प्रविष्टि घाव का आकार 0.8 सेमी. और वक्ष के प्रविष्टि घाव का आकार 0.5 सेमी. पाया गया है । अभियुक्त कृष्ण कुमार (जिसकी मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हो जाने के कारण विचारण नहीं कराया गया) से कोई भी अग्न्यायुध बरामद नहीं किया गया है और महेन्द्र के प्रकटीकरण के आधार पर जो अग्न्यायुध अभिकथित रूप से बरामद किया गया है उसे प्राक्षेपिकी परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है । यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि किस अभियुक्त ने मृतक के वक्ष पर घातक क्षति कारित की । इस प्रकार, विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह साबित नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त ने मृतक के वक्ष पर गोली चलाई और इसीलिए यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किसने कारित किया है और इसीलिए दंड संहिता की धारा 34 के अधीन किसी भी अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।

41. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट को समय से न भेजे जाने के संबंध में पुलिस उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) का साक्ष्य समझ से बाहर प्रतीत होता है ।

42. जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, मृत्युसमीक्षा की कार्यवाही के दौरान पुलिस उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) ने मृतक के पिता रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) और रामकुमार (अभि. सा. 6), बाबूलाल (अभि. सा. 4) और संतोष (अभि. सा. 7) क्रमशः मृतक के नातेदार/पड़ोसी हैं । स्वीकृततः, जिस रात्रि में मृतक को गोली लगी थी उसी रात्रि को मृत्युसमीक्षा संबंधी कार्यवाही की गई ।

43. रतनलाल सैनी (अभि. सा. 2) ने अपने कथन (प्रदर्श पी. 7) में

यह उल्लेख किया है कि तारीख 28 जून, 2010 की अर्धरात्रि में अभियुक्त महेन्द्र सैनी और रतनलाल अपने दो साथियों के साथ अग्न्यायुधों और तलवारों से लैस होकर उनके घर आए और मृतक पर गोलियां चलाईं ।

44. रामकुमार (अभि. सा. 6), बाबूलाल (अभि. सा. 4) और संतोष (अभि. सा. 7) ने अपने कथनों क्रमशः प्रदर्श पी. 39, प्रदर्श पी. 40 और प्रदर्श पी. 41 में यह उल्लेख किया है कि उन्हें यह पता चला था कि महेन्द्र सैनी, रतनलाल और उनके दो साथी तमंचों और तलवारों से लैस होकर तारीख 28 जून, 2010 को रात्रि में 12.30 बजे और 1.00 बजे के बीच दीवार कूदकर मृतक के घर में आए और उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या की ।

45. पुलिस उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) द्वारा ऊपर उल्लिखित कथन उस समय अभिलिखित किए गए थे जब मृत्यसमीक्षा संबंधी कार्यवाही की जा रही थी, इस तथ्य की संपुष्टि उप निरीक्षक भगवान सिंह द्वारा तैयार की गई मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 5) से होती है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रतनलाल सैनी, रामकुमार, बाबूलाल और संतोष (अभि. सा. 7) से संचयी रूप से और वैयक्तिक रूप से पूछताछ की गई है और इन सभी साक्षियों ने मृतक की मृत्यु का कारण गोली लगना बताया है और यह भी कहा है कि उसकी मृत्यु का सही कारण का पता लगाने के लिए शवपरीक्षण कराया जाए ।

46. चर्चा के लिए प्रश्न यह है कि उप निरीक्षक भगवान सिंह (अभि. सा. 21) द्वारा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट कब तैयार की गई थी ?

47. उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 22) में मौजूद है जो कि एक स्वतंत्र साक्ष्य है ।

48. शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 22) में यह अभिलिखित है कि मृतक की शव-परीक्षा तारीख 28 जून, 2010 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में आरंभ की गई थी । इसमें यह भी अभिलिखित किया गया है कि मृतक की मृत्यु मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों द्वारा चलाई गई गोलियों से पहुंची क्षति से कारित हुई है । (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

49. शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 22) और इस तथ्य से कि उप निरीक्षक भगवान सिंह की विस्तार से प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद उसका परिसाक्ष्य विचलित नहीं हुआ है, निश्चायक रूप से यह सिद्ध होता है कि रतनलाल सैनी का कथन (प्रदर्श पी. 7) अभिलिखित किए जाने और

मृत्युसमीक्षा किए जाने संबंधी कार्यवाही तारीख 28 जून, 2010 को 10.30 बजे पूर्वाह्न के पूर्व अर्थात् मृतक का शवपरीक्षण आरंभ किए जाने के पूर्व समाप्त हो चुकी थी ।

50. प्रश्नगत घटना रात्रि 10.30-1.00 बजे के बीच तारीख 28 जून, 2010 को घटित हुई थी । हमारे समक्ष अनधिकक्षेपनीय साक्ष्य है कि मृतक के पिता रतनलाल (अभि. सा. 2) ने अभियुक्त महेन्द्र और रतनलाल और अन्य दो साथियों को तारीख 28 जून, 2010 को रात्रि लगभग 10.30 बजे मृतक पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया है । ऐसी स्थिति होने पर इस संभावना से पूर्णतया इनकार किया जा सकता है कि मृतक के परिवार को यह अवसर प्राप्त हो गया था कि वे अभियुक्तों को मिथ्या फंसाकर बदला लें क्योंकि यह सिद्ध हो गया है कि रतनलाल (अभि. सा. 2) ने अभियुक्त महेन्द्र, रतनलाल और अन्य दो साथियों को घटना घटित होने के 10 घंटे के भीतर मृतक पर हमला करने वालों के रूप में नामित किया है और यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही के कारण इलाका मजिस्ट्रेट को विलंब से भेजी गई थी ।

51. अब हम दूसरी दलील पर विचार करेंगे । यह स्वीकार किया गया है कि दी गई दलीलों में सार है । यह स्पष्ट रूप से ऐसा मामला है जिसमें अन्वेषण अधिकारी ने अत्यधिक हितबद्धता से काम लिया है जिसके कार्य में कोई भी बुद्धिमत्ता दिखाई नहीं देती है और उसने अभियुक्त रतनलाल के विरुद्ध साक्ष्य गढ़ने का प्रयास किया है । अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान ही नहीं दिया है कि रतनलाल को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया था और वह पुलिस अभिरक्षा में रहा था । किन्तु अन्वेषण में आई त्रुटि और अन्वेषण अधिकारी के पक्षपाती कृत्य से न्यायालय केवल खिन्न ही हुआ है । अभिलेख पर यह भी साक्ष्य है कि रतनलाल को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया था । इसका यह अर्थ हुआ कि वह तारीख 27-28 जून, 2010 की मध्यरात्रि में मृतक के घर में था । रतनलाल ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया है कि अर्धरात्रि में मृतक के घर में क्यों मौजूद था और इसीलिए इस बात से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता ।

52. तीसरी दलील पर विचार करने के लिए **जसवंत सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

---

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 484 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1833.

उल्लेखनीय है । उक्त निर्णय में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में उस व्यक्ति को कारित हुई क्षतियों के ब्यौरे नहीं बताए हैं जिसने क्षतियां पहुंचाईं थीं जबकि इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष इस संबंध में साक्ष्य दिया है । उपरोक्त दलील का खण्डन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (2) के अधीन कथन देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि उन सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है ... । अतः, यह सब पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर निर्भर है । यह सत्य है कि अब कतिपय कथनों का प्रयोग धारा 162 के अधीन विरोधाभास के लिए उस रीति में किया जाता है जिसका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 में किया गया है । इसके पूर्व तहसीलदार सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश वाले एक मामले में विधि यथा प्रतिपादित विधि के अनुसार साक्षी कठघरे में दिए गए कथन में आए लोपों का प्रयोग पुलिस को दिए गए कथन से विरोधाभास के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा लोप उस कथन का मूल अंग न हो ।
>
> धारा 162 के स्पष्टीकरण के अनुसार कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा ।
>
> दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) का परिशीलन उसके स्पष्टीकरण के साथ करने पर पता चलता है कि कोई लोप तब महत्वपूर्ण माना जाएगा जब साक्षी से प्रश्न पूछा गया हो और उसने उसका उत्तर देने में लोप किया हो । इस मामले में अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) से यह नहीं पूछा गया है कि क्या उसने गुरदीप कौर से यह मालूम किया था कि उसे क्या-क्या क्षतियां कारित हुई हैं और ये क्षतियां किसने कारित की हैं ।"

53. वर्तमान मामले में, उप निरीक्षक भोपाल सिंह (अभि. सा. 20), जिसने मृतक के परिवार के सदस्यों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

161 के अधीन अभिलिखित किए थे, से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह मालूम नहीं किया गया कि उसने मृतक के परिवार के सदस्यों से घटना घटित होने के संबंध में प्रश्न किए थे या नहीं ।

54. **जसवंत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांत और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मृतक के परिवार के सदस्यों के कथन घटना के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए जाने के संबंध में अन्वेषण अधिकारी से प्रश्न न किए जाने की असफलता को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों के काउंसेल द्वारा दी गई तीसरी दलील में कोई सार नहीं है ।

55. विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई चौथी दलील सुसंगत है क्योंकि यह स्वतंत्र अधिकार या आत्म-प्रतिरक्षा का मामला है । इस मामले में, अभियुक्तों ने मकान में आक्रामक दल के रूप में प्रवेश किया । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तों का प्रतिरोध किए जाने के कारण उन्हें (अभियुक्त) क्षतियां कारित हो सकती हैं । इसके अतिरिक्त ये क्षतियां न तो घातक हैं और न ही गंभीर हैं, अतः, अभियोजन पक्ष ने इनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं समझा है ।

56. इस संबंध में, **हरे कृष्ण सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :–

> "हमने उपरोक्त विनिश्चयों को इस पर विचार करने के लिए विस्तृत रूप में निर्दिष्ट किया है कि क्या यह विधि की अपरिवर्ती प्रतिपादना है कि अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह एक ही घटना में अभियुक्तों को कारित हुई क्षतियों को भी स्पष्ट करे और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी क्षतियों का स्पष्ट न किए जाने का यह अर्थ होगा कि अभियोजन पक्ष ने सच्चाई और घटना की उत्पत्ति छिपाई है । ऊपर उल्लिखित विनिश्चयों के संक्षिप्त विवरण के आधार पर हमारा यह मत है कि एक ही घटना में अभियुक्तों को पहुंची क्षतियों को स्पष्ट करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की बाध्यता प्रत्येक मामले में नहीं बनती है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि अभियोजन पक्ष को उसी घटना में कारित हुई क्षतियों को स्पष्ट करना चाहिए (जिस घटना में मृतक को

[1] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 863.

क्षतियां पहुंची थीं) । निःसंदेह, अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है । अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं है । अभियोजन पक्ष को अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए । यदि न्यायालय अभियुक्त का दोष संदेह के परे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा किए गए साक्षियों पर विश्वास करता है तब इस बात का प्रश्न ही नहीं उठेगा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त को किस प्रकार क्षति पहुंची । जब अभियोजन पक्ष का पक्षकथन निश्चित होता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है और यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाता है तब अभियोजन पक्ष के लिए मुश्किल से ही आवश्यक है कि वह पुनः यह स्पष्ट करे कि कैसे और किन परिस्थितियों में अभियुक्त को क्षतियां पहुंचीं ।

इस न्यायालय के सभी विनिश्चयों से जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, यह दर्शित होता है कि जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि अभियोजन साक्षी विश्वसनीय और विश्वासप्रद हैं, तब न्यायालय अभियुक्त की इस दलील को निरस्त कर देता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि घटना में अभियुक्त को क्षतियां कैसे पहुंची और यह कि अभियोजन पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और यह कि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए । इस प्रकार, यह विधि नहीं है और न ही अपरिवर्तनीय नियम है कि जब कभी अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध के दौरान क्षति पहुंचती है, तब अभियोजन पक्ष को उन क्षतियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा न किए जाने का यह अर्थ होगा कि अभियोजन पक्ष ने वास्तविकता और घटना की उत्पत्ति तथा घटनाक्रम को छिपाया है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

57. अभियुक्तों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई अन्तिम दलील में पर यह प्रश्न उठता है कि क्या दंड संहिता की धारा 34 के लागू किए जाने के लिए अभियुक्त द्वारा किया गया कोई स्पष्ट कृत्य, साबित किया जाना आवश्यक है या नहीं ?

58. इस संबंध में, **सुरेश और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों को निर्दिष्ट करना समुचित होगा जो निम्न प्रकार है :–

> "सम्राट **बनाम** बरेन्द्र कुमार घोष [ए. आई. आर. 1924 कलकत्ता 257] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने विस्तार से दंड संहिता की धारा 34 की व्यापकता को अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए सभी संभव निर्वचनों और इस विषय पर विख्यात लेखकों के विचारों के आधार पर स्पष्ट किया है जिसका तत्पश्चात् अनुमोदन प्रिवी कौंसिल द्वारा किया गया था । न्यायालय सम्राट **बनाम** निर्मल कांता राय [(1914)41 कलकत्ता 1072] वाले मामले में न्यायमूर्ति स्टीफन के मत से सहमति व्यक्त नहीं की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि ऐसा निर्वचन स्वीकार कर लिया जाए, इसका परिणाम भयावह होगा । न्यायमूर्ति मुखर्जी से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति रिचर्डसन ने व्यापक मत व्यक्त किया है –
>
> > 'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 34 अपराधी और सह-अपराधी द्वारा किए गए संयुक्त कार्य के संबंध में है जो उस समय मौजूद होते हैं और इस धारा में प्रयोग की गई भाषी इसी अर्थ के अनुरूप है । इसकी भाषा में सामान्य बोली का प्रयोग किया गया है । आर. **बनाम** सालमन [(1880)6 क्यू. बी. डी. 79] वाले मामले में तीन व्यक्ति उपेक्षापूर्वक एक स्थान को निशाना बनाकर गोली चला रहे थे । उनमें से एक व्यक्ति की गोली से दुर्भाग्यवश एक लड़के की मृत्यु हो गई जो उनके निशाने की जगह से पीछे की ओर खड़ा हुआ था । उन सभी व्यक्तियों को मानववध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया । मुख्य न्यायमूर्ति लार्ड कालरिज ने यह मत व्यक्त किया – यह मृत्यु तीनों व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य का परिणाम है और वे सभी जिम्मेवार हैं । न्यायमूर्ति स्टीफन ने यह मत व्यक्त किया – ऐसी परिस्थितियों में रायफल से गोली चलाना अत्यंत भयावह है और सभी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार हैं क्योंकि उन्होंने प्रश्नगत जगह को एकसाथ मिलकर निशाना बनाया है और उन

---

[1] (2001) 3 एस. सी. सी. 673 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1344.

सभी ने किसी भी प्रकार के खतरे से बचने के लिए कोई भी सावधानी नहीं बरती है ।

इसके अतिरिक्त, दंड संहिता की धारा 34, 35 और 37 को एकसाथ पढ़ा जाना चाहिए और धारा 35 में प्रयोग किए गए शब्द 'ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है' और धारा 37 में प्रयोग किए गए शब्द 'जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर' से धारा 34 का सही अर्थ उपदर्शित होता है । इसलिए, दंड संहिता की धारा 38 में प्रयोग किए गए शब्दों 'कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या सम्पृक्त हैं' का भी यही अर्थ है । भिन्न-भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों से भ्रांति हो सकती है किन्तु मेरी राय में इस धारा का अर्थ दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करना है । अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा ।

इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें कोई कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने उस कार्य को करने में प्रधान भूमिका निभाई होती है और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके द्वारा निभाई गई भूमिका प्रथम कोटि की है या द्वितीय की और इस भूमिका में कोई भी अन्तर नहीं किया जा सकता ।

धारा 34 के संबंध में दिया गया यह दृष्टिकोण सामान्य निर्वचन के साथ बोधगम्य है । इसके विपरीत जो दृष्टिकोण है वह तथ्य की पहचान या समानता पर निर्भर करता है, जो यदि स्वीकार कर लिया जाए, विधि से पूरी तरह मेल नहीं खाता है चाहे सिविल विधि हो या दांडिक और इससे कोई परिणाम भी नहीं निकलता है ।'"

59. उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **इफ्तखार खान और अन्य**[1] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल द्वारा दिए गए निर्णय और उसके अन्य पूर्ववर्ती विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

---

[1] (1973) 1 एस. सी. सी. 512 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 863.

"दंड संहिता की धारा 34 के लागू किए जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी अभियुक्त विशेष द्वारा कोई स्पष्ट कृत्य किया जाए । यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आपराधिक कृत्य अभियुक्तों में से किसी एक अभियुक्त द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है तब यह धारा लागू होगी । यदि ऐसा दर्शाया जाता है और इस मामले में हमारा यह समाधान हो गया है कि ऐसा दर्शाया ही गया है, इसलिए अपराध का दायित्व अभियुक्तों में से किसी भी अभियुक्त पर उसी प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है मानों उसने स्वयं अकेले वह कृत्य किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अनुसार प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 पिस्तौलों से लैस थे और साक्षियों के पास लाठियां थीं, चारों एक निकाय के रूप में लड़ाई के मैदान में आए और गोली चलाने के पश्चात् साथ-साथ एक निकाय के रूप में भाग रहे थे और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों के बीच पूर्व-चिन्तन किया गया था और पूर्व योजना बनाई गई थी और यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में कृत्य किया गया है । अतः, प्रत्यर्थी-3 और प्रत्यर्थी-4 भी अपराध कारित किए जाने के लिए उसी प्रकार दायी हैं जैसे मानों उन्होंने अकेले वह कृत्य किया है । ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए, हमारी राय में, प्रत्यर्थी-3 और प्रत्यर्थी-4 दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किए जाने चाहिए ।"

60. **सुरेन्दर चौहान** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य के अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया है कि दो या दो से अधिक अभियुक्त होने चाहिए और दो कारक सिद्ध किए जाने चाहिए - (i) सामान्य आशय और (ii) अपराध कारित किए जाने में अभियुक्त की भागीदारी । यदि सामान्य आशय साबित कर दिया जाता है किन्तु वैयक्तिक रूप से अभियुक्त द्वारा किया गया स्पष्ट कृत्य साबित नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में दंड संहिता की धारा 34 लागू होगी क्योंकि इसमें प्रतिनिधिक दायित्व भी होता है । न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :–

---

[1] (2000) 4 एस. सी. सी. 110 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1436.

"धारा 34 के अधीन अपराध को सुकर बनाने या उसमें अभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ घटनास्थल पर अभियुक्त का भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, अभियुक्तों का उद्देश्य अपराध को संयुक्त रूप से कारित करना होता है । अभियुक्तों का घटनास्थल पर इस प्रकार मौजूद रहना कि किसी न किसी प्रकार सामान्य आशय का निष्पादन सुकर बनाया जा सके तब ऐसा आशय आपराधिक कृत्य में वास्तविक रूप से भाग लेने की कोटि में आएगा । धारा 34 का मुख्य सार अपराध में इस प्रकार भाग लेना होता है कि कोई परिणाम विशेष पूरा हो जाए । उद्देश्य की ऐसी एकात्मकता घटनास्थल पर अचानक विकसित हो सकती है और सभी अभियुक्तों का आशय उससे जुड़ सकता है । रामास्वामी अयंगर **बनाम** तमिलनाडु राज्य [(1976)3 एस. सी. सी. 779 = ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2027] । सामान्य आशय की विद्यमानता मामले की परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण के आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है । सामान्य आशय के लिए कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक नहीं है । सामान्य आशय के प्रयोजनार्थ अपराध में अभियुक्त की भागीदारी को साबित करना सभी मामलों में आवश्यक नहीं है । सामान्य आशय घटना के दौरान भी विकसित हो सकता है । [राजेश गोविन्द जगेशा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 428 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 160] दंड संहिता की धारा 34 लागू किए जाने के लिए दो या दो से अधिक अभियुक्तों के अतिरिक्त दो कारक भी सिद्ध किए जाने चाहिए – (i) सामान्य आशय और (ii) अपराध कारित किए जाने में अभियुक्त की भागीदारी । यदि सामान्य आशय साबित किया जाता है किन्तु अभियुक्तों द्वारा वैयक्तिक रूप से किया गया स्पष्ट कृत्य साबित नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में भी दंड संहिता की धारा 34 लागू होगी क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत प्रतिनिधिक दायित्व तो बनता ही है किन्तु यदि अपराध में अभियुक्त की भागीदारी तो साबित हो जाती है किन्तु सामान्य आशय नहीं पाया जाता, तब ऐसी स्थिति में धारा 34 लागू नहीं होगी । प्रत्येक मामले में सामान्य आशय से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य जुटाना संभव नहीं है । इसका निष्कर्ष प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाता है । धारा 34 की परिधि और व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्वगामी धाराओं अर्थात् धारा 32 और धारा 33 को भी ध्यान मे रखना होगा । धारा 32 के अधीन अवैध लोप का उल्लेख किया गया है । धारा 33 के अधीन कार्य और कार्यावली को एक

'कार्य' के रूप में परिभाषित किया गया है और लोप और लोपावली जैसे शब्दों का अर्थ एक लोप से लिया गया है । 'सामान्य आशय' और 'समान आशय' के बीच वास्तविक और सारभूत अन्तर है जो अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए । सामान्य आशय का अर्थ पूर्व नियोजित योजना है किन्तु वर्तमान मामले में यह अपराध कारित किए जाने के दौरान अचानक भी गठित हो सकता है । ऐसा सामान्य आशय जो अचानक सृजित हो जाता है वह उसी समय किसी अभियुक्त के समान आशय से भिन्न हो सकता है । सामान्य आशय और समान आशय के बीच अन्तर सूक्ष्म हो सकता है किन्तु यह अन्तर महत्वपूर्ण है और यदि इसे अनदेखा कर दिया जाए तो अन्याय हो सकता है ।"

61. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक अपना पक्षकथन सिद्ध किया है जो अन्यथा भी अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान साबित किया गया है कि चार हमलावर ममता का व्यपहरण करने के लिए मृतक के मकान में घुसे थे । चूंकि वे घातक हथियारों से लैस थे इसलिए, यह सिद्ध होता है कि उनका सामान्य आशय ममता के घर में मौजूद सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध को विफल बनाना था ताकि सभी अभियुक्तों का हेतु पूरा हो सके । अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब ममता के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिरोध किया गया था तब दो अग्न्यायुधों से गोली चलाई गई थी जिनमें से एक गोली अत्यंत निकट से चलाई गई थी जो सीधे जाकर मृतक के नाजुक अंग अर्थात् वक्ष पर लगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अतः, चारों हमलावर जिनमें से तीन हमलावर अपीलार्थी हैं और दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दायी हैं । अन्य अपराधों के लिए भी पुष्टि की जाती है ।

62. तद्नुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं । चूंकि अपीलार्थी विनोद सैनी और रतनलाल को जमानत मंजूर की गई थी, इसलिए हम जमानत-पत्र रद्द करते हैं और दोनों को अधिरोपित दंडादेश भोगने के लिए अभ्यर्पण करने का निदेश देते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

राजस्थान राज्य

बनाम

असद अली

तारीख 3 मई, 2018

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति गोवर्धन बरधर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – अभियुक्त और सह-अभियुक्त द्वारा मृतक पर चाकू से हमला किया जाना – प्राइवेट प्रतिरक्षा का निष्फल अभिवाक् किया जाना – चाकू द्वारा कारित की गई क्षति की चिकित्सीय साक्ष्य और साक्षियों के परिसाक्ष्य से संपुष्टि – अभियुक्त-प्रत्यर्थी के कृत्य से आशय और तथ्य की जानकारी होना दोनों ही प्रतीत होते हैं और चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार जिस प्रकार की क्षति कारित की गई है उससे मृत्यु संभावित है, अतः अभियुक्त-प्रत्यर्थी धारा 304, भाग-I के अधीन अपराध का दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – सह-अभियुक्त की अपराध में अन्तर्वलित होने की संपुष्टि न होना – साक्षियों द्वारा सह-अभियुक्त की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में अभिकथन न किया जाना – साक्षियों के साक्ष्य से इस अभिकथन की पुष्टि नहीं होती है कि सह-अभियुक्त-प्रत्यर्थी इस घटना में अन्तर्वलित था क्योंकि किसी भी साक्षी ने उसे घटना के निकट या उसके आस-पास नहीं देखा है, अतः सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 2 फरवरी, 1988 को मृतक अब्दुल हनीफ के पुत्र अब्दुल नईम द्वारा एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) पुलिस थाना रामपुरा, कोतवाली के थानाध्यक्ष के समक्ष दर्ज कराई गई जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उस दिन वह और उसका पिता घर पर थे । इत्तिलाकर्ता की बहिन और अब्दुल हनीफ की पुत्री हुसनारा चक्की पर गई और वहां से आने के पश्चात् उसने असद द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की । जब इत्तिलाकर्ता और उसका पिता पुलिस थाना कोतवाली असद और इकबाल, जो इरशाद अली का मामा है, के विरुद्ध शिकायत दर्ज

कराने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में मिले । उसने इत्तिलाकर्ता से मालूम किया कि कहां जा रहे हो । उन्होंने उसे बताया कि वे पुलिस थाने असद अली के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं । अचानक ही इरशाद अली और असद अली वहां आ गए और इरशाद अली ने यह कहा कि हनीफ को सबक सिखाया जाना चाहिए और इसकी हत्या की जानी चाहिए । इरशाद अली ने उसके पिता को दबोच लिया । असद अली ने उसके पिता की हत्या करने के आशय से उसके वक्ष पर चाकू से वार किया और दूसरा वार उसकी बाईं कांख पर किया जिसके परिणामस्वरूप उसके पिता के शरीर से बुरी तरह रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया । इसके पश्चात्, ये दोनों भाई इत्तिलाकर्ता के पीछे उसकी हत्या करने के आशय से दौड़े । इत्तिलाकर्ता अपनी जान बचाने के डर से वहां से भाग गया । वापस आते समय उसने देखा कि उसका पिता उसके पीछे-पीछे इत्तिलाकर्ता को बचाने आ रहा है और उसके पिता ने अपने हाथों से अपने घावों को पकड़ कर दबा रखा था । इत्तिलाकर्ता ने अपने पिता को ब्रह्मानन्द शर्मा की गली की ओर आते हुए देखा । वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आया । नदीम और अलीमुद्दीन घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने यह घटना देखी थी । यह घटना लगभग 8 बजे पूर्वाह्न में घटित हुई थी । उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 16/1988 दर्ज की और अन्वेषण आरंभ किया । तत्पश्चात्, जब हनीफ **उर्फ** चन्नू की मृत्यु हो गई तब दंड संहिता की धारा 302 जोड़ दी गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 और अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपर मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, कोटा नगर (साउथ) के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया और अपर मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आरोप पत्र सेशन न्यायालय, कोटा को सुपुर्द कर दिया जहां से यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, कोटा को विचारण के लिए भेज दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 तथा अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए जिनसे अभियुक्तों ने इनकार किया और विचारण किए जाने की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 19 साक्षियों की परीक्षा कराई और 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए । इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा

313 के अधीन अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की परीक्षा कराई गई जिसके दौरान उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने पांच साक्षी प्रस्तुत किए और चार दस्तावेज प्रस्तुत किए । अन्वेषण पूरा होने पर विचारण न्यायालय ने तारीख 29 मार्च, 1990 को पारित अपने निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को ऊपर उपदर्शित रूप में दोषमुक्त कर दिया । इस आदेश से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष इजाजत याचिका फाइल की और इस न्यायालय ने तारीख 16 जनवरी, 1991 के आदेश द्वारा इजाजत याचिका राजस्थान राज्य के पक्ष में अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए मंजूर की । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस प्रकार, अभियुक्त-प्रत्यर्थी के कृत्य से आशय और तथ्य की जानकारी दोनों प्रतीत होते हैं कि जिस प्रकार की क्षति उसने कारित की है उससे मृत्यु संभावित है और इसलिए उसका कृत्य दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन आएगा । (पैरा 20)

जहां तक अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद का संबंध है, यह कहा जा सकता है चूंकि मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) के साक्ष्य से इस अभिकथन की संपुष्टि नहीं होती है कि इरशाद इस घटना में अन्तर्वलित था क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि उन्होंने इरशाद को घटना के निकट या उसके आस-पास देखा था, अतः हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद की दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के आनत नहीं हैं । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् इरशाद अली के संबंध में फाइल की गई वर्तमान अपील खारिज की जाती है । तथापि, अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् असद अली के संबंध में फाइल की गई वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 25,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया जाता है । अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् असद अली द्वारा 25,000/- रुपए जुर्माने की रकम के रूप में जमा की गई रकम मृतक की विधवा को संदत्त की जाएगी और यदि वह जीवित नहीं है तब वह रकम मृतक के पुत्रों और पुत्रियों को समान अनुपात में संदाय की जाएगी । (पैरा 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1441 :
महाराष्ट्र राज्य बनाम **कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी और एक अन्य ;** 19

[2011] (2011) 7 एस. सी. सी. 130 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877 :
कृष्ण कुमार मलिक बनाम **हरियाणा राज्य ।** 18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1991 की दांडिक अपील सं. 114.

अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, कोटा द्वारा तारीख 29 मार्च, 1990 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. राघव (लोक अभियोजक)

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री रिनेश गुप्ता और अनिकेत शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने दिया ।

न्या. रफीक – यह अपील अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, कोटा द्वारा तारीख 29 मार्च, 1990 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद अली को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया है और अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 4/25 तथा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया गया है ।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 2 फरवरी, 1988 को मृतक अब्दुल हनीफ के पुत्र अब्दुल नईम द्वारा एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) पुलिस थाना रामपुरा, कोतवाली के थानाध्यक्ष के समक्ष दर्ज कराई गई जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उस दिन वह और उसका पिता घर पर थे । इत्तिलाकर्ता की बहिन और अब्दुल हनीफ की पुत्री हुसनारा चक्की पर गई और वहां से आने के पश्चात् उसने असद द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की । जब इत्तिलाकर्ता और उसका पिता पुलिस थाना कोतवाली असद और इकबाल, जो इरशाद अली का मामा है, के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में मिले । उसने इत्तिलाकर्ता से मालूम किया कि कहां जा रहे हो । उन्होंने उसे बताया कि वे पुलिस थाने असद अली के

विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं । अचानक ही इरशाद अली और असद अली वहां आ गए और इरशाद अली ने यह कहा कि हनीफ को सबक सिखाया जाना चाहिए और इसकी हत्या की जानी चाहिए । इरशाद अली ने उसके पिता को दबोच लिया । असद अली ने उसके पिता की हत्या करने के आशय से उसके वक्ष पर चाकू से वार किया और दूसरा वार उसकी बाईं कांख पर किया जिसके परिणामस्वरूप उसके पिता के शरीर से बुरी तरह रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया । इसके पश्चात्, ये दोनों भाई इत्तिलाकर्ता के पीछे उसकी हत्या करने के आशय से दौड़े । इत्तिलाकर्ता अपनी जान बचाने के डर से वहां से भाग गया । वापस आते समय उसने देखा कि उसका पिता उसके पीछे-पीछे इत्तिलाकर्ता को बचाने आ रहा है और उसके पिता ने अपने हाथों से अपने घावों को पकड़कर दबा रखा था । इत्तिलाकर्ता ने अपने पिता को ब्रह्मानन्द शर्मा की गली की ओर आते हुए देखा । वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आया । नदीम और अलीमुद्दीन घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने यह घटना देखी थी । यह घटना लगभग 8 बजे पूर्वाह्न में घटित हुई थी ।

3. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 16/1988 दर्ज की और अन्वेषण आरंभ किया । तत्पश्चात्, जब हनीफ **उर्फ** चन्नू की मृत्यु हो गई तब दंड संहिता की धारा 302 जोड़ दी गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 और अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपर मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, कोटा नगर (साउथ) के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया और अपर मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आरोप पत्र सेशन न्यायालय, कोटा को सुपुर्द कर दिया जहां से यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, कोटा को विचारण के लिए भेज दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 तथा अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए जिनसे अभियुक्तों ने इनकार किया और विचारण किए जाने की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 19 साक्षियों की परीक्षा कराई और 20 दस्तावेज प्रदर्शित किए । इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की परीक्षा कराई गई जिसके दौरान उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

प्रतिरक्षा पक्ष ने पांच साक्षी प्रस्तुत किए और चार दस्तावेज प्रस्तुत किए । अन्वेषण पूरा होने पर विचारण न्यायालय ने तारीख 29 मार्च, 1990 को पारित अपने निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को ऊपर उपदर्शित रूप में दोषमुक्त कर दिया । इस आदेश से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष इजाजत याचिका फाइल की और इस न्यायालय ने तारीख 16 जनवरी, 1991 के आदेश द्वारा इजाजत याचिका राजस्थान राज्य के पक्ष में अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए मंजूर की ।

4. विद्वान् लोक अभियोजक श्री आर. एस. राघव ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को एक गंभीर अपराध से त्रुटिपूर्ण और अनुचित निष्कर्ष अभिलिखित करके गलत तरीके से दोषमुक्त किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने इत्तिलाकर्ता अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराकर गलत किया है और यह व्यक्त किया है कि अब्दुल नईम घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हो सकता और इस साक्षी ने सम्पूर्ण कहानी गढ़कर व्यक्त की है । ऐसा करने में विद्वान् विचारण न्यायालय ने इत्तिलाकर्ता की बहिन हुसनारा (अभि. सा. 15) के कथन का विश्लेषण किया है जिसमें उन्होंने उसके कथन के उस भाग को निर्दिष्ट किया है जिसमें हुसनारा ने यह उल्लेख किया है कि जब उसका भाई अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) 10 बजे अपराह्न में वापस आया, तब उसका पिता इत्तिलाकर्ता के साथ नहीं था । विद्वान् लोक अभियोजक ने इस संबंध में निर्णय के पैरा 16 में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई चर्चा को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह पाया गया है कि हुसनारा (अभि. सा. 15) के कथन में आई सम्पूर्ण कहानी गढ़ी हुई है और अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) वास्तव में मृतक के साथ नहीं था । विचारण न्यायालय कोई तीसरी कहानी नहीं बना सका जो न तो अभियोजन पक्षकथन के अनुसार थी और न ही प्रतिरक्षा पक्षकथन के अनुसार । वास्तव में, प्रतिरक्षा पक्ष ने दो साक्षी अर्थात् सैयद इकबाल अली (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और महफूज आलम (प्रतिरक्षा साक्षी 5) प्रस्तुत किए जिन्होंने अब्दुल नईम की मौजूदगी स्वीकार की है और यह अभिकथन किया है कि अब्दुल नईम और हनीफ **उर्फ** चन्नू ने सीधे हाथ पर वार किया था । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय को मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराना चाहिए था जो कि दोनों ही पुलिस कांस्टेबल हैं और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी पूर्णतया स्वाभाविक है क्योंकि सुसंगत समय पर अपनी ड्यूटी पर थे । मदन लाल (अभि. सा. 9) ने

यह कथन किया है कि वह पंचाराम के साथ रामचन्द्रजी मंदिर के निकट ड्यूटी पर था । उन्होंने देखा असद अली और अब्दुल हनीफ **उर्फ** चन्नू "देश की धरती प्रैस" वाली गली से आ रहे थे । चन्नू आगे-आगे दौड़ रहा था और असद उसके पीछे-पीछे । वह और उसका साथी कांस्टेबल पंचाराम ने उनका पीछा किया । आगे दौड़ने के पश्चात् चन्नू की गति धीमी हो गई और असद उससे आगे निकल गया । मदन लाल (अभि. सा. 9) ने यह भी कथन किया है कि जब असद गली में मुड़ा तब उसने असद के हाथ में चाकू देखा था । पंचाराम ने उसका पीछा किया और उसने चन्नू का पीछा किया । चन्नू ब्रह्मानन्द एडवोकेट के मकान के निकट गिर गया । पंचाराम (अभि. सा. 16) ने भी यही साक्ष्य दिया है कि किन्तु विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह गलत व्यक्त किया है कि इन दोनों साक्षियों के कथनों में गभीर विरोधाभास है । पंचाराम (अभि. सा. 16) ने यह अभिकथन किया है कि जब वे दोनों कांस्टेबल ड्यूटी पर थे तब उन्होंने असद और चन्नू को "देश की धरती प्रैस" वाली गली से आते हुए देखा था । चन्नू आगे चल रहा था और असद उसके पीछे । उसने तत्काल ही मदन को बुलाया और कहा कि झगड़ा हो गया है । वह उन दोनों व्यक्तियों के पीछे दौड़ा और मदनलाल भी उनके पीछ-पीछे गया । जब वह असद के निकट पहुंचा तब उसने असद के हाथ में चाकू देखा । उसने असद के हाथ पर डंडा मारा जो चूक गया । असद वहां से भाग गया । उसने 200 मीटर की दूरी तक असद का पीछा किया । इसके पश्चात् उसने पीछे से मदन की आवाज सुनी कि चन्नू को चाकू लगा है और उसने मदन को वापस बुलाया । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया है कि मात्र इस कारण से कि इन साक्षियों ने अलग-अलग तरीके से घटना का वर्णन किया है, यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इन साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है ।

5. विद्वान् लोक अभियोजक ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि इसके संबंध में डा. सी. एम. श्रीवास्तव (अभि. सा. 17) द्वारा विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि मृतक का दायां फेफड़ा पूरी तरह सिकुड़ा हुआ था जिसके ऊपरी भाग में 0.75 इंच × 0.25 इंच माप का सामने की ओर कटाव था । हृदयावरण में सामने की ओर तथा दाईं तरफ 0.75 इंच × 0.33 इंच माप का कटाव था और हृदय गुहा में 20 घन सेमी. रक्त मौजूद था । हृदय के दाएं पिंड के निकट हृदय गुहा में 0.75 इंच × 0.25 इंच माप का क्षैतिज कटाव था । हृदय के बाएं कक्ष में थोड़ा रक्त पाया गया था किन्तु दायां निलय पूर्णतया रिक्त था । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया है कि साक्ष्य

अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली के बताए जाने पर रक्तरंजित चाकू (प्रदर्श पी. 19) बरामद किया गया जिसके संबंध में बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 11) तैयार किया गया । जब इस चाकू को, जो पैकेट-डी में रखा गया था, न्यायालयिक प्रयोगशाला रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया तब इस पर बी-ग्रुप वाला मानव-रक्त पाया गया जिसके संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी. 20 तैयार की गई और इसी ग्रुप का रक्त मृतक की पेंट और कमीज पर भी पाया गया जिसे पैकेट-ए में रखा गया था और घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी भी एकत्र की गई जिसे पैकेट-बी में रखा गया ।

6. अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री रिनेश गुप्ता ने इस अपील का विरोध करते हुए यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करने में पूरी तरह न्यायोचित किया है क्योंकि अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । विद्वान् काउंसेल ने डा. सी. एम. श्रीवास्तव (अभि. सा. 17) के परिसाक्ष्य का भरपूर अवलंब लिया है जिन्होंने यह कथन किया है कि मृतक को इस प्रकार की क्षतियां पहुंची हैं कि उसकी घटनास्थल पर तत्काल ही मृत्यु हो जानी चाहिए थी । अतः, इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास किया जा सकता है कि अब्दुल नईम (अभि. सा. 1), मदन लाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) का यह साक्ष्य कि मृतक असद अली का पीछा कर रहा था और उसके पश्चात् वह ए-स्थान से एच-स्थान की ओर दौड़ा, जैसा कि स्थल नक्शे में दर्शाया गया है ।

7. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन वृत्तांत विशेषकर अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य पर विश्वास न करके विचारण न्यायालय ने पूर्णरूप से न्यायोचित किया है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त असद अली को पहुंची क्षतियों के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । इस संबंध में असद अली को पहुंची क्षतियों के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट (प्रदर्श डी. 4) को निर्दिष्ट किया गया है और यह दलील दी गई है कि उसके वक्ष के दाईं ओर 0.75 इंच × 0. 5 इंच × 0.33 इंच माप की क्षति कारित हुई थी । अभियुक्तों ने हमला नहीं किया था क्योंकि यह घटना अभियुक्तों के घर के सामने घटित हुई थी । इस संबंध में सैयद इकबाल अली (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और महफूज आलम (प्रतिरक्षा साक्षी 5) के कथनों को निर्दिष्ट किया गया है और यह दलील दी गई है कि मृतक और उसके पुत्र ही अभियुक्तों के घर आए थे और इसके पश्चात् असद अली पर हमला किया जिन्होंने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जवाबी कदम उठाया, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि

उसका यह कृत्य घटना की उग्रता के व्युतक्रमानुपाती है ।

8. विद्वान् काउंसेल श्री रिनेश गुप्ता ने यह दलील दी है कि जहां तक इरशाद का संबंध है उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है क्योंकि अभियोजन का यह अभिकथन कि उसने चन्नू **उर्फ** हनीफ को आकर दबोचा था, पूर्णतया मिथ्या है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा साक्षी अर्थात् मुनव्वर खान (प्रतिरक्षा साक्षी 2), जाहिद हुसैन (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और मोहनलाल महेश्वरी (प्रतिरक्षा साक्षी 4) के साक्ष्य पर विश्वास करके पूर्णतया न्यायोचित किया है जिन्होंने पूरी तरह से यह साबित किया है कि असद अली सुसंगत समय पर इटावा में ठेके पर (संविदाधीन) काम कर रहा था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) को विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही अविश्वसनीय ठहराया गया है क्योंकि उसने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) के मूल वृत्तांत तथा पुलिस को दिए गए अपने कथन की अपेक्षा न्यायालय में दिए गए कथन में सुधार किए हैं क्योंकि लिखित रिपोर्ट और पुलिस को दिए गए कथन दोनों में ही उसका स्पष्ट रूप से यह कहना था कि चन्नू **उर्फ** हनीफ अर्थात् उसके पिता को दोनों क्षतियां एक साथ गोपालजी के घर के निकट कारित हुई थीं । तथापि, न्यायालय में अभि. सा. 1 के रूप में हाजिर होकर इस साक्षी ने कहानी बदल दी और यह अभिकथन किया कि अभियुक्त का चाचा अर्थात् इकबाल उन्हें मदारी दरोगा की गली में मिला था और उसके पिता से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं । अचानक इरशाद अली और असद अली वहां आए । इसके पश्चात् इरशाद ने यह कहा कि हनीफ को मार दो । इसके पश्चात् उसने उसके पिता को दबोच लिया । असद अली ने उसके वक्ष के दाईं ओर चाकू से वार किया और इसके पश्चात् दूसरा वार उसके पेट के दाईं ओर किया । इसके पश्चात् उसने यह कहा कि उसने उसके वक्ष पर भी वार किया । उसके पिता के शरीर से रक्त बहने लगा और वह नीचे बैठ गया । इससे अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) द्वारा दिए गए दोनों वृत्तांतों में सारभूत अन्तर दिखाई पड़ता है, अतः विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस साक्षी को अविश्वसनीय ठहराकर न्यायोचित किया है ।

9. यह दलील दी गई है कि मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) सच्चे साक्षी नहीं हैं क्योंकि यदि वे उस इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल थे, तब वे यह बताते कि घटना को रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए । किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने असद अली को क्षतियां कारित करते हुए देखा था । मृतक स्वयं उस इलाके का पुराना अपराधी है और इसीलिए इत्तिलाकर्ता और मृतक ने संभवतः

छेड़खानी के संबंध में हुसनारा (अभि. सा. 15) द्वारा की गई शिकायत के आधार पर असद पर हमला किया, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुसरण में कृत्य किया है । अभियुक्त असद अली का रक्तरंजित कुर्ता जोकि प्रदर्श पी. 13 के अनुसार बरामद किया गया था, उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वीकृत रूप से स्वयं असद अली को इस लड़ाई-झगड़े में क्षतियां पहुंची हैं, अतः यह उसका अपना रक्त था । यह दलील दी गई है कि इत्तिलाकर्ता ने नदीम और अलीमुद्दीन के नाम अपनी लिखित रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में लिखवाए हैं । नदीम (अभि. सा. 12) पक्षद्रोही हो गया है, अलीमुद्दीन को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि रक्तरंजित चाकू की बरामदगी का अनुप्रमाणन साक्षी लतीफ खान (अभि. सा. 6) और फखरुद्दीन (अभि. सा. 18) दोनों ही पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार, अभियुक्तों से की गई बरामदगी मिथ्या है और पुलिस की मिलीभगत है ।

10. हमने परस्पर विरोधी दलीलों और अभिलेख पर सामग्री का बारीकी और सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

11. न्यायालय में दिए गए अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य और लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन (प्रदर्श डी. 1) का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इन तीनों वृत्तांतों में कोई भी सारभूत अन्तर नहीं है । जबकि लिखित रिपोर्ट में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब अभियुक्त का चाचा अर्थात् इकबाल उनसे गोपालजी लुहार के निकट मिला था और उनसे उसने पूछा था कि वे कहां जा रहे हैं, तब उन्होंने इस साक्षी को बताया कि वे हुसनारा के साथ छेड़खानी करने को लेकर असद अली के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं । अचानक इरशाद अली और असद अली वहां आए और इरशाद अली ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि आज हनीफ की हत्या कर दी जाए । जब इरशाद अली ने उसके पिता को दबोचा, तब असद अली ने उस पर चाकू से दो वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से रक्त बहने लगा । जब ये अभियुक्त इत्तिलाकर्ता की ओर बढ़े, तब वह भाग गया किन्तु उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका पिता भी इत्तिलाकर्ता की जान बचाने के लिए उनके पीछे भाग रहा है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन इत्तिलाकर्ता अब्दुल नईम का कथन उसी दिन अर्थात् तारीख 2 फरवरी, 1988 को अभिलिखित

किया गया था और उसी दिन लिखित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी । इस कथन में इस साक्षी ने यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त का चाचा इकबाल उन्हें गोपालजी लुहार के घर के निकट मिला था और उसने यह मालूम किया कि वे कहां जा रहे हैं । इत्तिलाकर्ता और उसके पिता ने उसे बताया कि वे असद अली के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने जा रहे हैं । इसके पश्चात्, इरशाद और असद अली वहां आ गए और इरशाद ने यह कहा कि हनीफ की हत्या कर दी जाए । ऐसा कहते हुए इरशाद ने उसके पिता को दबोच लिया और असद अली ने उसके पिता के वक्ष के दाईं ओर चाकू से हमला किया और दूसरा वार बाईं कांख और पेट पर किया । परिणामतः, उसके पिता के शरीर से रक्त बहने लगा । इसके पश्चात्, जब अभियुक्त इत्तिलाकर्ता की ओर बढ़ा, तब वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और उसने देखा कि उसका पिता अपनी क्षतियों को हाथ से दबाकर उनका पीछा कर रहा है ।

12. इत्तिलाकर्ता अब्दुल नईम न्यायालय में अभि. सा. 1 के रूप में पेश हुआ है और उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त का चाचा इकबाल उनसे मदारी दरोगा वाली गली में मिला था । उसने यह पूछा कि वे कहा जा रहे हैं । उन्होंने यह बताया कि वे असद अली के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं । इसके पश्चात् इरशाद और असद अली वहां आ गए । इरशाद अली ने खुले आम ललकारा कि आज हनीफ की हत्या कर दी जाए । ऐसा कहते हुए उसने उसके पिता को दबोच लिया । असद अली ने उसके पिता के वक्ष के दाईं ओर चाकू से हमला किया और इसके पश्चात् उसके पेट के दाईं ओर तथा चाकू से एक अन्य वार उसके वक्ष पर किया । इसके पश्चात्, उसका पिता नीचे बैठ गया । अचानक इरशाद और असद इस साक्षी के पीछे दौड़े । इसके पश्चात् वह अपनी जान बचाने के लिए भागा । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके पिता ने भी उनका पीछा किया था किन्तु उसके पिता ब्रह्मानंद एडवोकेट के घर के निकट गली में गिर गए । इस साक्षी की विस्तार से प्रतिपरीक्षा कराई गई है जिसमें उसने यह कथन किया है कि यह घटना गली में घटित हुई है न कि मेन-मार्किट में और घटनास्थल गोपाल लुहार की दुकान से 2-4 कदम की ही दूरी पर है और यहीं से मेन-मार्किट की ओर रास्ता जाता है । वह स्थान जहां पर उसके पिता को पहली क्षति कारित हुई थी उस स्थान से मुश्किल से आधा किलोमीटर है जहां पर उसका पिता क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था । इकबाल उन्हें मदारी दरोगा वाली गली में मिला था जो मेन-मार्किट से 15-20 कदम की दूरी पर है । उसके पिता को पहली क्षति कारित होने के पश्चात् लगभग

15 कदम की दूरी के बाद दूसरी क्षति उस स्थान पर कारित की गई जो मेन मार्किट से लाडपुरा की ओर है ।

13. अब यदि हम हुसनारा (अभि. सा. 15) के कथन पर विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके कथन से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहानी गढ़ी गई है और इसके लिए अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) मिथ्या साक्षी बनाया गया है । हुसनारा (अभि. सा. 15) के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक बाल साक्षी है जिसकी आयु 14 वर्ष है जो प्रतिपरीक्षा के प्रभाव को समझने में अधिक सक्षम नहीं है । स्थिति कैसी भी हो, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह आटा लेने के लिए चक्की पर गई थी, असद ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और वह रोती हुई घर वापस आई थी । उसने इसकी शिकायत अपने पिता से की थी । यह इस बात का कारण होता है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच क्यों झगड़ा हुआ । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पिता और भाई ने उसे यह कहते हुए घर पर छोड़ा था कि वे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना कोतवाली जा रहे हैं और हुसनारा का भाई अब्दुल नईम लगभग 10 बजे अपराह्न में घर वापस आया किन्तु उसका पिता वापस नहीं आया । उसके भाई ने कुछ नहीं बताया । हुसनारा और उसकी माता उस समय घर पर थे जब उसका भाई वापस आया था । इसके आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सम्पूर्ण कहानी गढ़ी हुई प्रतीत होती है और वास्तव में नईम ने अपने पिता से शिकायत नहीं की थी क्योंकि यदि वह अपने पिता के साथ गया होता तब वह अवश्य ही अपनी बहिन और माता को घटना के बारे में बताता । इसके पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने भी हुसनारा के कथन, जिसमें उसने उल्लेख किया है कि वह दो बार आटा लेने चक्की पर गई थी और वहां कुछ लड़के और व्यक्ति अभियुक्त असद के साथ खड़े हुए थे, पर विचार करने पर यह अभिनिर्धारित किया है कि उनमें से किसी भी व्यक्ति को महिला के साथ छेड़छाड़ करने की घटना को साबित करने के लिए साक्षी क्यों नहीं बनाया गया है । हमारी राय में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने हुसनारा (अभि. सा. 15) के कथन को ठीक प्रकार और पूर्णतया नहीं पढ़ा है क्योंकि उसके कथन के अन्तिम भाग में उसने यह उल्लेख किया है कि उसके पिता का शव अगले दिन लगभग 1 बजे अपराह्न में घर पर लाया गया था किन्तु पहले दिन तीन लड़के उनके घर पर आए थे और उन्होंने हुसनारा और उसकी माता को बताया कि किसी ने उसके पिता को चाकू मारा है । ये

लड़के लगभग 7 बजे अपराह्न में आए थे ।

14. हमारी राय में, विचारण न्यायालय ने अब्दुल नईम (अभि. सा. 1) और हुसनारा (अभि. सा. 15) के परिसाक्ष्य पर इस आधार पर विश्वास न करके न्यायोचित नहीं किया है कि वे मृतक के निकट नातेदार होने के कारण अत्यंत हितबद्ध साक्षी हैं । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि इस घटना का एकमात्र साक्षी अब्दुल नईम है जो कि हितबद्ध साक्षी है इसलिए उसका परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं है और इस साक्षी ने अभियुक्त असद को पहुंची क्षतियों को संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) के परिसाक्ष्य पर विश्वास न करके भी न्यायोचित नहीं किया है । ये साक्षी पुलिस कांस्टेबल हैं जो रामचन्द्रजी मंदिर के निकट उस समय अपनी ड्यूटी पर तैनात थे । ये नहीं कहा जा सकता है कि इन साक्षियों को जानबूझकर संयोगी साक्षी बनाया गया है । इन साक्षियों का परिसाक्ष्य सारभूत रूप से एक जैसा है और एक दूसरे के साक्ष्य का विरोधाभासी नहीं है । इन दोनों साक्षियों ने यही कहा है कि उन्होंने अभियुक्त असद और मृतक हनीफ को "देश की धरती प्रैस" वाली गली से आते हुए देखा था । वे बाजार की ओर जा रहे थे । चन्नू आगे-आगे और असद उसके पीछे-पीछे जा रहा था । इसके पश्चात् चन्नू धीमे चलने लगा और असद उसके निकट आ गया । पंचाराम ने असद का पीछा किया किन्तु मदनलाल ये कहते हुए वापस आया कि सड़क पर गिर गया है और उसे क्षतियां पहुंची हैं । इन दोनों साक्षियों ने अपने साक्ष्य में एक ही जैसी बात कही है कि असद के पास चाकू था । यह वही चाकू है जिसे अभियोजन पक्ष ने असद अली के कहने पर प्रदर्श पी. 11 के रूप में बरामद किया है जिसे पैकेट-डी में रखा गया था और न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था और रिपोर्ट में यह पाया गया कि उस चाकू पर बी-ग्रुप वाला रक्त लगा हुआ था जो कि पैकेट-ए में रखे हुए मृतक के कपड़ों पर पाए गए रक्त के ग्रुप से मेल खाता है । रक्तरंजित मिट्टी भी घटनास्थल से ली गई और उसमें भी बी-ग्रुप वाला रक्त पाया गया । स्थल नक्शे (प्रदर्श पी. 6) से मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) के साक्ष्य की संपुष्टि घटना घटित होने की रीति को लेकर होती है । मृतक को जिस स्थान पर पहली क्षति कारित हुई थी और वह स्थान जहां पर वह अंतिम रूप से गिरा था, रक्त की बूंदों की कतार भी पाई गई है ।

15. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने पर हमारा यह

निष्कर्ष है कि यद्यपि मृतक ने असद को क्षति पहुंचाई होगी किन्तु क्या वह क्षति इतनी गंभीर थी कि असद अली ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने के लिए मृतक को गंभीर रूप से दो वेधित क्षतियां कारित कीं । दंड संहिता की धारा 100 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन पश्चात् प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है अर्थात् पहला – ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, दूसरा – ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा । दंड संहिता की धारा 102 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है जैसा कि असद अली की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श डी. 4) से स्पष्ट है, अभियुक्त असद को कारित हुई क्षति सामान्य प्रकृति की बताई गई है । तथापि, मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह मत है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी असद अली का मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 के अधीन आएगा जिसमें अन्य बातों के साथ यह उपबंध किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सदभावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो ।

16. डा. सी. एम. श्रीवास्तव (अभि. सा. 17) ने मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) साबित की है और यह कथन किया है कि मृतक का दायां फेफड़ा पूर्णतया सिकुड़ा हुआ था जिसके ऊपरी भाग में 0.75 इंच × 0.25 इंच माप का कटाव है जो सामने की ओर है । हृदयावरण में सामने की ओर तथा दाईं तरफ 0.75 इंच × 0.33 इंच माप का कटाव था और हृदय गुहा में 20 घन सेमी. रक्त मौजूद था । हृदय के दाएं पिंड के निकट हृदय गुहा में 0.75 इंच × 0.25 इंच माप का क्षैतिज कटाव था । हृदय के

बाएं कक्ष में थोड़ा रक्त पाया गया था किन्तु दायां निलय पूर्णतया रिक्त था । अब हम इस दलील पर विचार करेंगे कि डा. सी. एम. श्रीवास्तव (अभि. सा. 17) ने यह कथन किया है कि क्षतियां इस प्रकार की थीं जिनसे किसी व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती थी किन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि क्षति सं. 2 से तत्काल मृत्यु होनी चाहिए थी किन्तु वह यह नहीं कह सकता है कि आहत क्षति सं. 2 कारित होने के तत्काल पश्चात् भागने की स्थिति में था या नहीं । इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पहली बार में कौन सी क्षति कारित हुई और क्षति कारित किए जाने की रीति को लेकर तीनों साक्षियों अर्थात् अब्दुल नईम (अभि. सा. 1), मदनलाल (अभि. सा. 9) और हुसनारा (अभि. सा. 15) के साक्ष्यों को त्यक्त करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य पर यूं ही विश्वास नहीं किया जा सकता । अतः, इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता । मात्र इस कारण से चाकू की बरामदगी से संबंधित साक्षी अर्थात् लतीफ खान (अभि. सा. 6) और फखरूद्दीन (अभि. सा. 18) पक्षद्रोही हो गए हैं, बरामदगी के तथ्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्वेषण अधिकारी राजेन्द्र ओझा (अभि. सा. 19) ने इस बरामदगी को साबित किया है जिससे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के इस साक्ष्य की संपुष्टि होती है कि मानव-रक्त पाया गया था ।

17. इस दलील पर विचार करने पर कि मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) ने अभियुक्त असद अली द्वारा मृतक को कारित की गई क्षतियां देखीं हैं, अतः उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यद्यपि, यह सत्य हो सकता है उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्त असद को मृतक को क्षतियां कारित करते हुए देखा है किन्तु घटना के तत्काल पश्चात् जब उन्होंने मृतक का पीछा करते हुए अभियुक्त को देखा था और अभियुक्त असद के हाथ में चाकू देखा था और मृतक को जमीन पर गिरते हुए देखा था और अभियुक्त को वहां से भागते हुए भी देखा था तब ऐसी स्थिति में घटना का यह भाग मुख्य घटना से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है अतः इन साक्षियों का परिसाक्ष्य संबंधित तथ्य और कार्य होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन ग्राह्य होगा ।

18. **कृष्ण कुमार मलिक** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

---

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 130 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877.

अधिनियम की धारा 6 सामान्य नियम का एक अपवाद है जिसके अधीन अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है । किन्तु ऐसे अनुश्रुत साक्ष्य को धारा 6 की परिधी के भीतर लाने के लिए यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित है कि वह साक्ष्य कृत्यों के पूर्णतया समकालीन होना चाहिए और ऐसा कोई समयान्तराल नहीं होना चाहिए जिससे मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की संभावना हो । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है जिससे संबंधित तथ्य और कार्य के भाग के रूप में ऐसे कथनों को स्वीकार किए जाने के लिए उनका कृत्य के प्रति समकालीन होना आवश्यक है या वे कथन कृत्य के तत्काल पश्चात् दिए गए हों ।

19. **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है : –

"हमारी सुविचारित राय में संबंधित तथ्य और कार्य के नियम के अधीन साक्ष्य की ग्राह्यता को सुनिश्चित करने की कसौटी 'विवाद्यक तथ्य एक ही संव्यवहार का भाग बन जाते हैं' जैसे शब्दों में समाविष्ट है अतः संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए इस पर विचार करना होगा कि क्या तथ्य वैसा ही है जैसा शब्दों द्वारा वर्णन किया गया है और जैसा घटना से उद्भूत होता है और किए गए कृत्य घटना का भाग प्रतीत होते हैं या नहीं और विस्मयबोधक शब्द (क्षति पहुंचने, सहायता मांगने, अविश्वास करने, सचेत करने जैसे शब्द) तथ्यों से उद्भूत होते हैं या नहीं और यह भी देखना होता है कि तथ्य तत्काल प्रभाव क्या है । हमारे लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन दृष्टांत का वर्णन ऊपर उल्लिखित दृष्टीकोण से भिन्न रीति में करना कठिन होगा विशेषकर 'विवाद्यक तथ्य एक ही संव्यवहार का भाग बन जाते हैं' जैसे शब्दों के संबंध में ।

20. इस प्रकार, अभियुक्त-प्रत्यर्थी के कृत्य से आशय और तथ्य की जानकारी दोनों प्रतीत होते हैं कि जिस प्रकार की क्षति उसने कारित की है उससे मृत्यु संभावित है और इसलिए उसका कृत्य दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन आएगा ।

21. जहां तक अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद का संबंध है, यह कहा जा सकता है चूंकि मदनलाल (अभि. सा. 9) और पंचाराम (अभि. सा. 16) के

---

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1441.

साक्ष्य से इस अभिकथन की संपुष्टि नहीं होती है कि इरशाद इस घटना में अन्तर्वलित था क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि उन्होंने इरशाद को घटना के निकट या उसके आस-पास देखा था, अतः हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अभियुक्त-प्रत्यर्थी इरशाद की दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के आनत नहीं हैं ।

22. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् इरशाद अली के संबंध में फाइल की गई वर्तमान अपील खारिज की जाती है । तथापि, अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् असद अली के संबंध में फाइल की गई वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 25,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया जाता है । अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् असद अली द्वारा 25,000/- रुपए जुर्माने की रकम के रूप में जमा की गई रकम मृतक की विधवा को संदत्त की जाएगी और यदि वह जीवित नहीं है तब वह रकम मृतक के पुत्रों और पुत्रियों को समान अनुपात में संदाय की जाएगी ।

23. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के उपबंधों को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् इरशाद अली को 20,000/- रुपए का स्वीय बंधपत्र और इतनी ही रकम का प्रतिभूति बंधपत्र इस न्यायालय के उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और बंधपत्र में यह वचन देना होगा कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका फाइल की जाती है तब उपरोक्त प्रत्यर्थी इस संबंध में नोटिस प्राप्त करने पर, उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होगा ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

*दुर्गेश

बनाम

राजस्थान राज्य मार्फत लोक अभियोजक

तारीख 10 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क और 306 – क्रूरता – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतका से क्रूरता बरती गई और मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया – अतः अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 498क और 306 – क्रूरता – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – दंडादेश का प्रश्न – यदि अपीलार्थी-अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की निर्भरता व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 306 में दिए गए दस वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर उसे सात वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाना उचित है – अतः अपील आंशिक रूप से मंजूर किया जाना न्यायसम्मत है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी बाबूलाल ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पुलिस थाने पर इस आशय की पेश की कि उसने अपनी पुत्री बबली व कविता की शादी वर्ष 2013 में की थी । कविता के पति दुर्गेश ने कविता के साथ मारपीट कर फांसी लगाकर लटका दिया । इसकी जानकारी बड़ी लड़की बबली को होने पर उसने परिवादी को फोन कर बताया । रिपोर्ट के अनुसार परिवादी जब घर पहुंचा तो लड़की मरी पड़ी मिली और पुलिस भी मौके पर मिली थी । इस रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-29/2016 अंतर्गत धारा 304ख भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498क, 304ख भातीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त के

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

विरुद्ध धारा 498क, 304ख एवं विकल्प में धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अपीलार्थी-अभियुक्त ने इनकार कर अन्वीक्षा चाही । अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के क्रम में कुल 14 गवाहान के बयान दर्ज कराए गए । अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त ने झूठा फंसाया जाना बताया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आक्षेपित निर्णय के जरिए अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उपरोक्तानुसार दंडादेश से दंडित किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई । बहस अपील सुनी गई । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है । उनका कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी गवाहान परीक्षित हुए हैं वे सभी हितबद्ध गवाहान हैं तथा पी.ड.4 बबली, जो कि मृतका की बहन है, उसके द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में दिया गया है, उसे स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना है । उनका यह भी कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में न तो दहेज की मांग का तथ्य प्रमाणित हुआ है तथा न ही मृतका के साथ मारपीट के बाबत किसी प्रकार की क्रूरता प्रमाणित हुई है । उनका कानूनी बिन्दु के रूप में यह भी तर्क रहा कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से धारा 304ख भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं प्रमाणित होने पर, अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 306 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आरोप के विपरीत जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है । इन तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में धारा 306 भारतीय दंड संहिता के क्रम में धारा 107 भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की रोशनी में पी.ड.4 श्रीमती बबली के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से मृतका को मृत्यु हेतु मजबूर करने के क्रम में जिस प्रकार दुष्प्रेरण (abetment) किया गया है एवं उक्त दुष्प्रेरण अपने आप मृतका को करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने के

परिणामस्वरूप धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है । अतः बिन्दु संख्या-3 के क्रम में भी योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क अस्वीकार किए जाते हैं । उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त की धारा 498क व 306 भारतीय दंड संहिता में की गई दोषसिद्धि के निष्कर्ष में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है । जहां तक दंडादेश का प्रश्न है, योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से दंडादेश में नरमी का रूख अपनाए जाने की प्रार्थना की गई एवं इस क्रम में प्रस्तुत तर्क एवं न्याय दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए, अपीलार्थी की पारिवारिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की निर्भरता व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दिए गए दस वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर उसे सात वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य हैं । परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त की धारा 498क व 306 भारतीय दंड संहिता में की गई दोषसिद्धि के क्रम में खारिज की जाती है एवं दंडादेश के बिन्दु पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-26/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है, को परिवर्तित करते हुए दस वर्ष के स्थान पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 498क भारतीय दंड संहिता दिए गए कारावास, अधिरोपित अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड की सजा को तथा धारा 306 भारतीय दंड संहिता में अधिरोपित अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड की सजा को यथावत रखा जाता है । (पैरा 19, 20, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	2017 आई. ए. डी. (दिल्ली) 137 : **रामो देवी** बनाम **राज्य** ;	5

[2004] (2004) 10 एस. सी. सी. 192 :
कमलाकर नंदराम और अन्य बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 5

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की एस. बी. दांडिक अपील सं. 748.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अमिताभ जाटव, अधिवक्ता

राज्य की ओर से श्री रामरतन गुर्जर, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी – अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-26/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 304ख भारतीय दंड संहिता विकल्प में धारा 302 भारतीय दंड संहिता से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है, लेकिन धारा 498क व 306 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषी करार देते हुए धारा 498क भारतीय दंड संहिता के अपराध में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह अपील पेश की गई है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी बाबूलाल ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पुलिस थाने पर इस आशय की पेश की कि उसने अपनी पुत्री बबली व कविता की शादी वर्ष 2013 में की थी । कविता के पति दुर्गेश ने कविता के साथ मारपीट कर फांसी लगाकर लटका दिया । इसकी जानकारी बड़ी लड़की बबली को होने पर उसने परिवादी को फोन कर बताया । रिपोर्ट के अनुसार परिवादी जब घर पहुंचा तो लड़की मरी पड़ी मिली और पुलिस भी मौके पर मिली थी । इस रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-29/2016 अंतर्गत धारा 304ख भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498क, 304ख भातीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया

गया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498क, 304ख एवं विकल्प में धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अपीलार्थी-अभियुक्त ने इनकार कर अन्वीक्षा चाही । अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के क्रम में कुल 14 गवाहान के बयान दर्ज कराए गए । अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त ने झूठा फंसाया जाना बताया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आक्षेपित निर्णय के जरिए अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उपरोक्तानुसार दंडादेश से दंडित किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई ।

4. बहस अपील सुनी गई । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है । उनका कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी गवाहान परीक्षित हुए हैं वे सभी हितबद्ध गवाहान हैं तथा पी.ड.4 बबली, जो कि मृतका की बहन है, उसके द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में दिया गया है, उसे स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना है । उनका यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में न तो दहेज की मांग का तथ्य प्रमाणित हुआ है तथा न ही मृतका के साथ मारपीट के बाबत किसी प्रकार की क्रूरता प्रमाणित हुई है । उनका कानूनी बिन्दु के रूप में यह भी तर्क रहा कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से धारा 304ख भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं प्रमाणित होने पर, अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 306 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आरोप के विपरीत जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है । इन तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का कथन रहा कि यदि आरोपित अपराध में अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है तो दंडादेश के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाया जाए । इस क्रम में उनका निवेदन रहा कि घटना के समय

अपीलार्थी-अभियुक्त 20 वर्ष नवयुवक था तथा परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है । अपीलार्थी-अभियुक्त की माता वृद्ध है एवं अपीलार्थी-अभियुक्त दिनांक 26.4.2016 से निरन्तर अभिरक्षा में चल रहा है । अतः दण्ड के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाए जाने की प्रार्थना की गई ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपने तर्क समर्थन में निम्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया ।

(1) **कमलाकर नंदराम और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1]

(2) **रामो देवी** बनाम **राज्य**[2]

6. योग्य लोक अभियोजक ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियोजन पक्ष के गवाहान मृतका के परिवार के सदस्य, विशेष तौर पर पी.ड.4 बबली की साक्ष्य के आधार पर न केवल क्रूरता के बिन्दु को प्रमाणित माना है, बल्कि मृतका की मृत्यु के तुरन्त पूर्व मृतका के साथ जो क्रूरता की गई है, इस क्रम में पी.ड.4 बबली की साक्ष्य पर्याप्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 304ख भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषुक्त अवश्य किया है, लेकिन धारा 306 भारतीय दंड संहिता के क्रम में दुष्प्रेरण (abetment) के समस्त घटक प्रकरण में विद्यमान होने के कारण धारा 107 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया गया है । उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कड़ीबद्ध साक्ष्य पत्रावली पर होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है, जो न्यायोचित है । अतः प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई ।

7. समस्त तथ्यों पर विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति एवं दोनों पक्षों की ओर से रखे गए तर्कों की रोशनी में इस अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु उत्पन्न होता है ।

1. आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दहेज की मांग का बिन्दु प्रमाणित नहीं होने के बावजूद जिन तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 498क भारतीय दंड संहिता के तहत करार दिया

---

[1] (2004) 10 एस. सी. सी. 192.

[2] 2017 आई. ए. डी. (दिल्ली) 137.

गया है, वह उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है ।

2. आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 306 भारतीय दंड संहिता के क्रम में दुष्प्रेरण (abetment) के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने कर भी अपीलार्थी को दोषी करार दिया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है ।

3. आया अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 304ख भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं होने पर, धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी करार देकर निर्णय पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

4. आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 498क एवं 306 भारतीय दंड संहिता में दी गई सजा न्यायसंगत है ।

8. सर्वप्रथम हम बिन्दु संख्या-1 पर विचार करते हैं । जहां तक मृतका के साथ हुई क्रूरता के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिन्दु संख्या-1 के क्रम में मृतका के भाई पी.ड.2 संजय एवं पी.ड.3 ओमकार की साक्ष्य के साथ-साथ मृतका की बहन पी.ड.4 श्रीमती बबली की साक्ष्य को विवेचित करते हुए मारपीट, शराब व जुए के आधार पर क्रूरता मानी है । इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतका का पिता परिवादी पी.ड.1 बाबूलाल, जिसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से प्रकट किया कि :–

दुर्गेश शराब पीता है, जुआ खेलता है । हमने काफी समझाया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी । जब भी उसकी लड़की कविता घर आती तो उसे बताती थी कि उसका पति दुर्गेश उसे मारता पीटता है और आये दिन दहेज की मांग करता है ।

जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसने व उसकी पुत्री बबली ने एक दहेज का अन्य मुकदमा नदबई थाने पर इस मुकदमे के बाद दर्ज कराया था । दुर्गेश कविता से रुपयों की मांग करता था ।

पी.ड.2 संजय ने अपने परीक्षण में प्रकट किया कि –

शादी के बाद दुर्गेश कविता को परेशान करता था, लेकिन हम कविता को समझाकर भेज देते थे । शादी के बाद दुर्गेश कविता से रुपयों की मांग करता था ।

जिरह में गवाह का कथन रहा कि शादी के बाद से ही कविता को दुर्गेश परेशान करता था । हम हमारी बहन कविता को समझाकर भेज देते थे । हमने दुर्गेश को भी कई बार समझाया था ।

पी.ड.3 ओमकार ने कथन किया कि उसकी बहन कविता को दुर्गेश ने मारा था । उसकी बहन कविता को 7 फरवरी, 2016 को मारा था । दुर्गेश कविता की शराब पीकर मारपीट करता था ।

9. उपरोक्तानुसार गवाहान द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, वह मृतका व उसकी बहन बबली द्वारा जो तथ्य प्रकट किए गए हैं, उनके आधार पर दिया जाना प्रकट होता है, लेकिन पी.ड.4 श्रीमती बबली, जो कि मृतका की बहन है एवं उसने स्वयं के साथ पति द्वारा एवं अपनी बहन कविता (मृतका) के साथ दुर्गेश द्वारा मारपीट किए जाने के जो कथन किए गए हैं, उसकी रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय ने दहेज की मांग के बिन्दु को प्रमाणित नहीं मानकर क्रूरता को प्रमाणित माना है । इस क्रम में धारा 498ए भारतीय दंड संहिता निम्न प्रकार परिभाषित है :–

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क इस प्रकार है –

*498क. **किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना** – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है : –

[498A. **Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty** – Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation – For the purpose of this section, "cruelty" means –

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग कररना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।

10. उपरोक्त कानूनी प्रावधान की रोशनी में मृतका के परिवार के सदस्यों पी.ड.1 लगायत पी.ड.4 द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, उसको विवेचित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्रूरता के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर बिन्दु संख्या-1 के क्रम में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों पर स्वीकार किया जा सके ।

11. जहां तक मृतका को उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रताड़ित करने एवं आत्महत्या करने हेतु मजबूर करने के क्रम में उपलब्ध साक्ष्य का प्रश्न है, इस क्रम में अभियोजन साक्षीगण पी.ड.1 लगायत पी.ड.3 द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किए गए हैं, उसके अतिरिक्त पी.ड.4 श्रीमती बबली, जो घटना के समय मौके पर मौजूद थी एवं मृतका के परिवार की सदस्या होकर मृतका के पति के भाई के साथ विवाह होना बताया गया है । इस गवाह ने प्रकट किया कि उसकी व उसकी

(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or

(b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such deman.

छोटी बहन कविता की शादी लगभग तीन साल पहले हुई थी । उसकी शादी रिंकू **उर्फ** पिंकी के साथ व बहन कविता की शादी दुर्गेश के साथ हुई थी । शादी के बाद ससुराल वाले पचास हजार रुपए तथा लर व अंगूठी की मांग उससे एवं कविता से करते थे । गवाह कथन रहा कि उसका पति एवं कविता का पति दुर्गेश शराब पीकर हम दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे ।

12. जिरह में गवाह ने प्रकट किया कि **उसने दुर्गेश को कविता के साथ मारपीट करते देखा था । उसने कविता के मरने से पहले भी उसके साथ हुई मारपीट देखी थी** । घटना के समय दुर्गेश अपने कमरे में था । गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया कि उसने अपने ससुरालवालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा रखा था । उसने मुकदमा नदबई कोर्ट में कराया । उस मुकदमे में राजीनामा हो गया है । गवाह ने यह स्पष्ट किया कि उसका उसके ससुरालवालों से राजीनामा हो गया है, लेकिन वो उसे अभी भी अच्छा नहीं रखते हैं ।

13. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि पी.ड.4 श्रीमती बबली ने मृतका के कमरे के पास ही अन्य कमरे में निवास करना, मृतका के साथ होने वाले अत्याचार की जानकारी रखना तथा मृतका की मृत्यु के तुरन्त पूर्व भी मृतका के साथ जो मारपीट की गई है, उसका भी हवाला पी.ड.4 श्रीमती बबली के साक्ष्य से प्रकट होता है ।

14. धारा 107 भारतीय दंड संहिता की रोशनी में उपरोक्त साक्ष्य का अवलोकन किया जाना न्यायसंगत है । अतः धारा 107 भारतीय दंड संहिता की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है :–

दंड संहिता की धारा 107 इस प्रकार है :–

*107. **किसी बात का दुष्प्रेरण** – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

107. **Abetment of a thing** – A person abets the doing of a thing, who –

First – Instigates any person to do that thing; or

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ;

तीसरा – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1 – जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।

15. उपरोक्त कानूनी प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को अपराध हेतु प्रेरित/मजबूर किया जाए या अन्य व्यक्ति के साथ षड्यंत्रपूर्वक कार्य किया जाए या कार्य में चूक की जाए, जिससे कि अपराध/घटना संभव हो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने हेतु मजबूर या उत्प्रेरित हुआ हो, उसे दुष्प्रेरण (abetment) माना जाता है ।

16. वर्तमान मामले में मृतका का विवाह, उसकी मृत्यु के तीन साल पूर्व की अवधि में होना बताया गया है, दूसरी ओर पी.ड.4 श्रीमती बबली, जो कि मृतका की बहन है, के साक्ष्य से स्वयं के साथ पति द्वारा मारपीट करना एवं अपनी बहन कविता के साथ उसके पति द्वारा मारपीट करना एवं

Secondly – Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or

Thirdly – Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

Explanation 1 – A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing.

मारपीट का क्रम लगातार बना रहना तथा मृत्यु के तुरन्त पूर्व भी मारपीट किए जाने के परिणामस्वरूप मृतका का आत्महत्या हेतु मजबूर होकर गले में फांसी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होना प्रकट हुआ है ।

17. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध बयान मुलजिम में अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रकट हो कि मृतका किसी बीमारी से पीड़ित हो अथवा मानसिक रूप से परेशान होकर स्वयं द्वारा आत्महत्या कारित की गई हो । अतः बिन्दु संख्या-2 के क्रम में भी योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा रखे गए तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

18. अब हम बिन्दु संख्या-3 पर विचार करते हैं । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर साथ इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तुत तर्कों एवं न्याय दृष्टांत का प्रश्न है । इस बिन्दु के समर्थन में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांत जिन तथ्यों पर आधारित हैं, उससे वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति भिन्न है । उक्त न्याय दृष्टान्त में धारा 304ख भारतीय दंड संहिता के क्रम में जो अवधारणा कायम की गई है, उस अवधारणा पर आधारित होकर निर्णय पारित किया गया है ।

19. वर्तमान मामले में धारा 306 भारतीय दंड संहिता के क्रम में धारा 107 भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की रोशनी में पी.ड.4 श्रीमती बबली के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से मृतका को मृत्यु हेतु मजबूर करने के क्रम में जिस प्रकार दुष्प्रेरण (abetment) किया गया है एवं उक्त दुष्प्रेरण अपने आप मृतका को करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने के परिणामस्वरूप धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है । अतः बिन्दु संख्या-3 के क्रम में भी योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क अस्वीकार किए जाते हैं ।

20. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त की धारा 498क व 306 भारतीय दंड संहिता में की गई दोषसिद्धि के निष्कर्ष में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है ।

21. जहां तक दंडादेश का प्रश्न है, योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से दंडादेश में नरमी का रुख अपनाए जाने की प्रार्थना की गई एवं इस क्रम में प्रस्तुत तर्क एवं न्याय दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए,

अपीलार्थी की पारिवारिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की निर्भरता व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दिए गए दस वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर उसे सात वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

22. परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त की धारा 498क व 306 भारतीय दंड संहिता में की गई दोषसिद्धि के क्रम में खारिज की जाती है एवं दंडादेश के बिन्दु पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 26/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2017, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है, को परिवर्तित करते हुए दस वर्ष के स्थान पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 498क भारतीय दंड संहिता दिए गए कारावास, अधिरोपित अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड की सजा को तथा धारा 306 भारतीय दंड संहिता में अधिरोपित अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड की सजा को यथावत रखा जाता है ।

अपील आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

अशोक चौहान

तारीख 9 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 – लोकमार्ग पर उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं हुआ हो कि वाहन अभियुक्त (चालक) द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया गया था तो वह दोषमुक्त होने का हकदार है ।

मामले में उचित न्यायनिर्णयन किए जाने हेतु अभिलेख से प्रकट आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता अर्थात् सूरज कुमार (अभि. सा. 1) के कथन अर्थात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया है, उसमें यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 8 फरवरी, 2014 को लगभग 2 बजे अपराह्न सरकारी डिग्री कालेज, (सनजावली) आई. जी. एम. सी. रोड़ के नजदीक अभियुक्त को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में मारुति कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. पी बी 02जी 0829 है, चला रहा था जिसके परिणामस्वरूप, उसने कार में अपना नियंत्रण खो दिया और अंततोगत्वा एच. आर. टी. सी. टैक्सी जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर हिमाचल प्रदेश 02क 0736 है, उस पर अपनी कार से टक्कर मारी जिस वजह से उसे नुकसान पहुंचा । शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि उस सुसंगत समय पर अभियुक्त शराब के नशे में कार चला रहा था और उसके पास कार चलाने के लिए विधिमान्य और प्रभावशाली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था । पूर्वोक्त रिपोर्ट के आधार पर तारीख 23 मई, 2017 को औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क दंड संहिता की धारा 279 के अधीन पुलिस थाना सदर शिमला में अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विधि के सक्षम न्यायालय अर्थात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 4 शिमला में चालान प्रस्तुत किया जिन्होंने संतुष्ट होकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनाया, और दंड संहिता की धारा 279 तथा मोटर यान अधिनियम, 1988

की धारा 181 और 185 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए उस पर अभियोग चलाने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । इसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर एकत्र साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त पूर्वोक्त अपराधों के लिए दोषी नहीं है और उसे दोषमुक्त कर दिया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी-राज्य ने अभियुक्त की दोषमुक्ति को चुनौती दी । निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करके इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं बरती है कि इन साक्षियों द्वारा दिए गए वृत्तांत पर किसी भी तरह अवलंब नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके कथनों में तात्विक विसंगतियां और विभेद हैं । यह सुस्थापित है कि दांडिक विचारण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूत पहलू सुस्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि "कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उसकी दोषिता साबित न हो जाए" ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए आत्यंतिक सावधानी अपेक्षित है जहां विविध परिसाक्ष्य और कई साक्षी हों तो न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया है । यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि सभी साक्षी का संयुक्त साक्ष्य होना चाहिए । तदुपरि सभी साक्षियों के बीच साक्ष्य में संगतता की कसौटी का समाधान होना चाहिए । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दांडिक मामलों में साक्ष्य का संगतता की कसौटी पर मूल्यांकन किया जाना जरूरी है । यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि दांडिक विधिशास्त्र में संगतता की कसौटी पर साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । इस बात पर जोर देना व्यर्थ है कि संगतता अभियुक्त की दोषिता को ठहराने के लिए कुंजी है । इस बारे में यह भी ध्यान दिया गया है । साक्ष्य का अन्तर्निहित संगतता की कसौटी पर परख की जानी चाहिए और कहानी के अन्तर्निहित संव्याप्तता पर भी उसकी परख की जानी चाहिए । अन्य साक्षी के बारे में संगतता को विश्वसनीय ठहराया

जाना चाहिए ; ऐसे साक्ष्य के प्रमाणक मूल्य को उसके संचयी मूल्यांकन के पैमाने पर योग्य ठहराया जाना चाहिए । दांडिक विचारण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । चूंकि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूत पहलू इस कथित सिद्धांत पर आधारित है कि "कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए" अतः ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए आत्यंतिक सावधानी बरती जानी अपेक्षित है जहां विविध परिसाक्ष्य हों और कई साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया हो । यह सिलसिला भी होना चाहिए कि सभी साक्षियों का संयुक्त साक्ष्य होना चाहिए और तदुपरि सभी साक्षियों के बीच साक्ष्य में साक्ष्य को संगतता की कसौटी पर खरे उतरे जाने पर सावधान होना चाहिए । चूंकि अभिकथित दुर्घटना के समय पर अभियुक्त द्वारा शराब पीए जाने के बारे में एक अन्य अभिकथन को विधि के अनुसरण में सम्यक् रूप से साबित होना चाहिए । इस न्यायालय के पास विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार उसके निर्णय को कायम रखा जाता है । इसी तरह, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त के पास उस सुसंगत समय पर यान चलाने के लिए कोई विधिमान्य और प्रभावशाली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और, तद्नुसार, उसे मोटर यान अधिनियम की धारा 181 के अधीन दोषसिद्ध किया गया जिसके निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभिलिखित किया जाना प्रतीत होता है और इस प्रकार दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है । परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर की गई ब्यौरेवार चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता जिसके द्वारा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दोषमुक्त किया गया और इस दोषमुक्ति को कायम रखा जाता है । परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है । (पैरा 22, 23, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 5 एस. सी. सी. 182 : **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बक्शी** ;	3, 18
[2010]	(2010) 5 एस. सी. सी. 645 : **सी. मंगेश और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	23

[2009] नवीनतम हि. प्र. एल. जे. 2009 एच. पी. 72 :
अक्षय कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 16

[1990] 1990 (2) ए. सी. जे. 598 :
गुरूचरण सिंह बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** । 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 12.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री दिनेश ठाकुर अपर महाधिवक्ता
साथ में विकरांत चंदेल उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – अपीलार्थी-राज्य 15/14 का दांडिक मामला सं. 128-2 मामले में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 4 शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 21 सितंबर, 2017 को अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट हुआ जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अभियुक्त' कहा गया है) को दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराधों को किए जाने के लिए उसका अभियोग चलाने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए अपीलार्थी-राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है जिसमें अभियुक्त की दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए पूर्वोक्त अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की ईप्सा की गई है ।

2. मामले में उचित न्यायनिर्णयन किए जाने हेतु अभिलेख से प्रकट आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता अर्थात् सूरज कुमार (अभि. सा. 1) के कथन अर्थात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया है, उसमें यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 8 फरवरी, 2014 को लगभग 2 बजे अपराह्न सरकारी डिग्री कालेज, (सनजावली) आई. जी. एम. सी. रोड़ के नजदीक अभियुक्त को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में मारुति कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. पी बी 02जी 0829 है, चला रहा था जिसके परिणामस्वरूप, उसने कार में अपना नियंत्रण खो दिया और अंततोगत्वा एच. आर. टी. सी. टैक्सी जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर हिमाचल प्रदेश 02क 0736 है, उस पर अपनी कार से टक्कर मारी जिस वजह से उसे नुकसान पहुंचा । शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि उस सुसंगत

समय पर अभियुक्त शराब के नशे में कार चला रहा था और उसके पास कार चलाने के लिए विधिमान्य और प्रभावशाली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था । पूर्वोक्त रिपोर्ट के आधार पर तारीख 23 मई, 2017 को औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क दंड संहिता की धारा 279 के अधीन पुलिस थाना सदर शिमला में अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विधि के सक्षम न्यायालय अर्थात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 4 शिमला में चालान प्रस्तुत किया जिन्होंने संतुष्ट होकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनाया, और दंड संहिता की धारा 279 तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 और 185 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए उस पर अभियोग चलाने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । इसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर एकत्र साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त पूर्वोक्त अपराधों के लिए दोषी नहीं है और उसे दोषमुक्त कर दिया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी-राज्य ने अभियुक्त की दोषमुक्ति को चुनौती दी । निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

3. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री दिनेश ठाकुर ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय का उल्लेख करते हुए पुरजोर यह दलील दी कि आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में कायम योग्य नहीं है क्योंकि यह निर्णय साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं है और इस प्रकार इसे अभिखंडित और अपास्त किया जाए । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करने पर यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को सफलतापूर्वक साबित किया है कि अभिकथित घटना की तारीख को प्रश्नगत कार जिसे अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, उस वक्त अभियुक्त शराब के नशे में था और उसने एच. आर. टी. सी. टैक्सी यान को टक्कर मारी, इस प्रकार उसे नुकसान पहुंचाया । अभिलेख पर पेश किए गए अभियोजन साक्षियों के कथनों का परिशीलन करते हुए, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने इस न्यायालय को राजी करने के लिए यह गंभीर प्रयास किया कि अभियोजन पक्ष ने अभिलेख की सामग्री को सफलतापूर्वक साबित किया है कि प्रश्नगत कार

को अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था जो मानो जीवन के लिए खतरनाक था और इस प्रकार विद्वान् निचले न्यायालय के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त करें । विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री दिनेश ठाकुर ने **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बक्शी**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की और इस न्यायालय को ध्यान दिलाते हुए यह दलील दी कि शराब के नशे में यान चलाता हुआ व्यक्ति पर कोई उदारता नहीं बरती जाती है, बल्कि उस पर कठोरता से विचार किया जाना आवश्यक है और इस प्रकार, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति का निर्णय अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के प्रतिकूल रहा है, इसलिए, उसे अभिखंडित और अपास्त किया जाए ।

4. मैंने विद्वान् अपर महाधिवक्ता को सुना और सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया ।

5. मामले के तथ्यात्मक पहलू तथा विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का भी उल्लेख करने से पूर्व यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने अपील की इजाजत को मंजूरी देते हुए निर्दिष्ट रूप से परिशीलन के लिए अभिलेख को मंगाया था । इस न्यायालय ने अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् अपीलार्थी-राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गई पूर्वोक्त दलीलों से सहमत होने के लिए राजी नहीं है । चूंकि मामले की कार्यवाहियों के दौरान इस न्यायालय के पास तात्विक अभियोजन साक्षियों के कथनों का परिशीलन करने का अवसर नहीं था, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष अभिलेख पर यह साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि उस सुसंगत समय पर प्रश्नगत कार अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाई जा रही थी । अभियोजन साक्षी में से किसी ने भी अभिकथित घटना के समय पर कार को लापरवाही उपेक्षापूर्वक और अत्यधिक तेज गति चलाने के बारे में किसी प्रकार का विनिर्दिष्ट कथन नहीं किया है ।

6. यह बात सही है कि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में दुर्घटना के तथ्य से इनकार नहीं किया है परन्तु इस तथ्य से केवल उसे दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषी ठहराए जाने का आधार

---

[1] (2015) 5 एस. सी. सी. 182.

नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की ओर से कार को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने की बात को साबित करने पर अभिलेख पर कोई अकाट्य और विश्वासोत्पादक साक्ष्य नहीं दिया है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 14 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की परन्तु अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य को इंगित करता है जो अभिकथित दुर्घटना के समय पर टैक्सी के अधिभोगी थे जिन्हें अभियुक्त द्वारा आघात पहुंचाए जाने का अभिकथन किया गया था ।

7. सूरज कुमार शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 और धर्म सिंह अभि. सा. 2 उस सुसंगत समय पर एच. आर. टी. सी. टैक्सी में यात्रा कर रहे थे परन्तु यह बात रोचक है कि इन साक्षियों में से किसी ने भी यह कथन नहीं किया है कि दुर्घटना अभियुक्त की ओर से कार को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण घटित हुई ।

8. सूरज कुमार (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि वह तारीख 8 फरवरी, 2014 को एच. आर. टी. सी. टैक्सी में यात्रा कर रहा था और आई. जी. एम. सी. शिमला को जा रहा था । उसने यह भी कथन किया कि जब टैक्सी सरकारी डिग्री कालेज सनजावली के नजदीक पहुंची तो एक अन्य यान सामने से आया और टैक्सी को टक्कर मारी । उसने अभियुक्त के संबंध में इस दोष के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की । उसने यह कथन किया कि वह यह कथन नहीं कर सका है किसके दोष के कारण दुर्घटना घटी थी । यद्यपि इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था परन्तु उससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उससे की गई प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह सरकारी डिग्री कालेज सनजावली पर पहुंचने से पूर्व दाहिनी ओर उतर गया था, यह नहीं कह सकता है कि दुर्घटना कैसे घटी । इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया गया पूर्वोक्त अभिसाक्ष्य से अभिकथित दुर्घटना के समय पर घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के बारे में संदेह पैदा होता है । इस प्रकार, उस घटना के बारे में कोई भी अवलंब नहीं लिया जा सकता । उपरोक्त बातों के अलावा विद्वान् लोक अभियोजक इस साक्षी से कुछ भी सार प्रकट कराने में समर्थ नहीं था । इसके प्रतिकूल उसने अपनी मुख्य परीक्षा में जो कुछ भी कथन किया और इस प्रकार, उसका परिसाक्ष्य अविचलित रहा ।

9. इसी तरह, एक दूसरा स्वतंत्र साक्षी धर्म सिंह (अभि. सा. 2)

दुर्घटना की वास्तविक तारीख बताने में विफल हुआ । उसने यह साक्ष्य दिया कि वह एच. आर. टी. सी. टैक्सी में यात्रा कर रहा था जिसके साथ दुर्घटना घटी । उसने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं कह सकता है कि किसके दोष के कारण दुर्घटना घटी । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था परन्तु अभियोजन पक्ष उससे उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सार प्रकट कराने में असमर्थ रहा था जिसके प्रतिकूल उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में दुर्घटना को नहीं देखे जाने के तथ्य को स्वीकार किया है ।

10. पूर्वोक्त साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 केवल स्वतंत्र साक्षी हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा अभिकथित कारित दुर्घटना के बारे में अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए सहबद्ध किया था, परन्तु इसमें ऊपर जो कुछ भी चर्चा की गई, इन साक्षियों में से कोई भी दुर्घटना के सटीक कारण बताने में समर्थ नहीं हुआ था बल्कि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी स्वयं में संदेहपूर्ण है ।

11. गुरमीत (अभि. सा. 5) अर्थात् टैक्सी का ड्राइवर ने यद्यपि यह कथन किया है कि दुर्घटना अभियुक्त द्वारा कार को तेज गति से चलाने के कारण घटी परन्तु उसने कहीं भी विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि उस सुसंगत समय पर अभियुक्त द्वारा कार को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक कार चलाने के कारण हुई ।

12. पूर्वोक्त तात्विक अभियोजन साक्षियों के कथनों का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर इस न्यायालय के विवेक में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की ओर से कार चलाने में उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक की बात साबित करने में विफल हुआ है और इस प्रकार, विद्वान् निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त करके ठीक ही किया है ।

13. यह सही है कि पूर्वोक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि आघाती यान तेज रफ्तार में थी परन्तु यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है कि कार उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक अभियुक्त की ओर से चलाई जा रही हो । तेज गति अपने आप में उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने के निष्कर्ष निकालने का मानदंड नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष के लिए यह लाजिमी था कि वह चलाई जा रही कार उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में

चल रही थी, उसे आघाती कार साबित करना था जिससे मानव जीवन को खतरा हो जाता या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या चोट पहुंचाना संभव होता ।

14. आपराधिक विधि के प्रयोजन के लिए यह कहना व्यर्थ है कि साक्ष्य की उच्च मात्रा महापराध साबित करने के लिए अपेक्षित है, मात्र दुर्घटना घटित होने का कारण से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि ड्राइवर की ओर से उपेक्षा बरती गई हो । गाड़ी चलाने का कार्य एकमुश्त उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक का होना चाहिए जिसकी सीमा यह होनी चाहिए कि तभी युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है । यह इस कार्य से संभवतः मानो जीवन को खतरा था या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो ।

15. यह भी सुस्थिर है कि अभियुक्त की ओर से यदि कोई उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाई जा रही थी तो अभियोजन पक्ष द्वारा उसे साबित करने के लिए विनिर्दिष्ट साक्ष्य पेश किया जाना अपेक्षित है । मात्र अभिकथनों से अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषी ठहराया जाना पर्याप्त नहीं है ।

16. इस प्रक्रम पर **अक्षय कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में हमारे उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हैं जिसके सुसंगत पैरा का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "8. वास्तव में क्षति उपेक्षापूर्वक की गई समझी जाएगी चाहे किसी ने स्वेच्छा से इसे कारित किया हो परन्तु युक्तियुक्त सावधानी के अभाव के परिणामस्वरूप कोई कार्य जिसे कारित किए जाने में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे कार्य के परिणाम की उपयुक्तता को करता है या युक्तियुक्त रीति प्रयोग न करने के परिणामस्वरूप कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें रिष्टि को रोकने के लिए युक्तियुक्त सावधानी को प्रयोग न करके कोई कार्य किया जाता है या किसी कार्य का लोप किया जाता है जो खतरनाक प्रकृति का हो सकता है या जिसे जानकारी के साथ किया गया है यदि ऐसा है तो ऐसी क्षति कारित हो सकती है परन्तु क्षति कारित करने में आशय या जानकारी के बिना ऐसी क्षति संभवतया कारित हो जाएगी । आपराधिता उतावेलापन से कार्य करना जोखिम पर निर्भर करता है । उतावलेपन

---

[1] नवीनतम हि. प्र. एल. जे. 2009 एच. पी. 72.

से और उपेक्षापूर्वक कार्य को आपराधिक उतावलेपन से बरती गई उपेक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है । यह लापरवाही या निर्णय की गलती से भी अधिक हो सकती है ।

निचले न्यायालयों ने पूर्वोक्त तथ्यों का मूल्यांकन नहीं किया है कि सड़क के मोड़ पर मलवे के कारण व्यक्ति फिसलता है । ऐसे मोड़ों का सही ढंग से निर्धारण न करना जैसाकि ऊपर कथन किया गया है उस पर कुछ साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि बस के रास्ते पर गोबर के होने की वजह से दुर्घटना घटित होती है और आवेदक द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने से भी इनकार किया जाता है, अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा आवेदक के विरुद्ध निकाले गए निष्कर्ष विधिक और साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं थे । पूर्वोक्त परिस्थितियों में आवेदक के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके द्वारा आपराधिक उतावलापन या उपेक्षा बरती गई है । इस प्रकार वह संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से दो मत प्रकट होते हैं ।"

17. **गुरूचरण सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसके सुसंगत पैरा इस प्रकार हैं :–

"14. इस मामले के तथ्यों का उल्लेख करने पर साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि प्रश्नगत ट्रक 90 क्विंटल खाद से भरा हुआ था । सुस्पष्टतया यह नहीं कहा जा सकता है कि ट्रक की गति बहुत तेज थी । दूसरा वहां पर राज्य मार्ग था न कि राष्ट्रीय राज मार्ग । इसलिए उस स्थान पर ट्रक की गति के बारे में अत्यधिक होना नहीं कहा जा सकता है ।"

"15. इस पहलू पर साक्षियों के कथनों पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि ट्रक अत्यधिक तेज गति से जा रहा था परन्तु इस बारे में यह नहीं कहा गया है कि उसकी वास्तविक गति क्या थी । अर्थात् ट्रक अत्यधिक तेज गति से जा रहा था इस बारे में न तो उसके तेज गति के चलने के बारे में उचित और विधिक साक्ष्य नहीं था और न ड्राइवर की ओर से किसी भी तरह उतावलेपन से ट्रक को

[1] 1990 (2) ए. सी. जे. 598.

चलाना उपदर्शित होता है । अभियोजन पक्ष को ट्रक की गति के इस पहलू के बारे में स्टीक बात को प्रकट करना चाहिए जो विचार किए जाने के लिए आवश्यक प्रश्न है और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन मामले को साबित करना चाहिए । इसके अतिरिक्त, वहां पर कोई फिसलने के चिह्न नहीं थे जिससे ट्रक के तेज चलने के साक्ष्य विलुप्त हुआ हो । इसके अतिरिक्त, साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया कि ट्रक दुर्घटना के स्थान से 50 फीट की दूरी पर रुका हुआ था । इससे यह प्रतीत होता है कि मामले में बढ़ा-चढ़ाकर बातें कही गई थीं । तथापि, दो बिन्दुओं को देखने पर लम्बी दूरी नहीं दिखाई देती है ; यानि कि दुर्घटना का प्रथम प्रभाव और ट्रक का अन्तिम पहिए और प्रश्नगत ट्रक की बनावट की कुल दूरी । यदि इन कोणों को देखा जाए तो साक्षियों द्वारा अभिकथित दूरी को काफी दूर होने पर विचार नहीं किया जा सकता और इस प्रकार तेज गति से ट्रक चलाने की बात भी नहीं प्रकट होती । आवेदक का यह वृत्तांत कि उसने मोड़ के स्थान पर भोंपू बजाया था जिससे बच्चा डर गया जिस पर बिना सार के विचार नहीं किया जा सकता । इससे युक्तियुक्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक ने सड़क पर बच्चे को देखकर भोंपू बजाया क्योंकि यह बात साक्ष्य में प्रकट है कि बच्चा सड़क के पक्के भाग पर पहुंचा था जबकि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि क्या साक्षी खास तौर पर घनश्याम अभि. सा. 7, चन्द्रकांता अभि. सा. 8, माता और कुछ अन्य साक्षी उस विशिष्ट समय पर वहां पर मौजूद थे । वस्तुतः इन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि वे किसी गांव से आ रहे थे जो प्रश्नगत मुख्य सड़क पर थे । इस उम्र के बच्चे सामान्यतया अपनी मनःस्थिति से चालाक होते हैं और अपने माता-पिता से तेज गति से चलते हैं और चलते वक्त उनकी गति तेज होती है और चलते हुए उनके साथ ऐसा होता है । वर्तमान मामले में भी ऐसा होना प्रतीत होता है । इस मामले की परिस्थितियों की बारीकी से परीक्षा करने पर अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि मृतक अपने माता-पिता और साक्षियों के पहुंचने से पूर्व सड़क के पक्के भाग पर पहुंचा था । उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि बच्चे को ट्रक द्वारा कुचला गया था । दूसरी ओर आवेदक ने यह कथन किया है कि उसके द्वारा सड़क को पार करने के पूर्व भोंपू बजाया गया था जिस पर उसके द्वारा विचार नहीं किया जा सका और दुर्घटना का

परिणाम घटित हुआ और जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई । ऐसे मामलों में कभी-कभी पादचारी अचानक सड़क को पार करते हैं और यान का ड्राइवर ऐसे पादचारियों को बचा नहीं सकता, तथापि, वह यान की गति को धीरे कर सकता है । ऐसी स्थिति में उसे उपेक्षित नहीं ठहराया जा सकता ; बल्कि यह प्रतीत होता है कि बच्चे के माता-पिता असावधान रहते हैं, वे बच्चे की उचित देखभाल नहीं करते हैं और उसे सड़क पर अकेला आने देते हैं जबकि वे उस जगह पर उनके पीछे होते हैं और वे बच्चों को पीछे लाने के लिए दौड़ भी सकते हैं जिससे कि यान के सम्पर्क में न आने से बच्चा बच जाए । उनके अभिसाक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि ट्रक ड्राइवर अत्यधिक तेज गति से आता हुआ काफी दूरी पर था और ऐसी स्थिति में बच्चा सड़क को पार करना चाहता तो वह समय के अन्तर्गत वह ऐसा कर सकता था और दुर्घटना के स्थान पर पहुंचने से बच सकता था । वास्तव में दुर्घटना कैसे घटित हुई इस बारे में स्पष्ट नहीं है और साक्षियों में से किसी के द्वारा भी स्पष्ट और व्यापक रूप से कथन नहीं किया गया है । उनके बारे में यह प्रतीत होता है कि वे ड्राइवर के कार्य से चिड़े हुए हैं । अतः उनका वृत्तांत आवेदक के कार्य के प्रति गढ़ा हुआ है और क्योंकि यह तथ्य प्रकट है कि बच्चे की मृत्यु हो गई थी ।"

18. **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बक्शी**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रति इस न्यायालय ने अपना पूर्ण समर्थन दर्शाया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि लापरवाह ड्राइवरों के संबंध में कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

"25. मामले का निपटारा करने से पूर्व हम यह मत व्यक्त करने के लिए विवश हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति उपेक्षा बरती जाती है । ड्राइवरों के लिए उदासीन दृष्टिकोण अपनाया जाता है । उन्होंने यह महसूस किया है कि वे अपने आप में सम्राट हैं । शराब पीकर गाड़ी चला कर लापरवाही बरती जाती है जहां अन्य लोग उनकी दया याचना पर रहते हैं । और यह महसूस किया गया कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहता है और पैदल चलने वाले लोगों का जीवन अनिश्चित रहता है तथा सभ्य व्यक्ति भयभीत रहते हैं और

---

[1] (2015) 5 एस. सी. सी. 182.

लोगों के अप्रिय दृष्टिकोण की आशंका को "जीवन की अपेक्षा" अत्यधिक महत्व देते हैं । ऐसी प्रवृत्त परिस्थितियों में हमें यह देखना होगा कि कानून विनिर्माता को दंड संहिता की धारा 304क में दंड की नीति की समीक्षा और उस पर पुनः गहराई से विचार करना चाहिए ।"

19. ड्राइवरों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के बारे में खास तौर पर जब वे शराब के नशे में चलाते हैं तब उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त मत से कोई भी असहमत नहीं हो सकता है । परन्तु वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ था कि अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाई जा रही है बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया वृत्तांत अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में तात्विक विभेदों को देखते हुए अविश्वसनीय प्रतीत होता है और इस प्रकार यह न्यायालय वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त विधि को लागू करना न्यायसंगत नहीं समझता ।

20. यद्यपि पूर्वोक्त साक्षियों के परिसाक्ष्य से अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई कहानी की सत्यता का अवधारण करना निर्णायक है परन्तु सभी अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों का यदि संयुक्त रूप से परिशीलन किया जाए तब कुछ कतिपय व्यवस्था इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करती हैं कि उनके कथनों में तात्विक विसंगतताएं हैं जिससे निश्चित तौर पर अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक साबित नहीं है । वर्तमान मामले में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि यान जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एच पी 02क 0736 है, एच. आर. टी. सी. टैक्सी है परन्तु अभिलेख और रजिस्टर्ड मालिक अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह प्रकट है तथा पश्चात्वर्ती क्रेता के साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि उक्त कार प्राइवेट कार थी जिसे टैक्सी के रूप में चलाया जा रहा था ।

21. इसी तरह, अभि. सा. 14 सहायक उप निरीक्षक राजपाल अन्वेषक अधिकारी ने अन्य साक्षियों के प्रतिकूल अपना मत व्यक्त किया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि टैक्सी एच. आर. टी. सी. टैक्सी थी ।

22. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करके इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं बरती है कि इन साक्षियों द्वारा दिए गए वृत्तांत पर किसी भी तरह अवलंब नहीं लिया

जा सकता क्योंकि उनके कथनों में तात्विक विसंगतियां और विभेद हैं ।

23. यह सुस्थापित है कि दांडिक विचारण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूत पहलू सुस्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि "कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उसकी दोषिता साबित न हो जाए" ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए आत्यंतिक सावधानी अपेक्षित है जहां विविध परिसाक्ष्य और कई साक्षी हों तो न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया है । यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि सभी साक्षी का संयुक्त साक्ष्य होना चाहिए । तदुपरि सभी साक्षियों के बीच साक्ष्य में संगतता की कसौटी का समाधान होना चाहिए । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दांडिक मामलों में साक्ष्य की संगतता की कसौटी पर मूल्यांकन किया जाना जरूरी है । इस बारे में **सी. मंगेश और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "45. यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि दांडिक विधिशास्त्र में संगतता की कसौटी पर साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । इस बात पर जोर देना व्यर्थ है कि संगतता अभियुक्त की दोषिता को ठहराने के लिए कुंजी है । इस बारे में यह भी ध्यान दिया गया है कि सूरज सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 686 = [2008] 11 एस. सी. आर. 286 इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया – [एस. सी. सी. पृष्ठ 704, पैरा 14]
>
> > '14. साक्ष्य का अन्तर्निहित संगतता की कसौटी पर परख की जानी चाहिए और कहानी के अन्तर्निहित संव्याप्तता पर भी उसकी परख की जानी चाहिए । अन्य साक्षी के बारे में संगतता को विश्वसनीय ठहराया जाना चाहिए ; ऐसे साक्ष्य के प्रमाणक मूल्य को उसके संचयी मूल्यांकन के पैमाने पर योग्य ठहराया जाना चाहिए ।'

---

[1] (2010) 5 एस. सी. सी. 645.

दांडिक विचारण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । चूंकि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूत पहलू इस कथित सिद्धांत पर आधारित है कि 'कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए' अतः ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए आत्यंतिक सावधानी बरती जानी अपेक्षित है जहां विविध परिसाक्ष्य हों और कई साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया हो । यह सिलसिला भी होना चाहिए कि सभी साक्षियों का संयुक्त साक्ष्य होना चाहिए और तदुपरि सभी साक्षियों के बीच साक्ष्य में साक्ष्य को संगतता की कसौटी पर खरे उतरे जाने पर सावधान होना चाहिए ।"

24. चूंकि अभिकथित दुर्घटना के समय पर अभियुक्त द्वारा शराब पिए जाने के बारे में एक अन्य अभिकथन को विधि के अनुसरण में सम्यक् रूप से साबित होना चाहिए । इस न्यायालय के पास विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार उसके निर्णय को कायम रखा जाता है ।

25. इसी तरह, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त के पास उस सुसंगत समय पर यान चलाने के लिए कोई विधिमान्य और प्रभावशाली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और, तद्नुसार, उसे मोटर यान अधिनियम की धारा 181 के अधीन दोषसिद्ध किया गया जिसके निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभिलिखित किया जाना प्रतीत होता है और इस प्रकार दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है ।

26. परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर की गई ब्यौरेवार चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता जिसके द्वारा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दोषमुक्त किया गया और इस दोषमुक्ति को कायम रखा जाता है । परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

अब्दुल रहमान

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 15 जून, 2018

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 364, 302, 120ख और 201 के साथ पठित धारा 34 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439] – हत्या – जमानत याचिका – धारा 439 – याची-अब्दुल रहमान का मुख्य अभियुक्त का सगा चाचा होना – मामले से यह अभिकथन किया जाना कि याची ने मुख्य अभियुक्त को अपनी कार उधार दी – यदि याची के संबंध में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने मुख्य अभियुक्त के साथ अपराध किए जाने के लिए षड्यंत्र रचा था और पुलिस द्वारा याची के विरुद्ध मामले को दर्ज करने में सावधानी नहीं बरती गई तथा याची की ओर से ऐसा कोई लोप नहीं किया गया जिसे मुख्य अभियुक्त के समक्ष रखा जा सके तो याची जमानत पाने का हकदार है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 364, 302, 120ख, 201 और 34 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439] – याची पेशे से डाक्टर है और उसकी समाज में गहरी साख है और अपनी गिरफ्तारी से पूर्व मामले में अन्वेषण के दौरान वह भागा नहीं है, इसलिए यदि उसको जमानत दे दी जाए तो उसके आगे भागने की कोई संभावना नहीं है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन जो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रकट है, इस प्रकार है कि 20 वर्ष आयु की मुमताज (शिकायतकर्ता वाजिद अली की पुत्री) तारीख 11 नवंबर, 2017 को वापस घर नहीं लौटी क्योंकि वह महाविद्यालय से अपनी अंक तालिका को लेने के लिए पोन्टा साहिब के लिए चली और जिस वजह से उसने लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में अपना घर छोड़ दिया था जिस पर उसकी नातेदारी में प्रत्येक जगह तलाशी ली गई थी परन्तु उसका कोई सुराग नहीं मिला, शिकायतकर्ता द्वारा 13 नवंबर, 2017 को पुलिस थाना माजरा पर उसकी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । पुलिस को मुमताज को ढूंढ़ने के दौरान एक सुराग

का पता चला कि वह तारीख 11 नवंबर, 2017 को पोन्टा साहिब पर शारिक रहमान नामक व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखी गई थी जिसके पश्चात् उक्त शारिक रहमान से पूछताछ की गई थी जिसने पुलिस को यह बताया कि मुमताज ने उसे अज्ञात नम्बर से उसके मोबाइल फोन पर उससे पोन्टा साहिब आने के लिए कहा था जिस पर वह उससे मिलने के लिए पोन्टा साहिब गया था, परन्तु, उस समय मुमताज बहुत गुस्से में थी और उसने उससे यह कहा कि वह अपना स्वयं का रास्ता अपनाने जा रही है और उसे अपने स्वयं का कारोबार अपने दिमाग में रखना चाहिए । इसके पश्चात् जब पुलिस आगे अन्वेषण के लिए 15 नवंबर, 2017 को शारिक रहमान के घर पर गई तब उसने किसी नुकीले धारदार आयुध से अपने पेट में क्षति कारित करके आत्महत्या करने की कोशिश की थी जिस पर दंड संहिता की धारा 342, 186, 506 और 309 के अधीन पुलिस थाना माजरा में उसके विरुद्ध तारीख 15 नवंबर, 2017 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/2017 को रजिस्ट्रीकृत किया गया । शारिक रहमान को अग्रवाल अस्पताल जगधारी/यमुना नगर में भर्ती किया गया था । तारीख 17 नवंबर, 2017 को याची-अब्दुल रहमान जो शारिक रहमान का सगा चाचा है, ने मामले में हस्तक्षेप किया और पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण में बाधा डाली तथा फोरेंसिक दल को गालियां दीं और उन्हें धमकियां भी दीं जब वे 17 नवंबर, 2017 को शारिक रहमान के घर पर पहुंचे जिस पर सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र ने दंड संहिता की धारा 186 और 189 के अधीन डी. डी. आर. में रिपोर्ट दर्ज की । शारिक रहमान के मोबाइल नम्बर के कॉल विवरण और टावर लोकेशन को प्राप्त करने के पश्चात् उसका लोकेशन 11 नवंबर, 2017 को प्रातः पुरुवाला, मोगीनंद बादरीपुर, गोंदपुर पर पाई गई थी और दिन के दौरान बदवास, बाल्दवा, (कामरु) पर लोकेशन पाई गई थी और 1.30 बजे अपराह्न के पश्चात् पुनः उसे बादरीपुर और पुरुवाला क्षेत्र पर उसकी लोकेशन पाई गई थी । इस सूचना को प्राप्त करने के पश्चात् इन क्षेत्रों में मुमताज को ढूंढ़ा गया था । तारीख 25 नवंबर, 2017 को पुलिस दल द्वारा सतानू और हेवना मंदिर के बीच बड़े मोड़ पर दुर्गंध की बू महसूस की गई जिस पर सड़क के नीचे तलाशी ली गई थी तथा सड़क के 20 फीट नीचे की दूरी पर लाल रंग के महिला का प्लास्टिक जूता पाया गया था और सड़क के नीचे 30 फीट पर आगे तलाशी लेने पर किसी महिला की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई पाई गई थी । उक्त शव पर जो कपड़े मृतका द्वारा पहने गए थे, उन कपड़ों के आधार पर मृतका का चचेरा भाई रियासत अली और चाचा सलीम अली द्वारा उसकी

पहचान की गई थी क्योंकि तारीख 11 नवंबर, 2017 को जब मृतका घर छोड़ कर गई थी, उस समय मुमताज ने उन्हीं कपड़ों को पहना था और उसके लाल प्लास्टिक के जूतों का उसके चाचा मेहाजबीन द्वारा भी पहचान की गई थी । इसके पश्चात्, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे जिन्होंने यह कथन किया कि शारिक रहमान ने अब्दुल रहमान (याची) के साथ उसकी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एच पी 17बी 5944 है, का इस्तेमाल करके षड्यंत्र रचा था और मुमताज को उसकी हत्या करने के आशय के साथ खड़ी चट्टान से फेंक दिया था क्योंकि तारीख 11 नवंबर, 2017 को जब शारिक रहमान उक्त कार में पुरुवाला वापस लौटा तब उसने अपनी बुआ के घर के नजदीक उक्त गाड़ी को धोया था जिस पर याची-अब्दुल रहमान को तारीख 26 नवंबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था । पुलिस रिमांड के दौरान उसने अपनी कार जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 17बी 5944 पेश की और उसके साथ-साथ गाड़ी की चाबी और अन्य दस्तावेज भी पेश किए और यह बताया कि उसका भतीजा (शारिक रहमान) ने उसकी कार को तारीख 11 नवंबर, 2017 को उधार में लिया था । उस क्षेत्र में लगाए गए सी. सी. टी. वी. कैमरा के तारीख 11 नवंबर, 2017 की फुटेज की जांच करने के पश्चात् उक्त गाड़ी पुरुवाला पर 10.24 बजे पूर्वाह्न पाई गई थी जो सतानू की ओर जा रही थी तथा बाटापुल पर 2.03 बजे अपराह्न पुरुवाला की ओर आती हुई पाई गई थी । शारिक रहमान के कॉलों का विवरण और साहिल खान (सह अभियुक्त) की बातचीतों से यह प्रकट होता है कि उनकी मौजूदगी उसी क्षेत्र में थी जिस स्थान पर साहिल खान से पूछताछ की गई थी जिसने यह बताया कि तारीख 11 नवंबर, 2017 को, कि वह शारिक और मुमताज के साथ उक्त कार में कामरु की ओर गया था और कामरु से लौटने के दौरान शारिक ने मोड़ के नजदीक कार को रोक दिया था और उससे यह कहा कि वह यहां से चला जाए क्योंकि उसे मुमताज से कुछ वैयक्तिक बातचीत करनी है जिस पर वह कार से नीचे उतर गया था और पीछे की ओर चला गया और शारिक रहमान ने अपनी गर्लफ्रैन्ड से बातचीत की । जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि शारिक मुमताज को कार से बाहर घसीट रहा था और उसे खड़ी चट्टान से नीचे फेंक दिया । उसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 मामले में जोड़ी गई थी और तारीख 28 नवंबर, 2017 को साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था । तारीख 29 नवंबर, 2017 को निदेशक एस. एफ. एस. एल. ने अपने दल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा घटना में अन्तर्वलित यान का निरीक्षण

किया गया और यान से बाल और बालू को कब्जे में लिया गया था । पिछली सीट के सीट कवर और फूट-मेट को भी कब्जे में लिया गया था । तारीख 1 दिसंबर, 2017 को साहिल खान ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन दिया था जिससे घटनास्थल की पहचान की गई जहां शारिक रहमान द्वारा गला दबाकर मुमताज की हत्या की गई और खड़ी चट्टान से उसे नीचे फेंक दिया गया । पुलिस द्वारा शारिक रहमान को 4 दिसंबर, 2017 को उसकी अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया था जिसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन यह भी कथन किया था जिससे घटनास्थल की पहचान की गई थी । उसने उस घटनास्थल की पहचान की थी जहां से उसने मृतका का पर्स और एक जूता सड़क के नीचे फेंक दिया था, परन्तु उक्त पर्स और जूता उक्त घटनास्थल पर तलाशी लेने के बावजूद बरामद नहीं हो सके थे जिसके परिणामस्वरूप दंड संहिता की धारा 201 को भी मामले में जोड़ा गया । अन्वेषण के दौरान मुमताज का विसरा और कपड़े और सी. सी. टी. वी. फुटेज शारिक रहमान और साहिल खान का मोबाइल तथा यान से बरामद की गई सामग्री और अभियुक्त और शारिक रहमान से प्राप्त की गई वस्तुएं रसायनिक विश्लेषण के लिए एस. एफ. एस. एल. जुंगा भेजे गए थे जिसकी रिपोर्ट अब प्राप्त कर ली गई है । प्रास्थिति रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में पूर्व चालान भी न्यायालय में पेश किया गया जबकि विद्वान् सेशन अपर न्यायाधीश जिला सिरमोर नाहान के विचार के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया । याची ने अपर सेशन न्यायाधीश जिला सिरमोर नाहान के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन फाइल किया था जिसे 3 जनवरी, 2018 को खारिज कर दिया गया था, जिसके पश्चात् याची ने 2018 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 41 फाइल करके इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया गया था, परन्तु, उसे इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि याची द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष आवेदन फाइल किया गया है जिसे इस आधार पर प्रारंभिक प्रक्रम पर खारिज कर दिया गया था कि उस समय अन्वेषण की कार्यवाही भी चल रही थी और उसी समय चालान भी फाइल किया गया था तथा इस न्यायालय में याचिका [दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 41/2018] भी प्रस्तुत किया गया था, उक्त याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई थी कि विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष नए सिरे से आवेदन फाइल करें । इसके पश्चात्, याची ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया

था जिसे तारीख 3 अप्रैल, 2018 को खारिज कर दिया गया था और याची को इस बात के लिए विवश किया गया था कि इस न्यायालय में वर्तमान याचिका फाइल करें । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याची की जमानत मंजूरी का उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित परिधियों के भीतर विचार किया जाना चाहिए । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है । वर्तमान मामले में विद्वान् उप महाधिवक्ता के निवेदन के अनुसार आवेदक के विरुद्ध अभियोग चलाना साक्षी वाजिद अली (शिकायतकर्ता), इमरान, शमीम अली और रियासत अली के कथनों पर आधारित है तथा इस तथ्य पर भी आधारित है कि याची ने मुख्य अभियुक्त को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए अनुज्ञात किया था जो अपराध कारित किए जाने में अन्तर्वलित पाया गया था और इसके अतिरिक्त बल्कि अन्वेषण में बाधा डालने की कोशिश की कि याची ने मुख्य अभियुक्त के संदेहास्पद क्रियाकलापों के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित पूर्वोक्त साक्षियों के कथन का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि याची के यान को इस्तेमाल करने के आधार पर भी मुख्य अभियुक्त ने घटना के पश्चात् दो बार उस गाड़ी की सफाई की, इन साक्षियों ने अपने कथनों में अपराध किए जाने के बारे में याची के षड्यंत्र में शामिल होने के बारे में संदेह व्यक्त किया है और यह भी कथन किया है कि शारिक रहमान मुमताज को छेड़ा करता था और उसने मुमताज से अपने रिश्ते को तोड़ने का कारण वह खुद था और इस प्रकार, शारिक रहमान ने अपने चाचा अब्दुल रहमान (याची) की सहायता से मुमताज की हत्या कर दी थी । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के कॉल के ब्यौरे तथा मोबाइल फोनों की स्थिति को भी प्राप्त किया था । कॉल के ब्यौरे जिनका इस न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया गया है और यह तथ्य कि मृतका मुमताज ने अपनी दोस्त निशा के फोन के माध्यम से तारीख 11 नवंबर, 2017 को 9.43 बजे पूर्वाह्न से 9.46 बजे पूर्वाह्न के दौरान वार्तालाप की थी । कुमारी निशा के कथन के अनुसार जिसे पुलिस द्वारा 11 नवंबर, 2017 को लगभग 9.30/9.45 बजे पूर्वाह्न अभिलिखित किया गया था जब वह पुरुवाला बस स्टाप पर पोन्टा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी तब मुमताज जो वहां पर थी, ने उसे यह बताया था कि वह अपने अवकाश पर है तथा और उसी समय वह पोन्टा जाना चाहती

थी । मुमताज ने अपने मोबाइल से एक या दो कॉल की थीं और उस समय शारिक रहमान टैम्पो में पोन्टा साहिब से पहुंचा था और मुमताज को आंख से इशारा किया था । उसी बीच में वहां पर बस पहुंची और वह और मुमताज उक्त बस में पोन्टा गए । वह बानगाम चौक पर बस से उतर गई थी जबकि मुमताज बस में आगे की ओर चली गई । कॉल के ब्यौरे और कुमारी निशा के संयुक्त कथन का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि मुमताज और शारिक रहमान और साहिल खान के बीच वार्तालाप हुई थी परन्तु इन कॉलों के दौरान याची के साथ शारिक रहमान के बीच कोई बातचीत होना प्रकट नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्षकथन यह भी है कि मुमताज को शारिक रहमान और साहिल खान द्वारा गाड़ी में ले जाया गया था । जहां तक याची की ओर से शारिक रहमान और साहिल खान को उकसाने की षड्यंत्र की बात है जिससे कि संबंधित अपराध कारित हुआ है । इस बात को, विचारण के दौरान सिद्ध किया जाना है और यह मामला विचारण न्यायालय के विचारार्थ है । एक आधार जो याची को अपराध में फंसाने से संबंधित है, उसने शारिक रहमान और साहिल खान को अपनी कार देने के लिए अनुज्ञात किया है । इस प्रयोजन की जानकारी जिसके लिए शारिक रहमान द्वारा उसकी कार को लिया गया था, यह भी एक तथ्य है, उसे विचारण में भी साबित किया जाना है । प्रथमदृष्ट्या, अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि शारिक रहमान हत्या कारित करने में मुख्य अपराधी है और साहिल खान उसके साथ सहापराधी है । मुमताज और शारिक रहमान की एक दूसरे के साथ आपस में घनिष्ठता प्रकट होती है तथा साहिल खान उनका एक सामान्य सा दोस्त भी था और इस बारे में याची को प्रत्येक मामले की जानकारी होने की भी बात सिद्ध की जाती है । परन्तु यद्यपि यह विचार किया गया है कि उसे ऐसी घनिष्ठता की जानकारी थी, इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर केवल ऐसी जानकारी होना याची की जमानत याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता । मुमताज और शारिक रहमान के बीच जो कुछ घटित हुआ, उसकी जानकारी या तो शारिक रहमान या साहिल खान को थी । इस कार्य के बारे में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है कि याची को प्रत्येक बात की जानकारी हो ऐसी जानकारी और षड्यंत्र, यदि कोई है, तो अभिलेख पर भी सिद्ध किया जाना चाहिए । (पैरा 17, 18, 19, 20, 21 और 22)

यह ध्यान देने योग्य है कि अन्वेषण में हस्तक्षेप करने के लिए और

उस पर बाधा डालने के लिए याची के विरुद्ध डी. डी. आर. अभिलिखित किया गया है जिसके लिए प्रत्यर्थी-राज्य/अन्वेषण अभिकरण समुचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें मामले के रजिस्ट्रीकरण का किया जाना भी सम्मिलित है, यदि मामला बनता है । याची की ओर से ऐसा कार्य निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही करने को आवश्यक बनाता है और इसमें संदेह का यह भी कारण हो सकता है कि उसने शारिक रहमान से अपने को बचाने के लिए उसे आश्वस्त किया है, परन्तु, याची की ओर से ऐसा लोप करना अपराध किए जाने के पश्चात् शारिक रहमान की मदद करने का प्रयास है, जिससे यह अभिप्रेत नहीं है कि उसने मुख्य अभियुक्त के साथ अपराध किए जाने के लिए षड्यंत्र रचा था । ऐसे कार्य पर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध मामले का रजिस्ट्रीकरण करके सावधानी बरती जा सकती थी । इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से यह प्रकट होता है कि याची की ओर से लोप किए जाने की प्रक्रिया को मुख्य अभियुक्त शारिक रहमान और साहिल खान का कार्य जिसमें मुमताज की हत्या की गई, के समतुल्य नहीं रखा जा सकता है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री याची के मामले में अन्तर्वलन के संदेह की ओर इंगित कर सकता है परन्तु इस प्रक्रम पर ऐसा संदेह जिसे सिद्ध भी किया जाना है, जमानत इनकार करने का कारण नहीं हो सकता । अब मामले में अन्वेषण पूरा हो चुका है और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है, इसलिए, मामले में अन्वेषण में हेरफेर करने या उस पर बाधा पहुंचाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, अतः याची को जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त, न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई है और भविष्य में पूरक चालान के साथ उसे न्यायालय में फाइल किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसमें याची की कोई भी भूमिका नहीं है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुमताज तारीख 11 नवंबर, 2017 को गायब हो गई थी जबकि याची को 26 नवंबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और साक्षी जिनके कथनों पर याची के विरुद्ध अभियोग चलाने का आधार बनाया गया था, उसकी गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया गया था । अतः साक्षियों को सत्य बात कहने से आतंकित करने या रोकने की संभावना मामले में नहीं है । इसके अतिरिक्त, किसी मामले में यदि याची ऐसे किसी कार्य में स्वयं अन्तर्वलित होता है तब न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन उसकी जमानत को रद्द करने के लिए समावेदन किया जा सकता है । याची पेशे से डाक्टर है और उसकी समाज में गहरी साख है और अपनी गिरफ्तारी से पूर्व वह मामले में अन्वेषण के

दौरान भागा नहीं है और इसलिए यदि उसको जमानत दे दी जाए तो उसके भागने की कोई संभावना नहीं है । अभियोजन के अनुसार, अपराध किए जाने के लिए प्रयुक्त कार से बाल बरामद किए गए थे परन्तु एस. एफ. एल. रिपोर्ट के अनुसार उनका शारिक रहमान के बालों से मेल नहीं हुआ है । उक्त कारणों के बारे में अन्वेषक अभिकरण/अधिकारी को अच्छी तरह जानकारी थी कि यह बात किसी अन्य व्यक्तियों के अर्थात् शारिक खान, अब्दुल रहमान (याची) या मृतका मुमताज के बालों से उक्त बालों की तुलना करने के लिए भेजे नहीं गए हैं । उस बारे में भी जानकारी नहीं है कि क्या मृतका मुमताज के बाल को ऐसी तुलना करने के लिए सुरक्षित रखा गया था या नहीं । इस बारे में क्या अब यह संभव है कि कब से उसके बाल के तत्व को लिया जाए । अन्वेषक अभिकरण/अधिकारी को अन्वेषण के दौरान इन बातों का विनिश्चय करना था । इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सम्पूर्ण सामग्री और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उन पर विचार करते हुए याची के लिए यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो पुलिस थाना माजरा, जिला सिरमोर, हिमाचल प्रदेश पर तारीख 14 नवंबर, 2017 को रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10/2017 के मामले में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया जाता है । इसमें ऊपर इस याचिका में की गई मताभिव्यक्तियां मामले के गुणागुण पर किसी भी प्रकार भी नहीं रखी जाएगी और विचारण न्यायालय अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करेगा, विधि के अनुसरण में इस न्यायालय की किसी मताभिव्यक्ति द्वारा प्रभावित हुए बिना उस पर स्वयं गुणागुण पर विचार करेगा । (पैरा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 3 एस. सी. सी. 22 : **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	16
[2012]	(2012) 1 एस. सी. सी. 40 : **संजय चन्द्र** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	15
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 694 : **सिद्धाराम स्टालिनगप्पा मैत्रये** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	14

[2010] (2010) 14 एस. सी. सी. 496 :
प्रशांत कुमार सरकार बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य** ; 13

[1980] (1980) 2 एस. सी. सी. 565 :
गुरूबक्स सिंह सिबिया बनाम **पंजाब राज्य** ; 14

[1978] (1978) 1 एस. सी. सी. 118 :
गुरूचरण सिंह बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** । 12

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 655.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री एन. एस. चन्देल और सुनील मोहन गोयल अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री शिव पाल मनहास और सुश्री रमिता कुमारी, अपर महाधिवक्ता साथ में श्री राजू राम राही उप महाधिवक्ता

सहायक उप निरीक्षक हरदेव सिंह, पुलिस थाना मजारा, जिला सिरमोर (व्यक्तिगत रूप से मौजूद)

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर – याची ने दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे संक्षेप में द. प्र. स. कहा गया है) की धारा 439 के अधीन वर्तमान याचिका फाइल की है जिसमें दंड संहिता की धारा 364, 302, 120ख, 201 के साथ पठित धारा 34 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भा. द. स." कहा गया है) के अधीन तारीख 14 नवंबर, 2017 को पुलिस थाना माजरा, जिला सिरमोर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत 2017 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10 में नियमित जमानत की मंजूरी के लिए प्रार्थना की गई है ।

2. मैंने याची के विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान् उप महाधिवक्ता को सुना और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से फाइल किए गए प्रास्थिति रिपोर्ट का भी परिशीलन किया ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन जो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से

प्रकट है, इस प्रकार है कि 20 वर्ष आयु की मुमताज (शिकायतकर्ता वाजिद अली की पुत्री) तारीख 11 नवंबर, 2017 को वापस घर नहीं लौटी क्योंकि वह महाविद्यालय से अपनी अंक तालिका को लेने के लिए पोन्टा साहिब के लिए चली और जिस वजह से उसने लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में अपना घर छोड़ दिया था जिस पर उसकी नातेदारी में प्रत्येक जगह उसकी तलाशी ली गई थी परन्तु उसका कोई सुराग नहीं मिला, शिकायतकर्ता द्वारा 13 नवंबर, 2017 को पुलिस थाना माजरा पर उसकी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । पुलिस को मुमताज को ढूंढ़ने के दौरान एक सुराग का पता चला कि वह तारीख 11 नवंबर, 2017 को पोन्टा साहिब पर शारिक रहमान नामक व्यक्ति के साथ अंतिम बार देखी गई थी जिसके पश्चात् उक्त शारिक रहमान से पूछताछ की गई थी जिसने पुलिस को यह बताया कि मुमताज ने उसे अज्ञात नम्बर से उसके मोबाइल फोन पर उससे पोन्टा साहिब आने के लिए कहा था जिस पर वह उससे मिलने के लिए पोन्टा साहिब गया था, परन्तु, उस समय मुमताज बहुत गुस्से में थी और उसने उससे यह कहा कि वह अपना स्वयं का रास्ता अपनाने जा रही है और उसे अपने स्वयं का कारोबार अपने दिमाग में रखना चाहिए । इसके पश्चात् जब पुलिस आगे अन्वेषण के लिए 15 नवंबर, 2017 को शारिक रहमान के घर पर गई तब उसने किसी नुकीले धारदार आयुध से अपने पेट में क्षति कारित करके आत्महत्या करने की कोशिश की थी जिस पर दंड संहिता की धारा 342, 186, 506 और 309 के अधीन पुलिस थाना माजरा में उसके विरुद्ध तारीख 15 नवंबर, 2017 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/2017 को रजिस्ट्रीकृत किया गया । शारिक रहमान को अग्रवाल अस्पताल जगधारी/यमुना नगर में भर्ती किया गया था ।

4. तारीख 17 नवंबर, 2017 को याची-अब्दुल रहमान जो शारिक रहमान का सगा चाचा है, ने मामले में हस्तक्षेप किया और पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण में बाधा डाली तथा फोरेंसिक दल को गालियां दीं और उन्हें धमकियां भी दीं जब वे 17 नवंबर, 2017 को शारिक रहमान के घर पर पहुंचे जिस पर सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र ने दंड संहिता की धारा 186 और 189 के अधीन डी. डी. आर. में रिपोर्ट दर्ज की ।

5. शारिक रहमान के मोबाइल नम्बर के कॉल विवरण और टावर लोकेशन को प्राप्त करने के पश्चात् उसका लोकेशन 11 नवंबर, 2017 को प्रातः पुरुवाला, मोगीनंद बादरीपुर, गोंदपुर पर पाई गई थी और दिन के दौरान बदवास, बाल्दवा, (कामरु) पर लोकेशन पाई गई थी और 1.30 बजे

अपराह्न के पश्चात् पुनः उसे बादरीपुर और पुरुवाला क्षेत्र पर उसकी लोकेशन पाई गई थी । इस सूचना को प्राप्त करने के पश्चात् इन क्षेत्रों में मुमताज को ढूंढ़ा गया था । तारीख 25 नवंबर, 2017 को पुलिस दल द्वारा सतानू और हेवना मंदिर के बीच बड़े मोड़ पर दुर्गंध की बू महसूस की गई जिस पर सड़क के नीचे तलाशी ली गई थी तथा सड़क के 20 फीट नीचे की दूरी पर लाल रंग के महिला का प्लास्टिक जूता पाया गया था और सड़क के नीचे 30 फीट पर आगे तलाशी लेने पर किसी महिला की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई पाई गई थी । उक्त शव पर जो कपड़े मृतका द्वारा पहने गए थे, उन कपड़ों के आधार पर मृतका का चचेरा भाई रियासत अली और चाचा सलीम अली द्वारा उसकी पहचान की गई थी क्योंकि तारीख 11 नवंबर, 2017 को जब मृतका घर छोड़ कर गई थी, उस समय मुमताज ने उन्हीं कपड़ों को पहना था और उसके लाल प्लास्टिक के जूतों का उसके चाचा मेहाजबीन द्वारा भी पहचान की गई थी ।

6. इसके पश्चात्, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे जिन्होंने यह कथन किया कि शारिक रहमान ने अब्दुल रहमान (याची) के साथ उसकी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एच पी 17बी 5944 है, का इस्तेमाल करके षड्यंत्र रचा था और मुमताज को उसकी हत्या करने के आशय के साथ खड़ी चट्टान से फेंक दिया था क्योंकि तारीख 11 नवंबर, 2017 को जब शारिक रहमान उक्त कार में पुरुवाला वापस लौटा तब उसने अपनी बुआ के घर के नजदीक उक्त गाड़ी को धोया था जिस पर याची-अब्दुल रहमान को तारीख 26 नवंबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था । पुलिस रिमांड के दौरान उसने अपनी कार जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 17बी 5944 पेश की और उसके साथ-साथ गाड़ी की चाबी और अन्य दस्तावेज भी पेश किए और यह बताया कि उसका भतीजा (शारिक रहमान) ने उसकी कार को तारीख 11 नवंबर, 2017 को उधार में लिया था । उस क्षेत्र में लगाए गए सी. सी. टी. वी. कैमरा के तारीख 11 नवंबर, 2017 की फुटेज की जांच करने के पश्चात् उक्त गाड़ी पुरुवाला पर 10.24 बजे पूर्वाह्न पाई गई थी जो सतानू की ओर जा रही थी तथा बाटापुल पर 2.03 बजे अपराह्न पुरुवाला की ओर आती हुई पाई गई थी । शारिक रहमान के कॉलों का विवरण और साहिल खान (सह अभियुक्त) की बातचीतों से यह प्रकट होता है कि उनकी मौजूदगी उसी क्षेत्र में थी जिस स्थान पर साहिल खान से पूछताछ की गई थी जिसने यह बताया कि तारीख 11 नवंबर, 2017 को, कि वह शारिक और मुमताज के साथ उक्त

कार में कामरु की ओर गया था और कामरु से लौटने के दौरान शारिक ने मोड़ के नजदीक कार को रोक दिया था और उससे यह कहा कि वह यहां से चला जाए क्योंकि उसे मुमताज से कुछ वैयक्तिक बातचीत करनी है जिस पर वह कार से नीचे उतर गया था और पीछे की ओर चला गया और शारिक रहमान ने अपनी गर्लफ्रैन्ड से बातचीत की । जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि शारिक मुमताज को कार से बाहर घसीट रहा था और उसे खड़ी चट्टान से नीचे फेंक दिया । उसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 मामले में जोड़ी गई थी और तारीख 28 नवंबर, 2017 को साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था ।

7. तारीख 29 नवंबर, 2017 को निदेशक एस. एफ. एस. एल. ने अपने दल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा घटना में अन्तर्वलित यान का निरीक्षण किया गया और यान से बाल और बालू को कब्जे में लिया गया था । पिछली सीट के सीट कवर और फूट-मेट को भी कब्जे में लिया गया था । तारीख 1 दिसंबर, 2017 को साहिल खान ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन दिया था जिसमें घटनास्थल की पहचान की गई जहां शारिक रहमान द्वारा गला दबाकर मुमताज की हत्या की गई और खड़ी चट्टान से उसे नीचे फेंक दिया गया । पुलिस द्वारा शारिक रहमान को 4 दिसंबर, 2017 को उसकी अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया था जिसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन यह भी कथन किया था जिससे घटनास्थल की पहचान की गई थी । उसने उस घटनास्थल की पहचान की थी जहां से उसने मृतका का पर्स और एक जूता सड़क के नीचे फेंक दिया था, परन्तु उक्त पर्स और जूता उक्त घटनास्थल पर तलाशी लेने के बावजूद बरामद नहीं हो सके थे जिसके परिणामस्वरूप दंड संहिता की धारा 201 को भी मामले में जोड़ा गया ।

8. अन्वेषण के दौरान मुमताज का विसरा और कपड़े और सी. सी. टी. वी. फुटेज शारिक रहमान और साहिल खान का मोबाइल तथा यान से बरामद की गई सामग्री और अभियुक्त और शारिक रहमान से प्राप्त की गई वस्तुएं रसायनिक विश्लेषण के लिए एस. एफ. एस. एल. जुंगा भेजे गए थे जिसकी रिपोर्ट अब प्राप्त कर ली गई है । प्रास्थिति रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में पूर्व चालान भी न्यायालय में पेश किया गया जबकि विद्वान् सेशन अपर न्यायाधीश जिला सिरमोर नाहान के विचार के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया ।

9. याची ने अपर सेशन न्यायाधीश जिला सिरमोर नाहान के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन आवेदन फाइल किया था जिसे 3 जनवरी, 2018 को खारिज कर दिया गया था जिसके पश्चात् याची ने 2018 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 41 फाइल करके इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया गया था, परन्तु, उसे इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि याची द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष आवेदन फाइल किया गया है जिसे इस आधार पर प्रारंभिक प्रक्रम पर खारिज कर दिया गया था कि उस समय अन्वेषण की कार्यवाही भी चल रही थी और उसी समय चालान भी फाइल किया गया था तथा इस न्यायालय में याचिका [दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 41/2018] भी प्रस्तुत किया गया था, उक्त याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई थी कि विद्वान् विचारण के समक्ष नए सिरे से आवेदन फाइल करें । इसके पश्चात्, याची ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे तारीख 3 अप्रैल, 2018 को खारिज कर दिया गया था और याची को इस बात के लिए विवश किया गया था कि इस न्यायालय में वर्तमान याचिका फाइल करें ।

10. राज्य की ओर से यह दलील दी गई कि शारिक रहमान याची-अब्दुल रहमान के साथ निवास करता है और वह उसके प्रभाव में रहता है क्योंकि उसके कुटुम्ब में उसका मार्गदर्शन करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है और याची-अब्दुल रहमान ने अपराध कारित करने के लिए अपने यान को देना अनुज्ञात किया था जिसे शारिक रहमान ने घटना के पश्चात् दो बार धोया था परन्तु याची-अब्दुल रहमान ने अपने प्रसामान्य संदेहास्पद क्रियाकलापों के बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और न शारिक रहमान से उक्त तथ्य के बारे में कोई पूछताछ की गई । याची-अब्दुल रहमान ने पुलिस अन्वेषण पर बाधा डाली थी और अन्वेषण को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की और क्या याची-शारिक रहमान के साथ षड्यंत्र करने में शामिल नहीं था, उसने पुलिस अन्वेषण पर कभी भी बाधा नहीं पहुंचाई तथा निश्चित तौर पर क्या उसने शारिक रहमान के आचरण के बारे में पुलिस को सूचना दी, खास तौर पर, शारिक रहमान द्वारा भौतिक साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया गया । इसलिए, यह दलील दी गई कि याची के विरुद्ध यह साक्ष्य प्रकट है जिससे मुख्य अभियुक्त के साथ उसका षड्यंत्र में शामिल होना सिद्ध हुआ है तथा अन्वेषण पर रुकावट डालने का सक्रिय प्रयास भी उसका रहा है, इसलिए, वह जमानत पाने का

हकदार नहीं है क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति रहते हुए वह अन्वेषण में रुकावट डाल सकता था और साक्ष्य में हेरफेर करा सकता था ।

11. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि एस. एफ. एस. एल. रिपोर्ट में भी याची के यान के अन्तर्वलन को सिद्ध नहीं किया गया है, याची को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है । अभिकथित अपराध को कारित किए जाने में याची के अन्तर्वलन का दूरस्थ साक्ष्य भी प्रकट नहीं है और यद्यपि साक्षियों के कथन जिन्हें पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया है, उन पर विचार करने पर अभिकथित अपराध को कारित किए जाने में याची अब्दुल रहमान के शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है । यह भी निवेदन किया गया कि याची-अब्दुल रहमान के पास मुमताज की हत्या करने के लिए कोई षड्यंत्र रचने हेतु का कोई अवसर नहीं था ।

12. जमानत की मंजूरी के बारे में सिद्धांत सुस्थापित है जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दोहराया गया है । **गुरूचरण सिंह** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने जमानत मंजूरी के लिए निम्नलिखित मापदंड अधिकथित किए हैं :–

> "22. गैर जमानती मामलों में न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा (3) के अध्यधीन जमानत मंजूर करने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा यदि इसके अधीन कार्य करना आवश्यक समझता है । जब तक कि न्यायालय के ध्यान में आपवादिक परिस्थितियां नहीं लाई जातीं जो उचित अन्वेषण और ऋजु विचारण को विफल कर सकती हैं तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की जमानत मंजूर करने से इनकार नहीं करेगा जो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध का अभियुक्त नहीं है । यह भी स्पष्ट है कि जब किसी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है जिसके विरुद्ध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध का अभिकथन किया गया है तब उसके पास साधारणतया मामले में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है, इसके अध्यधीन जमानत को नामंजूर करने के, तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) के प्रथम परंतुक और ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट का सामग्री पर युक्तियुक्त

[1] (1978) 1 एस. सी. सी. 118.

विश्वास दृढ़ होता है कि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है । तथापि, यह असाधारण अवसर होगा क्योंकि ऐसे अपराध के व्यक्ति द्वारा उस अपराध को कारित किए जाने का प्रबल संदेह है या उसके अभियोग चलाने के लिए प्रारंभिक प्रक्रम पर उसकी गिरफ्तारी से कुछ सामग्री प्रकट होती हों ।

23. .....

24. नई संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1) दूसरी ओर जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदत्त करता है । धारा 437(1) के अधीन निराशाजनक ऐसी बात मृत्यु या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1) के अधीन कोई पाबंदी अधिरोपित नहीं की गई है । तथापि, यह इंगित किए जाने के लिए यह विधिसम्मत है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष विफल होने के पश्चात् ही अभियुक्त द्वारा समावेदन किया जाएगा और अन्वेषण की उन्नति के पश्चात् ही साक्ष्य पर प्रकाश डाला जाएगा तथा उन बातों पर भी प्रकाश डाला जाएगा जहां अभियुक्त को आलिप्त करने की परिस्थितियां विद्यमान हैं । यद्यपि, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय नई संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1) के अधीन जमानत की मंजूरी के प्रश्न पर विचार करते हुए अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा । जमानत मंजूरी में अभिभावी विचार जिस पर हमने पूर्व में उल्लेख किया है और जो नई संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) और धारा 439(1) के दोनों मामलों में सामान्य है और परिस्थितियों की प्रकृति और गुरुता पर भी सामान्य है जिसमें अपराध किया गया ; पीड़ित और साक्षियों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति और प्रास्थिति ; अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना ; अपराध को दोहराने की प्रवृत्ति दोषसिद्धि के संभव डरावना तथ्य को देखते हुए उसके स्वयं के जीवन का जोखिम ; साक्षियों से सांठ-गांठ ; मामले का इतिहास तथा उसका अन्वेषण तथा अन्य सुसंगत आधार जिसके कई परिवर्तनीय कारकों को दृष्टिगत करना, जिनका समाप्ति की ओर सीमांकन नहीं किया जा सकता है ।"

13. **प्रशांत कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक में इन बातों को रखते हुए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किए हैं जब जमानत की याचिका का विनिश्चय किया जा रहा हो :–

(i) कि क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथमदृष्टया या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था ;

(ii) अभियोग की प्रकृति और गुरुता ;

(iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता ;

(iv) यदि अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त हो जाता है तो उसके फरार होने या भागने का खतरा ;

(v) अभियुक्त के चरित्र, व्यवहार की स्थिति के बारे में ;

(vi) अपराध को दोहराए जाने की संभावना ;

(vii) साक्षियों को प्रभावित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका ; और

(viii) जमानत की मंजूरी पर न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने का खतरा ।

14. इसके पश्चात् **सिद्धाराम स्टालिनगप्पा मैत्रये** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] के ब्यौरेवार निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने **गुरूबक्स सिंह सिबिया** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामले में संविधान पीठ के निर्णय का अवलंब लिया गया जिसमें जमानत मंजूरी के लिए निम्नलिखित परिधियां अभिलिखित की गईं :–

"(i) अभियोग की प्रकृति और गुरुता तथा अभियुक्त की यथावत भूमिका उसकी गिरफ्तारी से पूर्व उन बातों का उचित रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए ;

(ii) तथ्य सहित इस बारे में आवेदक के पूर्ववृत्त क्या अभियुक्त किसी संज्ञेय अपराध के बारे में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 496.

[2] (2011) 1 एस. सी. सी. 694.

[3] (1980) 2 एस. सी. सी. 565.

कारावास पूर्व में भोग चुका है ;

(iii) न्याय से आवेदक के भागने की संभावना ;

(iv) अभियुक्त की ओर से उसी तरह के अपराध या अन्य अपराध को दोहराने की संभावना ;

(v) जहां अभियोग आवेदक को गिरफ्तार करने के लिए क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से ही लगाए गए हैं ;

(vi) अग्रिम जमानत की मंजूरी का प्रभाव विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों में जिसमें कई संख्या में लोग प्रभावित होते हैं ;

(vii) न्यायालयों को बड़ी सावधानी के साथ अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए । न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका पर भी स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिए । ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के अधीन फंसाया जाता है तब न्यायालय ऐसे मामलों में आलिप्त होने के कारण पर बड़ी सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सामान्य जानकारी से संबंधित मामला है ।

(viii) अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए प्रार्थना पर विचार करते हुए दो कारकों के बीच अर्थात् स्वतंत्र ऋजुता और पूर्ण अन्वेषण के कारणों पर कोई प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए और अमानवीय तथा अभियुक्त के अन्यायपूर्ण विरोध को रोका जाना चाहिए, के बीच संतुलन बना रहना चाहिए ;

(ix) न्यायालय को साक्षी से हेरफेर करने की युक्तियुक्त आशंका पर विचार करना चाहिए या शिकायतकर्ता को धमकी देने की आशंका पर भी विचार करना चाहिए ।

(x) अभियोजन की चपलता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है कि जमानत की मंजूरी के मामले में उस पर विचार किया जाएगा और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की दशा में घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में, अभियुक्त जमानत का आदेश पाने का हकदार है ।"

15. **संजय चन्द्र** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] वाले मामले में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई । यहां पर इसे पेश किए जाने में यह सुसंगत भी हो सकता है :–

> "21. सामान्यतया जमानत आवेदनों में पहले के समय से यह अभिकथित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य युक्तियुक्त जमानत देने पर उस अभियुक्त व्यक्ति का विचारण में हाजिर होना सुनिश्चित किया जाए । जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न निवारक । स्वतंत्रता से वंचित किए जाने पर दंड पर विचार किया जाना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित न हो कि अभियुक्त व्यक्ति जब भी उसे बुलाया जाएगा, उपस्थित होगा । न्यायालयों को स्वयं उस सिद्धांत का स्वयं सम्मान करना चाहिए कि दोषसिद्धि के पश्चात् प्रारंभ हुआ दंड और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि सम्यक् रूप से विचारण किए जाने पर उसे सम्यक् रूप से दोषी नहीं पाया जाता है ।
>
> 22. पूर्ववर्ती समयों पर यह मूल्यांकन किया गया था कि विचारण को पूरा किए जाने पर लंबित अभिरक्षा में निरोध बहुत बड़ी कठिनाई का कारण हो सकता है । समय-समय पर ऐसी मांग आवश्यकतानुसार होती है कि कुछ दोषसिद्ध नहीं हुए व्यक्तियों को विचारण पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विचारण लंबित रहने के दौरान अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए परन्तु ऐसा मामलों में 'आवश्यकता' की व्यवहारिक कसौटी होनी चाहिए । इस देश में संविधान में अन्तर्विष्ट वैयक्तिक स्वतंत्रता की धारणा के पूर्णतया प्रतिकूल होगा कि कोई व्यक्ति किसी मामले के संबंध में दंडित किया जाएगा जिस पर उसे दोषसिद्ध नहीं किया गया है या ऐसी किसी परिस्थितियों में उसे केवल विश्वास के आधार पर उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा कि वह यदि उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वह साक्षियों के साथ सांठ-गांठ करेगा, इसमें अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों को छोड़ दिया गया है ।
>
> 23. निवारण के प्रश्न से अलग किसी व्यक्ति को जमानत से मना करने का उद्देश्य के लिए इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि दोषसिद्धि से पूर्व कोई कारावास में सारभूत दंडात्मक

---

[1] (2012) 1 एस. सी. सी. 40.

विषयवस्तु है और जमानत से इनकार करना किसी न्यायालय के लिए अनुचित होगा क्योंकि पहले के आचरण पर अनुमोदित न करने के चिह्न जिस पर क्या अभियुक्त को उस पर दोषसिद्ध किया गया या नहीं या सबक के रूप में कारावास की कसौटी में उसे रखने के प्रयोजन के लिए दोषसिद्ध न हुआ व्यक्ति की जमानत को नामंजूर करना भी है ।

40. जमानत को मंजूर करना या इनकार करना न्यायालय के विवेक के अन्तर्गत है । मंजूरी या इनकार करना इस सीमा तक विनियमित किया जाता है जो प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । परन्तु उसी समय जमानत के अधिकार को अभियुक्त के विरुद्ध समुदाय के संवेदनाओं मात्र कारणों से इनकार नहीं किया जाना चाहिए । किसी आपराधिक मामले में जमानत का प्रारंभिक प्रयोजन अभियुक्त को कारावास से छुटकारा दिलाना है और उस समय पर अभियुक्त को संरचनात्मक रूप में यानि कि अभिरक्षा में रखा जाना है चाहे ऐसा दोषसिद्धि से पूर्व या दोषसिद्धि के पश्चात् किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिसे न्यायालय की अधिकारिता के लिए भेजा जाएगा और जिसमें उसके हाजिर होने के बारे में जब कभी उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ।"

16. **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले के नवीनतम निर्णय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"2. इस पर कोई संदेह नहीं है कि जमानत को मंजूर करना या इनकार करना मामले पर विचार करने वाले न्यायाधीश के विवेक पर सम्पूर्ण रूप से निर्भर करता है परन्तु यद्यपि न्यायिक विवेक का प्रयोग देश में इस न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों की अत्यधिक संख्या पर निर्भर करता है तो भी प्रायः इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति की जमानत से इनकार करना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचार करते हुए उस पर सही ढंग से सोचा गया है ।

---

[1] (2018) 3 एस. सी. सी. 22.

3. कारकों के बीच इस तरह आत्म विश्लेषण करते हुए कि इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब उस व्यक्ति के पास साक्ष्य पर हेरफेर करने या साक्षियों को प्रभावित करने का अति उत्तम अवसर था । यदि अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण के दौरान ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं पाता है तब इस बात को रखते हुए एक प्रबल मामला बनाया जाना चाहिए कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् कि वह व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है । इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्त ने अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए अन्वेषण की प्रक्रिया में भाग लिया था और वह फरार नहीं हुआ था या जब अन्वेषक अधिकारी को उससे अपेक्षा थी तब वह हाजिर नहीं हुआ । निश्चित तौर पर यदि अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी से छुपता नहीं है या किसी वास्तविकता के कारण छुपता है और शिकार होने के डर को अभिव्यक्त करता है तब यह एक कारक होगा कि न्यायाधीश को उस समुचित मामले पर विचार करना आवश्यक है । न्यायाधीश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह इस पर विचार करे कि क्या अभियुक्त पहली बार अपराधी बना है या वह दूसरे अपराध में भी अभियुक्त बना था और यदि ऐसा है तो ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसके साधारण आचरण पर भी विचार करना चाहिए । किसी अभियुक्त की गरीबी या प्रकट दरिद्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है और संसद् ने भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की संहिता की धारा 436 के स्पष्टीकरण को निगमित करते हुए इस पर ध्यान दिया है । कैदी के प्रति एक समान कोमल दृष्टिकोण को संसद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436क को अंतर्विष्ट करके अपनाया गया है ।

4. संक्षेप में, किसी न्यायाधीश द्वारा पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा के किसी अभियुक्त व्यक्ति के संदेह पर प्रतिप्रेषित करने के लिए आवेदन पर विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है । किसी अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारण हैं, तथापि, गरीब ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 21 की अध्यपेक्षाओं हो सकती हैं और यह तथ्य कि कारागार बहुत भीड़-भाड़ के कारण भरा रहता है, 1382 के

कैदखाना, (2017) 10 एस. सी. सी. 658 = (2018) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 90 में अमानवीय शर्तों में इस न्यायालय द्वारा सामाजिक और अन्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है ।

5. मेग्ना चार्ट के दिनों में पिछले इतिहास पर विचार करते हुए जमानत के लिए उपबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विस्तार किया गया है और निकेश ताराचंद साह **बनाम** भारत संघ, (2018) 11 एस. सी. सी. 1 = (2017) 13 स्केल 609 में दिए गए नवीनतम विनिश्चय में उसका सुबोधगम्य तरीके से स्पष्टीकरण किया गया है । उस विनिश्चय में गुरुबक्स सिंह सिबिया **बनाम** पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 565 = (1980) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 465 के प्रति निर्देश किया गया है जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि नगेन्द्र नाथ चक्रवर्ती 1923 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 318 = ए. आई. आर. 1924 कलकत्ता 476, वाले मामले के पिछले दृष्टिकोण पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड के रूप में जमानत को रोका नहीं जाना चाहिए । एम्परर **बनाम** एच. एल. हुटचिंसों 1931 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. एल. एल. 14 = ए. आई. आर. 1931 ए. एल. एल. 356 में भी निर्देश किया गया था जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि जमानत की मंजूरी नियम है और उससे इनकार करना अपवाद है । अतः जमानत के लिए उपबंध प्राचीन है और जमानत के लिए उपबंध का उदार निर्वचन अधिकांशतया शताब्दी पुराना है, उपनिवेशी दिनों की ओर विचार करना होगा ।

6. तथापि, हमें इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक मामले में जमानत मंजूर होनी चाहिए । जमानत की मंजूरी या उससे इनकार करना पूर्णतया न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई करके उसके विवेक पर निर्भर है और यद्यपि ऐसा विवेक स्वच्छन्द है । इसका प्रयोग माननीय और सहानुभूतिशील रीति में न्यायसम्मत रूप से किया जाना चाहिए । जमानत मंजूरी के लिए शर्त भी कठोर नहीं होनी चाहिए, इस बारे में अनुपालन में असमर्थता दिखना जमानत मंजूरी को अवास्तविक बना देता है ।"

17. पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याची की जमानत मंजूरी का उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित परिधियों के भीतर विचार किया जाना चाहिए । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है ।

18. वर्तमान मामले में विद्वान् उप महाधिवक्ता के निवेदन के अनुसार आवेदक के विरुद्ध अभियोग चलाना साक्षी वाजिद अली (शिकायतकर्ता), इमरान, शमीम अली और रियासत अली के कथनों पर आधारित है तथा इस तथ्य पर भी आधारित है कि याची ने मुख्य अभियुक्त को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए अनुज्ञात किया था जो अपराध कारित किए जाने में अन्तर्वलित पाया गया था और इसके अतिरिक्त बल्कि अन्वेषण में बाधा डालने की कोशिश की कि याची ने मुख्य अभियुक्त के संदेहास्पद क्रियाकलापों के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी थी ।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित पूर्वोक्त साक्षियों के कथन का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि याची के यान को इस्तेमाल करने के आधार पर भी मुख्य अभियुक्त ने घटना के पश्चात् दो बार उस गाड़ी की सफाई की, इन साक्षियों ने अपने कथनों में अपराध किए जाने के बारे में याची के षड्यंत्र में शामिल होने के बारे में संदेह व्यक्त किया है और यह भी कथन किया है कि शारिक रहमान मुमताज को छेड़ा करता था और उसने मुमताज से अपने रिश्ते को तोड़ने का कारण वह खुद था और इस प्रकार, शारिक रहमान ने अपने चाचा अब्दुल रहमान (याची) की सहायता से मुमताज की हत्या कर दी थी ।

20. अन्वेषण के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के कॉल के ब्यौरे तथा मोबाइल फोनों की स्थिति को भी प्राप्त किया था । कॉल के ब्यौरे जिनका इस न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया गया है और यह तथ्य कि मृतका मुमताज ने अपनी दोस्त निशा के फोन के माध्यम से तारीख 11 नवंबर, 2017 को 9.43 बजे पूर्वाह्न से 9.46 बजे पूर्वाह्न के दौरान वार्तालाप की थी । कुमारी निशा के कथन के अनुसार जिसे पुलिस द्वारा 11 नवंबर, 2017 को लगभग 9.30/9.45 बजे पूर्वाह्न अभिलिखित किया गया था जब वह पूरुवाला बस स्टाप पर पोन्टा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी तब मुमताज जो वहां पर थी, ने उसे यह बताया था कि वह अपने अवकाश पर है तथा और उसी समय वह पोन्टा जाना चाहती थी । मुमताज ने अपने मोबाइल से एक या दो कॉल की थी और उस समय शारिक रहमान टैम्पो में पोन्टा साहिब से पहुंचा था और मुमताज को आंख से इशारा किया था । उसी बीच में वहां पर बस पहुंची और वह और मुमताज उक्त बस में पोन्टा गए । वह बानगाम चौक पर बस से उतर गई थी जबकि मुमताज बस में आगे की ओर चली गई ।

21. कॉल के ब्यौरे और कुमारी निशा के संयुक्त कथन का परिशीलन

करने पर यह प्रकट होता है कि मुमताज और शारिक रहमान और साहिल खान के बीच वार्तालाप हुई थी परन्तु इन कॉलों के दौरान याची के साथ शारिक रहमान के बीच कोई बातचीत होना प्रकट नहीं हुआ है ।

22. इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्षकथन यह भी है कि मुमताज को शारिक रहमान और साहिल खान द्वारा गाड़ी में ले जाया गया था । जहां तक याची की ओर से शारिक रहमान और साहिल खान को उकसाने की षड्यंत्र की बात है जिससे कि संबंधित अपराध कारित हुआ है । इस बात को, विचारण के दौरान सिद्ध किया जाना है और यह मामला विचारण न्यायालय के विचारार्थ है । एक आधार जो याची को अपराध में फंसाने से संबंधित है, उसने शारिक रहमान और साहिल खान को अपनी कार देने के लिए अनुज्ञात किया है । इस प्रयोजन की जानकारी जिसके लिए शारिक रहमान द्वारा उसकी कार को लिया गया था, यह भी एक तथ्य है, उसे विचारण में भी साबित किया जाना है । प्रथमदृष्ट्या, अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि शारिक रहमान हत्या कारित करने में मुख्य अपराधी है और साहिल खान उसके साथ सहापराधी है । मुमताज और शारिक रहमान की एक दूसरे के साथ आपस में घनिष्ठता प्रकट होती है तथा साहिल खान उनका एक सामान्य सा दोस्त भी था और इस बारे में याची को प्रत्येक मामले की जानकारी होने की भी बात सिद्ध की जाती है । परन्तु यद्यपि यह विचार किया गया है कि उसे ऐसी घनिष्ठता की जानकारी थी, इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर केवल ऐसी जानकारी होना याची की जमानत याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता । मुमताज और शारिक रहमान के बीच जो कुछ घटित हुआ, उसकी जानकारी या तो शारिक रहमान या साहिल खान को थी । इस कार्य के बारे में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है कि याची को प्रत्येक बात की जानकारी हो ऐसी जानकारी और षड्यंत्र, यदि कोई है, तो अभिलेख पर भी सिद्ध किया जाना चाहिए ।

23. यह ध्यान देने योग्य है कि अन्वेषण में हस्तक्षेप करने के लिए और उस पर बाधा डालने के लिए याची के विरुद्ध डी. डी. आर. अभिलिखित किया गया है जिसके लिए प्रत्यर्थी-राज्य/अन्वेषण अभिकरण समुचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें मामले के रजिस्ट्रीकरण का किया जाना भी सम्मिलित है, यदि मामला बनता है । याची की ओर से ऐसा कार्य निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही करने को आवश्यक बनाता है और इसमें संदेह का यह भी कारण हो सकता है कि उसने

शारिक रहमान से अपने को बचाने के लिए उसे आश्वस्त किया है, परन्तु, याची की ओर से ऐसा लोप करना अपराध किए जाने के पश्चात् शारिक रहमान की मदद करने का प्रयास है, जिससे यह अभिप्रेत नहीं है कि उसने मुख्य अभियुक्त के साथ अपराध किए जाने के लिए षड्यंत्र रचा था । ऐसे कार्य पर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध मामले का रजिस्ट्रीकरण करके सावधानी बरती जा सकती थी ।

24. इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से यह प्रकट होता है कि याची की ओर से लोप किए जाने की प्रक्रिया को मुख्य अभियुक्त शारिक रहमान और साहिल खान का कार्य जिसमें मुमताज की हत्या की गई, के समतुल्य नहीं रखा जा सकता है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री याची के मामले में अन्तर्वलन के संदेह की ओर इंगित कर सकता है परन्तु इस प्रक्रम पर ऐसा संदेह जिसे सिद्ध भी किया जाना है, जमानत इनकार करने का कारण नहीं हो सकता ।

25. अब मामले में अन्वेषण पूरा हो चुका है और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है, इसलिए, मामले में अन्वेषण में हेरफेर करने या उस पर बाधा पहुंचाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, अतः याची को जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त, न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई है और भविष्य में पूरक चालान के साथ उसे न्यायालय में फाइल किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसमें याची की कोई भी भूमिका नहीं है ।

26. यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुमताज तारीख 11 नवंबर, 2017 को गायब हो गई थी जबकि याची को 26 नवंबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और साक्षी जिनके कथनों पर याची के विरुद्ध अभियोग चलाने का आधार बनाया गया था, उसकी गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया गया था । अतः साक्षियों को सत्य बात कहने से आतंकित करने या रोकने की संभावना मामले में नहीं है । इसके अतिरिक्त, किसी मामले में यदि याची ऐसे किसी कार्य में स्वयं अन्तर्वलित होता है तब न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन उसकी जमानत को रद्द करने के लिए समावेदन किया जा सकता है ।

27. याची पेशे से डाक्टर है और उसकी समाज में गहरी साख है और अपनी गिरफ्तारी से पूर्व वह मामले में अन्वेषण के दौरान भागा नहीं है और इसलिए यदि उसको जमानत दे दी जाए तो उसके भागने की कोई

संभावना नहीं है ।

28. अभियोजन के अनुसार, अपराध किए जाने के लिए प्रयुक्त कार से बाल बरामद किए गए थे परन्तु एस. एफ. एल. रिपोर्ट के अनुसार उनका शारिक रहमान के बालों से मेल नहीं हुआ है । उक्त कारणों के बारे में अन्वेषक अभिकरण/अधिकारी को अच्छी तरह जानकारी थी कि यह बात किसी अन्य व्यक्तियों के अर्थात् शारिक खान, अब्दुल रहमान (याची) या मृतका मुमताज के बालों से उक्त बालों की तुलना करने के लिए भेजे नहीं गए हैं । उस बारे में भी जानकारी नहीं है कि क्या मृतका मुमताज के बाल को ऐसी तुलना करने के लिए सुरक्षित रखा गया था या नहीं । इस बारे में क्या अब यह संभव है कि कब से उसके बाल के तत्व को लिया जाए । अन्वेषक अभिकरण/अधिकारी को अन्वेषण के दौरान इन बातों का विनिश्चय करना था ।

29. इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सम्पूर्ण सामग्री और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उन पर विचार करते हुए याची के लिए यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो पुलिस थाना माजरा, जिला सिरमोर, हिमाचल प्रदेश पर तारीख 14 नवंबर, 2017 को रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10/2017 के मामले में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया जाता है जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :–

> "(i) याची मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरमोर, नाहान जिला सिरमोर के समाधान के लिए एक लाख रुपए की राशि का जमानत बंध पत्र के साथ उसी राशि का एक प्रतिभू देगा ।
>
> (ii) याची वर्तमान मामले में स्वयं पुलिस या किसी अन्य अन्वेषक अभिकरण या न्यायालय के समक्ष जब कभी उसकी अपेक्षा की जाएगी तो उपलब्ध होगा ।
>
> (iii) वह किसी भी रीति में चाहे कुछ भी हो अन्वेषण में अड़ंगा नहीं डालेगा और न मामले के अभियोजन साक्ष्य पर हेरफेर करेगा ;
>
> (iv) वह मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को फुसलाना या धमकी देना या वचन देने की बात नहीं करेगा जिससे कि न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से वह इनकार करेगा ।

(v) वह न्यायालय की अनुज्ञा के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा ।

(vi) वह किसी भी तरीके से स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और ;

(vii) उसके द्वारा अपने पर अधिरोपित शर्तों का भंग किए जाने पर उसकी जमानत रद्द किया जाना आवश्यक होगा ।"

30. इसमें ऊपर इस याचिका में की गई मताभिव्यक्तियां मामले के गुणागुण पर किसी भी प्रकार नहीं रखी जाएगी और विचारण न्यायालय अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करेगा, विधि के अनुसरण में इस न्यायालय की किसी मताभिव्यक्ति द्वारा प्रभावित हुए बिना उस पर स्वयं गुणागुण पर विचार करेगा ।

31. पूर्वोक्त निबंधनों में याचिका का निपटारा किया जाता है । प्रति दस्ती रूप से दी गई ।

तद्नुसार याचिका का निपटारा किया गया ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 27)

[20 मार्च, 2009]

पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे रोगों के प्रादुर्भाव या फैलने को रोकने और पशुओं तथा पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने के लिए भारत की अन्तरराष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के कारण देश में बहुत आर्थिक हानि हुई है, इनमें से कुछ रोग, जनता के लिए गंभीर संकट का रूप ले रहे हैं ;

और ऐसे अनेक पशु रोगों का टीकाकरण कार्यक्रमों के न्यायवत् कार्यान्वयन द्वारा या वैज्ञानिक आधारों पर अन्य समुचित और समय पर उपाय करके बड़े पैमाने पर निवारण किया जा सकता है ;

और ऐसे उपाय, पशुओं और पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने और उन्हें अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप रखने के लिए आवश्यक है ;

और यह अनुभव किया गया है कि भारत से पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा जिससे ऐसे रोगों से देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके और इस प्रयोजन के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं में सामंजस्य बिठाना होगा और पशु रोगों के अन्तरराज्यीय संचरण को रोकना होगा ;

और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करते हुए, विशिष्टतया उन ऐहतियाती उपायों के संबंध में जिनका कतिपय संक्रामक और सांसर्गिक रोगों की बाबत उनकी अधिकारिता के भीतर किया जाना अपेक्षित है और समय पर समुचित उपायों को अपनाते हुए उनके अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर पशुओं के आने-जाने का विनियमन करते हुए की जानी है ;

और भारत, आफिस इन्टरनेशनल डेस एपिजूटीस, पेरिस का सदस्य देश है और उक्त संगठन की सामान्य बाध्यताओं, विनिश्चयों और सिफारिशों को लागू करना तथा उक्त संगठन द्वारा नियत की गई अन्तरराष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता का पालन करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए या उसमें के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी प्रतिनिर्देश का किसी राज्य या क्षेत्र या उपबंध के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, ऐसे राज्य या क्षेत्र में, यथास्थिति, इस अधिनियम या उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "पशु" से अभिप्रेत है, –

(i) ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन ;

(ii) कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट, मधुमक्खी ; और

(iii) ऐसा कोई अन्य पशु या पक्षी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "जांच पड़ताल चौकी" से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पशुओं की जांच पड़ताल करने के लिए निदेशक द्वारा उस रूप में स्थापित कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(ग) "सक्षम अधिकारी" से धारा 17 के अधीन सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई व्यक्ति या सरकार का अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "अनिवार्य टीकाकरण" से अभिप्रेत है किसी पशु को किसी ऐसे अनुसूचित रोग का कोई टीका लगाना जिसकी बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन टीका आज्ञापक बनाया गया है ;

(ङ) "नियंत्रित क्षेत्र" से ऐसा कोई स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है ;

(च) "त्रुटिपूर्ण वैक्सीन" से ऐसा कोई वैक्सीन अभिप्रेत है, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, सील टूटी हुई है, जो संदूषित, अनुपयुक्त रूप से भंडारित, लेबल रहित या विकृत लेबल के साथ है ;

(छ) राज्य के संबंध में "निदेशक" से पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सा सेवा या दोनों का ऐसा भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ज) "मुक्त क्षेत्र" से ऐसा कोई नियंत्रित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन उस रूप में घोषित किया गया है ;

(झ) "संक्रामित पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है ;

(ञ) "संक्रामित क्षेत्र" से धारा 20 के अधीन उस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "प्रकाशन" के अंतर्गत मीडिया या समाचारपत्र या किसी अन्य जन संपर्क मीडिया और किसी क्षेत्र में ऊंची आवाज में तथा ढोल पीट कर की गई घोषणा जैसे स्थानीय संचार माध्यमों से सूचना का प्रचार-प्रसार है ;

(ढ) "करंतीन कैम्प" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पशुओं और पक्षियों को करंतीन करने के लिए घोषित किया गया है ;

(ण) "अनुसूचित रोग" से ऐसा कोई रोग अभिप्रेत है जो अनुसूची में सम्मिलित है ;

(त) "पशु चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता है और जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पशु रोगों का उपचार करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(थ) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है ;

(द) किसी ग्राम के संबंध में "ग्राम अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार उस रूप में प्राधिकृत या अभिहित किया गया है ।

अध्याय 2

अनुसूचित रोगों का नियंत्रण

3. **पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति** – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, –

(क) उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे, निरीक्षण करने के लिए और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए पशु चिकित्सकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ; और

(ख) उतने पशु चिकित्सकों को, जितने वह उचित समझे, पशु चिकित्सा अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. **अनुसूचित रोगों की रिपोर्ट करने की बाध्यता** – (1) किसी ऐसे पशु का जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, प्रत्येक स्वामी या उस पशु का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, लोक निकाय या ग्राम पंचायत, इस तथ्य की ग्राम अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रभारी को रिपोर्ट करेगा, जो निकटतम उपलब्ध पशु चिकित्सक को लिखित में उसकी रिपोर्ट कर सकेगा ।

(2) ग्राम अधिकारी किसी रोग के फैलने की रिपोर्ट करने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र का दौरा करेगा ।

(3) प्रत्येक पशु चिकित्सक, उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, मामले की रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को करेगा ।

(4) जहां किसी राज्य में किसी पशु के संबंध में अनुसूचित रोग की कोई घटना हुई है वहां निदेशक, ऐसे राज्यों के, जो उस स्थान के ठीक पड़ोसी हैं, जहां ऐसी घटना हुई है, निदेशकों को रोग को फैलने से रोकने के लिए समुचित निवारक उपाय करने के लिए सूचना भेजेगा ।

5. **संक्रमित पशुओं को अलग रखने का कर्तव्य** – (1) किसी ऐसे पशु का प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, ऐसे पशु को अलग रखेगा और उसे ऐसे सभी अन्य पशुओं से, जो स्वस्थ है, दूर स्थान पर रखेगा और संक्रामित पशु को किसी अन्य पशु के संपर्क में आने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पशु का स्वामी या भारसाधक या उस पर नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति उस पशु को परिरुद्ध करेगा और उसे सामान्य स्थान पर चरने या किसी सामान्य स्रोत से, जिसके अन्तर्गत पात्र, तालाब, झील या नदी भी है, पानी पाने से निवारित करेगा ।

(3) नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी अन्य संक्रामित पशुओं को अलग रखा जाएगा ।

6. **नियंत्रित क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों की अधिसूचना** – (1) राज्य सरकार, किसी अनुसूचित रोग को निवारित, नियंत्रित या उन्मूलन करने के उद्देश्य से,

अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को, किसी ऐसे अधिसूचित रोग की बाबत, जो पशु की किन्हीं जातियों और किन्हीं ऐसी अन्य जातियों को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रोग होने की संभावना है, नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना का सार देशी भाषा में किसी स्थानीय समाचारपत्र में तथा उस क्षेत्र में ऊंची आवाज में और ढोल पीटकर घोषणा द्वारा प्रकाशित करवाएगी ।

(3) जहां कोई अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है वहां नियंत्रित क्षेत्र में उक्त जातियों के सभी पशुओं को, उस रोग के लिए अनिवार्य टीका लगाया जाएगा और उस रोग के लिए ऐसे अन्य उपाय ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर किए जाएंगे जो राज्य सरकार लोक सूचना द्वारा निदेश दे ।

(4) राज्य सरकार आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और किसी ऐसे पशु के लिए जिसे उपधारा (3) के अधीन टीका लगाया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के लिए, यह आबद्धकर होगा कि वह उस पशु को अनिवार्य रूप से टीका लगवाए ।

(5) जहां निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट पर या अन्यथा, राज्य सरकार का यह सामाधान हो जाता है कि किसी नियंत्रित क्षेत्र में ऐसा कोई अनुसूचित रोग, जो पशु की किसी जाति को प्रभावित कर रहा है, अब नहीं रह गया है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र को पशु की विशिष्ट जातियों के संबंध में उस रोग की बाबत मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों के किसी पशु या अन्य संकटग्रस्त जातियों के किसी पशु को, जिसके संबंध में वह मुक्त क्षेत्र है, तब तक मुक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उस विशिष्ट रोग के लिए उसे टीके द्वारा सम्यक् रूप से असंक्रामित न कर दिया गया हो ।

7. **नियंत्रित क्षेत्र से पशुओं के आने-जाने पर प्रतिषेध** – (1) जहां धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र को पशुओं की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी रोग के संबंध में नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों का कोई पशु उस स्थान से नहीं ले जाया जाएगा, जहां उसे रखा गया है ।

(2) निदेशक, किसी क्षेत्र की बाबत किसी अनुसूचित रोग के नियंत्रण, निवारण या उन्मूलन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं जातियों के सभी पशुओं के उस स्थान से, जहां उन्हें रखा गया है किसी अन्य स्थान पर आने-जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी –

(क) उसमें निर्दिष्ट किसी पशु का उस स्थान से, जहां उसे रखा गया है, उस निकटतम स्थान को ले जाना, जहां उसको टीका लगाया जा सकेगा जब तक पशु को टीका लगाकर असंक्रमीकरण के प्रयोजन के लिए ले जाया जा रहा है ; या

(ख) किसी ऐसे पशु को ले जाना जहां तक वह टीकाकरण के विधि मान्य प्रमाणपत्र के साथ है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि पशु को विशिष्ट रोग से सम्यक् रूप से असंक्रामित कर दिया गया है और उस पर ऐसे टीकाकरण का उचित चिह्न लगा हुआ है ।

8. **टीकाकरण चिह्नांकन करना और टीका प्रमाणपत्र जारी किया जाना** – (1) किसी पशु को ऐसे व्यक्ति द्वारा टीका लगाया जा सकेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन टीका लगाने और टीका प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम है ।

(2) जहां किसी पशु को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुपालन में किसी अनुसूचित रोग के लिए टीका लगाया गया है वहां पशु को टीका लगाने वाला व्यक्ति छाप लगाकर, टेटू लगाकर या कर्ण टैगिंग द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति में जो निदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश करे, चिह्न लगवाएगा और जब तक निदेशक द्वारा अन्यथा रूप में विनिर्दिष्ट न किया जाए, उसे हटाया नहीं जाएगा ।

(3) टीका प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी टीका लगाने की तारीख, वैक्सीन के विनिर्माण और उसकी अवधि के अवसान की तारीख और वह तारीख, जिस तक पशु का टीका, विशिष्ट वैक्सीन के साथ मान्य होगा, विनिर्दिष्ट करेगा ।

9. **टीका प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु** – इस अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक टीक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां

होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

10. **नियंत्रित क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र में पशुओं का प्रवेश और उससे निकासी** – (1) जहां कोई क्षेत्र, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पशुओं की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी रोग की बाबत नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वहां उन जातियों का कोई पशु धारा 16 में यथा उपबंधित के सिवाय, उस क्षेत्र से न तो बाहर भेजा जाएगा और न ही उसमें लाया जाएगा ।

(2) निदेशक, राजपत्र में और देशी भाषा में कम से कम एक दैनिक स्थानीय समाचारपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित सूचना द्वारा उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध को पशुओं की किन्हीं अन्य जातियों तक विस्तारित कर सकेगा, यदि उन जातियों के पशुओं के भी उस रोग से संक्रामित होने की संभावना है ।

(3) माल या पशुओं का कोई वाहक, धारा 16 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना भू-मार्ग, समुद्र मार्ग या वायु मार्ग से किसी पशु को नियंत्रित क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) की कोई बात उन उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी पशु के, रेल द्वारा ऐसे क्षेत्र से जिसे, तत्समय नियंत्रित क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, होकर वहन को तब तक लागू नहीं होगी जब तक पशु की उस क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर उतराई (चाहे वह किसी भी प्रयोजन या अवधि के लिए हो) न की गई हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में से इस प्रकार वहन किए जाने वाले पशु की कोई जातियां ऐसे अनुसूचित रोग से ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्यक् रूप से असंक्रामित की जाएंगी और उस क्षेत्र में होकर रेल द्वारा पशुओं के परिवहन के लिए टीका प्रमाणपत्र एक पूर्वापेक्षा होगी :

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट कोई अधिसूचना जारी की गई है वहां राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह उस तथ्य को संबद्ध रेल प्राधिकारियों को सूचित करे, जिससे वे राज्य के उस स्थानीय क्षेत्र से होकर पशु का परिवहन करने के पूर्व उसके असंक्रामण के बारे में अपना समाधान कर सकें ।

11. **नियंत्रित क्षेत्रों के संबंध में ऐहतियाती उपाय** – कोई व्यक्ति –

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित या संक्रामित होने की युक्तियुक्त संभावना वाले किसी जीवित या मृत पशु को,

(ख) ऐसे किसी भी प्रकार के चारे, बिछौने या अन्य सामग्री को जो ऐसे रोग से संक्रामित किसी पशु के संसर्ग में रही है या किसी रीति में अधिसूचित रोग से प्रभावित हो सकती है, या

(ग) पशु शव, खाल या ऐसे पशु के किसी अन्य भाग या उत्पाद को,

नियंत्रित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा ।

12. **नियंत्रित क्षेत्रों में बाजारों, मेलों, प्रदर्शनी आदि का प्रतिषेध** – कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था, नियंत्रित क्षेत्र के भीतर कोई पशु बाजार, पशु मेला, पशु प्रदर्शनी नहीं लगाएगी और ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगी जिसमें पशुओं की किन्हीं जातियों का समूह में सम्मिलित या इकट्ठा होना अंतर्वलित है :

परन्तु सक्षम अधिकारी स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे मामले में पशुओं की किन्हीं जातियों के संबंध में प्रतिषेध को शिथिल कर सकेगी, जहां उन जातियों के पशुओं को अनुसूचित रोग होने की संभावना नहीं है और उनमें उस रोग को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसी शिथिलता प्रदान करना आवश्यक है ।

13. **बाजार और अन्य स्थानों में संक्रामित पशुओं को लाने का प्रतिषेध** – कोई व्यक्ति किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसका अनुसूचित रोग से संक्रामित होना ज्ञात है, बाजार, मेले, प्रदर्शनी या पशुओं के अन्य जमाव या किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लाएगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा ।

14. **जांच पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्प** – (1) निदेशक राज्य के भीतर उतने करंतीन कैम्प और जांच पड़ताल चौकियां स्थापित कर सकेगा, जितने –

(क) ऐसे पशुओं के निरोध के लिए जो किसी अनुसूचित रोग से ग्रस्त हैं या ऐसे पशुओं के निरोध के लिए अपेक्षित हैं, जो ऐसे किसी संक्रामित पशु के संसर्ग में आ चुके हैं या उसके सामीप्य में रखे गए हैं ;

(ख) ऐसे पशुओं की जातियों से संबंधित किसी पशु के, जिसके बारे में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है, किसी नियंत्रित क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश या उससे निकासी को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हैं ।

(2) किसी ऐसे पशु जिसे निरुद्ध करना, जिसका निरीक्षण करना, टीका लगाना या चिह्नांकित करना अपेक्षित है, ऐसी अवधि के लिए करंतीन कैम्प में रखा जा सकेगा जो सक्षम अधिकारी निदेश दे ।

(3) प्रत्येक ऐसा पशु, जो करंतीन कैम्प में निरुद्ध है, कैम्प के भारसाधक व्यक्ति की अभिरक्षा में होगा और उसे टीका लगाया जाएगा तथा चिह्नांकित किया जाएगा ।

(4) करंतीन कैम्प का भारसाधक अधिकारी किसी पशु की केन्द्र से निर्मुक्ति के समय ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, पशु को भारसाधन में लेने वाले व्यक्ति को एक अनुज्ञापत्र देगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जब कभी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, अनुज्ञापत्र पेश करने के लिए आबद्ध होगा ।

15. **जांच पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्पों में पशुओं का निरीक्षण और निरोध** – (1) किसी जांच पड़ताल चौकी या करंतीन कैम्प का प्रत्येक भारसाधक व्यक्ति जांच पड़ताल चौकी पर या करंतीन कैम्प में रोके गए या उसमें निरुद्ध किसी पशु का निरीक्षण करेगा ।

(2) जांच पड़ताल चौकी या करंतीन कैम्प में निरीक्षण के प्रयोजन के लिए या अनिवार्य टीकाकरण पशुओं का चिह्नांकन करने के लिए पशु के निरीक्षण की रीति और निरोध की अवधि और वह प्ररूप और रीति, जिसमें किसी पशु की बाबत प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

16. **नियंत्रित और मुक्त क्षेत्रों में टीका लगे पशुओं का प्रवेश और उनसे उनकी निकासी** – धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, पशुओं की ऐसी जातियों से संबंधित किसी पशु को, जिसकी बाबत कोई क्षेत्र किसी अनुसूचित रोग के संबंध में नियंत्रित या मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जिसे उस रोग के लिए सम्यक् रूप से टीका लगाया जा चुका है, नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने या वहां से बाहर ले

जाने के लिए या किसी अन्य स्थान से बाहर ले जाने के लिए, इस आशय का प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर अनुज्ञात किया जाएगा कि उस रोग के लिए टीका लगाया जा चुका है और उसके पश्चात् कम से कम इक्कीस दिन की अवधि व्यपगत हो चुकी है ।

17. **सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति** – राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन करेने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

18. **वाहकों की सफाई और विसंक्रामण** – (1) प्रत्येक सामान्य वाहक चाहे वह जलयान है या यान, उस जलयान या यान में किसी पशु के परिवहन के ठीक पूर्व और पश्चात् और इस प्रकार किसी स्थान को भी, जहां पशु अभिवहन में रखा गया है, साफ और विसंक्रामित किया जाएगा ।

(2) जहां पशु की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अनुसूचित रोग की बाबत किसी क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है वहां निदेशक, राजपत्र में और देशी भाषा में एक स्थानीय समाचारपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्येक यान के स्वामी को, जिसमें उन जातियों से संबंधित कोई पशु वहन किया गया, उस यान को उचित रूप में स्वच्छ और विसंक्रामित करने का निदेश दे सकेगा ।

19. **प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां** – कोई पशु चिकित्सा अधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबंधों का ऐसे अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, किसी भूमि या भवन या स्थान, जलयान या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

अध्याय 3
संक्रामित क्षेत्र

20. **संक्रामित क्षेत्रों की घोषणा** – यदि पशु चिकित्सा अधिकारी का, किसी पशु चिकित्सक से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह समाधान हो

जाता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान या परिसर में कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित हो गया है या किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस प्रकार संक्रामित है, वहां रखा गया है तो वह अधिसूचना द्वारा और देशी भाषा में कम से कम एक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा तथा ऊंची आवाज में और ढोल पीटकर घोषणा द्वारा ऐसे क्षेत्र को, जिसे वह उचित समझे (जिसके अंतर्गत पूर्वोक्त स्थान या परिसर भी है) संक्रामित क्षेत्र घोषित कर सकेगा ।

21. **संक्रामित क्षेत्रों की घोषणा का प्रभाव** – (1) जहां किसी क्षेत्र को धारा 20 के अधीन संक्रामित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वहां इस अधिनियम के सभी उपबंध, जो नियंत्रित क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं, उसके संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो "नियंत्रित क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "संक्रामित क्षेत्र" शब्द रखे गए हों ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित और उपबंध संक्रामित क्षेत्र के संबंध में लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) उस क्षेत्र में प्रत्येक ऐसे पशु के संबंध में, जो किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है या जिसके संक्रामित होने का युक्तियुक्त विश्वास है, पशु का स्वामी या भारसाधक अन्य व्यक्ति तुरन्त पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाएगा ;

(ख) सभी वस्तुओं को, जिनके खंड (क) में निर्दिष्ट किसी पशु के संसर्ग में आने की संभावना है, उपचारित किया जाएगा या ऐसी रीति में व्ययनित किया जाएगा, जो पशु चिकित्सक निदेश दे ;

(ग) प्रत्येक पशु चिकित्सक को निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होगी, जहां कोई पशु रखा गया है या उसके रखे जाने की संभावना है ;

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट पशु का स्वामी या भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति तुरंत पशु को अलग करेगा और ऐसे अन्य उपाय भी करेगा, जो रोग के निवारण, उपचार या नियंत्रण के लिए आवश्यक हो, जो पशु चिकित्सक निदेश दे ।

22. **संक्रामित क्षेत्र की अधिसूचना को वापस लेना** – यदि पशु

चिकित्सा अधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी संक्रामित क्षेत्र में अनुसूचित रोग से किसी पशु के संक्रामित होने के बारे में अब कोई आशंका या खतरा नहीं है तो वह, अधिसूचना द्वारा, और देशी भाषा में स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा घोषित कर सकेगा कि वह क्षेत्र पूर्वोक्त के अनुसार संक्रामित क्षेत्र नहीं रह गया है, तत्पश्चात् धारा 21 में निर्दिष्ट सभी निर्बंधन लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 4

संक्रामित पशु

23. **संक्रामित पशुओं का अलग रखा जाना, उनका परीक्षण और उपचार** – (1) जहां पशु चिकित्सक के पास, किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु अनुसूचित रोग से संक्रामित है, वहां वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे पशु के स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके भारसाधन में ऐसा पशु है, –

(क) उसे अन्य स्पष्ट रूप से स्वस्थ पशुओं से अलग रखने ; या

(ख) ऐसा उपचार कराने के लिए, जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित हो, निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है, वहां पशु चिकित्सक, तुरंत ऐसे रोग की घटना की विस्तृत रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को देगा ।

(3) पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सक से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र, उस पशु की तथा साथ ही किसी ऐसे अन्य पशु की, जो उसके सम्पर्क में आया हो, जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए, उस पशु को ऐसी जांच और चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजेगा, जो उन परिस्थितियों के अधीन अपेक्षित हो ।

(4) यदि ऐसी जांच और परीक्षण के पश्चात्, पशु चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि ऐसा पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित नहीं है, तो वह लिखित में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पशु किसी ऐसे रोग से संक्रामित नहीं है ।

24. **पशुओं से नमूनों का लिया जाना** – (1) जहां पशु चिकित्सा अधिकारी यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि वह पशु, जिसके किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित होने का संदेह है या ऐसे संक्रामण का

खतरा है, वास्तव में संक्रामित है या उस अनुसूचित रोग की, जिससे पशु संक्रामित है, प्रकृति अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है, वहां वह ऐसे अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह उन परिस्थितियों के अधीन आवश्यक समझे, पशु से ऐसे नमूने ले सकेगा, जो अपेक्षित हों ।

(2) पशु चिकित्सा अधिकारी या कोई अन्य सक्षम अधिकारी ऐसे पशु से यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या पशु को किसी रोग का टीका लगाया गया है या क्या पशु को टीका लगाया जाना उसे असंक्रामित करने में प्रभावी हो गया है, नमूने ले सकेगा और ऐसे नमूनों की ऐसी रीति में परीक्षा करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

25. **संक्रामित पशु के लिए सहज मृत्यु का आश्रय लेना** – यदि पशु चिकित्सा अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि किसी पशु की, जो अनुसूचित रोग से संक्रामित है, क्षेत्र के अन्य पशुओं में रोग को फैलने से रोकने के लिए या यदि रोग पशु संबंधी महत्व का है तो लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने के लिए सहज मृत्यु का आश्रय लेना आवश्यक होगा, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित में आदेश द्वारा, पशु की सहज मृत्यु के लिए और अपने समाधानप्रद रूप में तत्काल उसके शव की अंत्येष्टि करने का निदेश दे सकेगा ।

26. **शव का निपटारा** – प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में किसी पशु का शव (या उसका कोई भाग) है, जो उसकी मृत्यु के समय किसी अनुसूचति रोग से संक्रामित था या उसके संक्रामित होने का संदेह था, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसका निपटारा करेगा ।

27. **पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक की शव परीक्षा करने की शक्तियां** – (1) जहां पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी पशु चिकित्सक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु की मृत्यु किसी अनुसूचित रोग के संक्रामण द्वारा हुई है, वहां वह पशु की शव परीक्षा करेगा या कराएगा और उस प्रयोजन के लिए वह जहां अपेक्षित हो, किसी ऐसे पशु के शव को खोदकर भूमि से बाहर निकलवाएगा, तत्पश्चात् शव की आवश्यक परीक्षा और शव परीक्षण के पश्चात् समुचित अंत्येष्टि कराएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षा और शव परीक्षा ऐसी रीति से की जाएगी और शव परीक्षण की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी, जो विहित की जाए ।

28. **कतिपय पशुओं का अभिग्रहण और उनको हटाना** – जहां ऐसा कोई पशु, जो संक्रामित है या जिसके संक्रामित होने का संदेह है जिसका कोई भी व्यक्ति स्वामी होने का दावा नहीं करता है, या जहां ऐसे पशु के संबंध में दिए गए किसी विधिमान्य आदेश या निदेश का, स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके नियंत्रण में ऐसा कोई पशु है, तत्परता से अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को, ऐसे पशु को अभिग्रहण करने, और उसे एकांत या अलग स्थान पर हटाने का, जो वह उचित समझे, विकल्प होगा ।

अध्याय 5

प्रवर्तन और शास्तियां

29. **आदेशों का प्रवर्तन और खर्चों की वसूली** – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, सूचना, अध्यपेक्षा, आदेश या निदेश द्वारा किसी व्यक्ति से, –

(क) किसी पशु, किसी पशु के शव या ऐसी अन्य वस्तु के संबंध में, जो उसकी अभिरक्षा या भारसाधन में है, कोई उपाय या किसी बात को करने की अपेक्षा की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी ;

(ख) कोई ऐसा पशु जो भटका हुआ है या जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसे पशु शव या उसके भाग की दशा में, कोई उपाय या किसी बात को करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, नगरपालिका या पंचायत द्वारा अपने खर्चे पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी ।

(2) यदि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट उपाय ऐसे समय के भीतर नहीं किए जाते हैं, जो इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जाए, तो सूचना, अध्यपेक्षा, आदेश या निदेश जारी करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत के खर्चे पर, जिससे या जिनसे ऐसे उपाय करने की अपेक्षा थी, उपायों को करवाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किन्हीं उपायों के खर्चे, यथास्थिति, संबद्ध व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत से किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा उपबंधित रीति में इस प्रकार वसूलनीय होंगे, मानो ऐसे खर्चे किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों ।

30. **ग्राम अधिकारी, आदि द्वारा सहायता करना** – सभी नगरपालिका, पंचायत या ग्राम अधिकारी और राज्य सरकार के ग्रामीण और डेयरी विकास, राजस्व, कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभागों के सभी अधिकारी –

(क) ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी और ऐसे पशु चिकित्सक को, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है, उक्त क्षेत्र में, किसी पशु या पशुओं की किसी जाति में किसी अनुसूचित रोग के होने की तत्काल सूचना देने ;

(ख) किसी अनुसूचित रोग के होने या फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने ; और

(ग) पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने, के लिए आबद्ध होंगे ।

31. **प्राधिकार के बिना टीका प्रमाणपत्र जारी करने या त्रुटिपूर्ण टीका लगाने के लिए शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति –

(क) उस निमित्त किसी प्राधिकार या सक्षमता के बिना, या

(ख) ऐसा टीका लगाने के पश्चात् जिसका किसी रीति में दोषपूर्ण होना ज्ञात है,

कोई टीका प्रमाणपत्र जारी करता है, तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो पांच हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, और किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, दस हजार रुपए के जुर्माने से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

32. **शास्तियां** – कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या सक्षम अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और शास्ति का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी ; और किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में (चाहे वह उसी उपबंध या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन है, धारा 31 और धारा

33 के मामले के सिवाय) दो हजार रुपए के जुर्माने से या शास्ति का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

33. **संक्रामित पशु या शव को नदी, आदि में फेंकने के लिए शास्ति** – जो कोई, किसी पशु शव या शव के किसी भाग को, जिसका मृत्यु के समय उसे संक्रामित होना ज्ञात था, किसी नदी, झील, नहर या किसी अन्य जलाशय में डालता है, डलवाता है या डलवाने को अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर, पहले अपराध की दशा में, दो हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न करने की दशा में, एक मास के कारावास से और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच हजार रुपए के जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

34. **कम्पनियों द्वारा अपराध** – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 6

रोगकारक जीव, आदि के संबंध में एहतियाती उपाय

35. **रोगकारक जीव के बच निकलने का निवारण** – (1) ऐसी प्रत्येक संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक में, जो वैक्सीन, सीरा, निदान या रसोचिकित्सा ओषधियों से संबंधित विनिर्माण, परीक्षण या अनुसंधान में लगे हैं और जिनका उद्देश्य किसी अनुसूचित रोग का निवारण या उपचार करना है, निम्नलिखित के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय किए जाएंगे –

(क) यह सुनिश्चित करना कि किसी अनुसूचित रोग के रोगकारक जीव बच निकल न पाएं या अन्यथा निर्मुक्त न हो पाएं ;

(ख) किसी ऐसे बच निकलने या निर्मुक्त होने से संरक्षा करना ; और

(ग) ऐसे बच निकलने की दशा में प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति को चेतावनी देना और उसे सुरक्षित करना ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक पशु की –

(क) जिसका उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट विनिर्माण, परीक्षण या अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है ; या

(ख) जिससे किसी अनुसूचित रोग के होने या उसके संचरित होने की संभावना है,

तुरन्त सहज मृत्यु कारित की जाएगी और उसे उस उपधारा में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक के भारसाधक या उन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा व्ययन किया जाएगा ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक का भारसाधक है या उन पर नियंत्रण रखता है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेगा ; और अननुपालन की दशा में, वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि स्थापन टीका या ओषधि का वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण कर रहा है तो एक वर्ष की अवधि तक अनुज्ञप्ति के अस्थायी निलम्बन की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

36. **प्रत्यायोजन की शक्ति** – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

37. **अधिकारियों और प्राधिकारियों का सरकार के नियंत्रण के अधीन कृत्य करना** – इस अधिनियम के अधीन सभी अधिकारी और प्राधिकारी अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उनको प्रदत्त या उन पर अधिरोपित किए गए हैं ऐसे आदेशों के अनुसार करेंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाएं ।

38. **अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी पशु रोग को जोड़ सकेगी या उसमें से उसका लोप कर सकेगी और उक्त रोग को अधिसूचना की तारीख से, अनुसूची में जोड़ा गया या उससे लोप किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

39. **निदेश जारी करने की शक्ति** – केन्द्रीय सरकार, पशुओं के किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के

उद्देश्य से, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राधिकारियों को, समय-समय पर, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिनके अंतर्गत अनुसूचित रोगों और टीकाकरण के संबंध में ऐसी विवरणी और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए निदेश भी हैं, जो वह ठीक समझे और प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन किया जाएगा ।

40. **कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना** – प्रत्येक सक्षम अधिकारी, निदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारी को, जब वे इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

41. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

42. **नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 9 के अधीन टीका प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो ऐसे प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट होंगी ;

(ख) धारा 26 के अधीन शवों के निपटान की रीति ;

(ग) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और शव-परीक्षा

करने की रीति तथा उपधारा (2) के अधीन शव-परीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप ;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाना अपेक्षित हो ।

43. **नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन किसी करंतीन कैंप के भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुदत्त किए जाने वाले अनुज्ञापत्र का प्ररूप ;

(ख) किसी जांच पड़ताल चौकी या किसी करंतीन कैंप में अनिवार्य टीका लगाने और पशुओं का चिह्नांकन करने के लिए किसी पशु के निरीक्षण की रीति तथा निरोध की अवधि और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश अनुज्ञापत्र का प्ररूप और उसके जारी करने की रीति ;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने हैं या बनाए जाएं ।

44. **विनियमों का सदनों के समक्ष रखा जाना** – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की

विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

45. **निरसन और व्यावृत्ति** – इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, –

(i) ग्लैण्डर और फार्सी अधिनियम, 1899 (1899 का 13) ;

(ii) डूरीन अधिनियम, 1910 (1910 का 5) ; और

(iii) किसी राज्य की कोई अन्य तत्स्थानी विधि, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत है,

निरसित हो जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात –

(क) विधि के किसी ऐसे उपबंध के पहले से प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगी ;

(ख) विधि के किसी ऐसे उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी ;

(ग) विधि के किसी ऐसे उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं डालेगी ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी ; और प्रत्येक ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार जारी रह सकेंगे, संस्थित या प्रवृत्त रह सकेंगे और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण और दंड इस प्रकार अधिरोपित किए जा सकेंगे मानो विधि के पूर्वोक्त उपबंध जारी रहे थे :

परन्तु यह और कि विधि के किसी ऐसे उपबंध के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत निकाली गई कोई अधिसूचना,

किया गया आदेश, जारी की गई सूचना या रसीद या की गई घोषणा भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, किया गया, निकाली गई, किया गया, जारी की गई या की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रान्त न कर दिया गया हो ।

अनुसूची

[धारा 2(ण) और धारा 38 देखिए]

(क) **बहु जातीय रोग**

1. एंथ्रेक्स ।
2. ओजेस्की रोग ।
3. ब्लूटंग ।
4. ब्रसेलोसिस ।
5. क्राइमीन कांगो हैमरेज ज्वर ।
6. एकीनोकोकोसिस/हाईडेटिडोसिस ।
7. खुरपका और मुंहपका रोग ।
8. हर्टवाटर ।
9. जापानी एनसीफैलीटिस ।
10. लैप्टोस्पाइरोसिस ।
11. नई वर्ल्ड स्क्रूवर्म (कोचलियोंमाईया होमिनीवोरेक्स) ।
12. पुरानी वर्ल्ड स्क्रूवर्म (चैरीसोमिया बैजीआना) ।
13. पैराट्यूबरक्यूलोसिस ।
14. क्यू फीवर ।
15. रैबीज ।
16. रिफ्ट वैली ज्वर ।
17. पशुप्लेग ।
18. ट्राइकीनैलोसिस ।
19. टुलारेमिया ।
20. वैसीकुलर स्टोमैटीटिस ।
21. वेस्ट नाईल ज्वर ।

(ख) **पशु रोग**

1. बोवाईन अनाप्लास्मोसिस ।
2. बोवाईन बेबीसिओसिस ।

3. बोवाईन जैनीटल कैम्पीलोबैक्टीरियोसिस ।

4. बोवाईन स्पोंगिफार्म एनसीफालोपैथी ।

5. बोवाईन ट्यूबरक्यूलोसिस ।

6. बोवाईन वायरल डायरिया ।

7. संसर्गजन्य बोवाईन फ्लूरोन्यूमोनिया ।

8. एनजूटिक बोवाईन ल्यूकोसिस ।

9. हीमोरैजिक सैस्टीसीमिया ।

10. संक्रामक बोवाईन राइनोट्रेचिटिस/संक्रामक पस्टूलर वलवोवेजीनिटिस ।

11. लम्पी स्किन रोग ।

12. मालीगनेंट कैटराहल ज्वर ।

13. थाईलीरिओसिस ।

14. ट्राइकोमोनोसिस ।

15. ट्रायपानोसीमोसिस ।

(ग) **भेड़ और बकरी रोग**

1. कैपरीन आर्थराईटिस/एनसीफेलिटिस ।

2. संसर्गजन्य अगलाकटिया ।

3. संसर्गजन्य कैपरीन प्लूरोनिमोनिया ।

4. एनजूटिक अबार्शन आफ ऐवीस (ओवाईन क्लामाईडियोसिस) ।

5. मैदी-विसना ।

6. नाईरोबी भेड़ रोग ।

7. ओवाईन एपीडीडायमिटिस (ब्रूसेला ओवीस) ।

8. पेस्टे डेस पेटीट्स रूमिनेंट्स ।

9. सालमोनेलोसिस (एस. एबोर्टयूसोविस) ।

10. स्क्रेपी ।

11. भेड़ पाक्स और बकरी पाक्स ।

(घ) **अश्व रोग**

1. अफ्रीकन मेट्रीटिस बीमारी ।
2. संसर्गजन्य मेट्रीटिस मैटरीटिस ।
3. डूरीन ।
4. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पूर्वी) ।
5. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पश्चिमी) ।
6. अश्व संक्रामक एनीमिया ।
7. अश्व इंफ्लूएंजा ।
8. अश्व पाइरोप्लासमोसिस ।
9. अश्व रायनोन्यूमोनिटिस ।
10. अश्व वायरल आरटेरिटस ।
11. ग्लैंडर्स ।
12. सूरा (ट्राइपानोसोमा ईवानसी) ।
13. वेनीजूएलन अश्व एनसीफालोमाईलिटिस ।

(ङ) **स्वाइन रोग**

1. अफ्रीकन स्वाईन ज्वर ।
2. क्लासीकल स्वाईन ज्वर ।
3. निपाह वायरस एनसीफालीटिस ।
4. पोरसिन सिसटीसरकोसिस ।
5. पोरसिन रिपरोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ।
6. स्वाइन वेसीकुलर रोग ।
7. ट्रांसमिसिबल गैस्ट्राइनटेरीटिस ।

(च) **एवियन रोग**

1. एवीयन क्लेमाइडियोसिस ।
2. एवीयन संक्रामक ब्रोंकाइटिस ।
3. एवीयन संक्रामक लैरिंगोट्राचीटस ।
4. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम. गालीसेप्टीकम) ।

5. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम. सायनोवि) ।

6. डक वायरस हैपेटाइटिस ।

7. फाउल कोलेरा ।

8. फाउल टाइफाइड ।

9. उच्च पैथोंजनिक एवियन इंफ्लूएंजा और कुक्कुट में निम्न पैथोजनिक एवियन इंफ्लूएंजा ।

10. संक्रामक सर्ल रोग (गंबोरो रोग) ।

11. मारेक रोग ।

12. न्यूकैसल रोग ।

13. पुलोरम रोग ।

14. टर्की रिनोट्राचीटिस ।

(छ) **लैगोमोर्फ रोग**

1. मायोक्सोमाटोसिस ।

2. रैबीट हेमरेजिक रोग ।

(ज) **मधुमक्खी रोग**

1. मधुमक्खी की अकारापीसोसिस ।

2. मधुमक्खी का अमेरिकन फाउलब्रूड ।

3. मधुमक्खी का यूरोपियन फाउलब्रूड ।

4. स्माल हाइव बीटल इनफेस्टेशन (एथीना ट्यूमीडा) ।

5. मधुमक्खी का ट्रोपिलाएलप्स इनफैस्टेशन ।

6. मधुमक्खी का वास्रसिस ।

(झ) **मछली रोग**

1. एपीजूटिक हैमाटोपोयटिक नैकरोसिस ।

2. संक्रामक हैमाटोपोयटिक नैकरोसिस ।

3. स्प्रिंग वायमिया आफ कार्प ।

4. वायरल हैमोरहैजिक सैप्टीसीमिया ।

5. संक्रामक पैनाक्रिएटिक नैकरोसिस ।
6. संक्रामक सालमन एनीमिया ।
7. एपीजूटिक अल्सरएटिव सिंड्रोम ।
8. बैक्टीरियल किडनी रोग (रैनीबैक्टीरियम सालमोनीनरम) ।
9. गायरोडेक्टाईलोसिस (गायरोडेक्टाइलोसिस सालारिस) ।
10. रैड सी ब्रीम इरीडोवायरल रोग ।

(ञ) **मौलक्स रोग**

1. बोनामिया ओस्ट्रिया से संक्रमण ।
2. बोनामिया एक्सीटिओसा से संक्रमण ।
3. मार्टलिया रेफ्रीनजैंस से संक्रमण ।
4. माइक्रोसायटोस मैकीनी से संक्रमण ।
5. पर्किनसस मैरीनस से संक्रमण ।
6. पर्किनसस आलसेनी से संक्रमण ।
7. एक्सनोहालीयोटिस कालीफोर्निनसिस से संक्रमण ।

(ट) **क्रसटेशियन रोग**

1. तौरा सिंड्रोम ।
2. व्हाईट स्पॉट रोग ।
3. येलोहेड रोग ।
4. टेट्राहीड्रल बाक्यूलोवायरोसिस (बाकलोवायरस पीनियल) ।
5. स्फैरीकल बाक्यूलोवायरोसिस (पैनासिस मोनोडोन-टाइप बाक्लोवायरस) ।
6. संक्रामक हारपोडर्मल और हाइमैटोपायोटिक नैक्रोसिस ।
7. क्रायफिश प्लेग (एपहैनोमायसिस एसटासी) ।

(ठ) **अन्य रोग**

1. कैमलपाक्स ।
2. लैशमानियोसिस ।

Cover iii

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iv

पी एल डी (पी. डी)-11-2018
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in